सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

विषय-सूची

1. विहंगावलोकन
2. कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा
3. कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां
4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)
7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
8. राजभाषा का कार्यान्वयन
9. नागरिक उन्मुख अभिशासन
10. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
11. अनुलग्नक

संक्षिप्त विषय सूची

1. विहंगावलोकन 1

1.1 औषधीय उद्योग
1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग
1.3 निवेशक शिखर सम्मेलन
1.4 इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021
1.5 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग- संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)/उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी)
1.6 विभाग द्वारा की गई कोविड-19 संबंधित कार्रवाई
1.7 लम्बित मामलों के निस्तारण एवं स्वच्छता हेतु 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक चला विशेष अभियान
1.8 औषध विभाग की "कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु दक्षता में सुधार" हेतु इंटरएक्टिव सत्र 2021

2. कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा 17

2.1 औषध विभाग का अधिदेश
2.2 विजन
2.3 मिशन
2.4 संगठनात्मक ढांचा
2.5 संबद्ध कार्यालय
2.6 पंजीकृत सोसायटी
2.7 स्वायत्त संस्थान
2.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3. कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां 23

3.1 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं
3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना
3.3 फार्मा ब्यूरो और विभाग द्वारा औषध एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग संवर्धन के लिए की गई अन्य पहल

4. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) 35

4.1 योजना की पृष्ठभूमि
4.2 पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान की गई प्रगति
4.3 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां
4.4 जन औषधि दिवस समारोह
4.5 आजादी का अमृत महोत्सव
4.6 एकता दिवस सप्ताह- 2021

5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) 45

5.1 पृष्ठभूमि
5.2 नाईपर मोहाली
5.3 नाईपर हैदराबाद
5.4 नाईपर अहमदाबाद
5.5 नाईपर गुवाहाटी
5.6 नाईपर रायबरेली
5.7 नाईपर कोलकाता
5.8 नाईपर हाजीपुर

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) 89

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)
6.3 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
6.4 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)
6.5 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)
6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)
6.7 फार्मा पीएसयू को बंद करना और कार्यनीतिक बिक्री करना

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) 111

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
7.2 मूल्य निर्धारण
7.3 कोविड-19 की आपात स्थितियों के निपटने के लिए उठाए गए कदम
7.4 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां
7.5 अधिप्रभारित राशि की वसूली
7.6. चिकित्सा उपकरणों के मूल्य परिवर्तन की निगरानी
7.7 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन
7.8 आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गई गतिविधियां
7.9 ई-पहल
7.10 राजभाषा कार्यान्वयन
7.11 सतर्कता जागरूकता सप्ताह
7.12 राष्ट्रीय एकता दिवस

8. राजभाषा का कार्यान्वयन 129

8.1 सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग
8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति
8.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2021
8.4 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा

9. नागरिक उन्मुख अभिशासन 133

9.1 हमारा विजन
9.2 हमारा मिशन
9.3 हमारे ग्राहक
9.4 हमारी प्रतिबद्धताएं
9.5 हमारी सेवाएं
9.6 हमारे कार्यकलाप
9.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
9.8 सीपीजीआरएएमएस

10. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 137

10.1 लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)

10.2 वेबसाइट एवं सोशल मीडिया

10.3 वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग

10.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

10.5 कार्यप्रवाह संचालन

10.6 ई-गवर्नेंस

11. अनुबंध 143

अनुबंध-I सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुबंध-II [क] पीएसयू एवं अन्य संस्थाओं की सूची

अनुबंध-II [ख] पीएसयू के अध्यक्ष का पता और नाम

अनुबंध-II [ग] दायित्वक केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

अनुबंध-III एन पी पी ए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 औषधीय उद्योग

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.3 निवेशक शिखर सम्मेलन

1.4 इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021

1.5 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)/उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीजी)

1.6 विभाग द्वारा की गई कोविड-19 संबंधित कार्रवाई

1.7 लम्बित मामलों के निस्तारण एवं स्वच्छता हेतु 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला विशेष अभियान

1.8 औषध विभाग की "कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु दक्षता में सुधार" हेतु इंटरएक्टिव सत्र 2021

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 औषधीय क्षेत्र

भारतीय औषध उद्योग विश्व स्तर पर अपनी जेनरिक दवाओं और कम लागत वाले टीकों के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह एक जीवंत क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हुआ है, वर्तमान में भारतीय औषधीय क्षेत्र मात्रा के हिसाब से औषधीय उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय औषधीय क्षेत्र में 9.43% सीएजीआर की लगातार वृद्धि हुई है। औषधीय सेक्टर लगातार ट्रेड सरप्लस कमा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल औषधीय निर्यात 49436 करोड़ रुपए (6.66 बिलियन अमरीकी डालर) के कुल औषधीय आयात के मुकाबले 180555 करोड़ रुपए (24.35 बिलियन अमरीकी डालर) था, जिससे 17.68 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार अधिशेष उत्पन्न हुआ। सितंबर 2021 के अंत तक कुल औषधीय निर्यात 87864 करोड़ रुपए (11.88 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है, जबकि कुल आयात 33636 करोड़ रुपए (4.66 बिलियन अमरीकी डॉलर) है, जिससे 54228 करोड़ रुपए (7.22 बिलियन अमरीकी डालर) का व्यापार अधिशेष उत्पन्न हुआ है। भारतीय औषधीय उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, ओटीसी दवाएं, बल्क दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और निर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं।

भारतीय औषध उद्योग भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन(यूएसएफडीए) के अनुरूप औषधीय संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। वैश्विक एपीआई उद्योग में लगभग 8% योगदान देने वाले 500 एपीआई निर्माता हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांडों का निर्माण करता है। भारत में सस्ती एचआईवी उपचार तक पहुंच चिकित्सा में सबसे बड़ी सफलताओ में से एक है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय दवाओं को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, जिससे देश सही मायनों में "दुनिया की फ़ार्मेसी" बन गया है।

भारतीय औषधीय उद्योग ने कोविड महामारी में संक्रमण को कम करने की चुनौतियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग ने सरकार और शैक्षणिक संस्थानों आदि के साथ मिलकर काम किया, ताकि निर्माण प्रक्रियाओं को तेजी से विकसित और परिष्कृत किया जा सके, जिससे कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं (जैसे रेमेडिसविर, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, डेक्सामेथासोन, टोसीलिज़ुमाब, फेविपिरवीर आदि) की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली । कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान भारतीय दवा आपूर्ति ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) के लिए 120 से अधिक देशों को, पैरासिटामोल के लिए 20 देशों और दुनिया भर के टीकों के लिए लगभग 96 देशों को राहत प्रदान की है।

तालिका 1-क

(मौजूदा कीमतों पर औषध क्षेत्र की वृद्धि)

मद/वर्ष	आउटपुट (रुपए करोड़ में)	वृद्धिदर
2015-16	3,03,352	16.56
2016-17	3,21,472	5.97
2017-18	3,28,677	2.24
2018-19	3,98,852	21.35
2019-20	3,89,094	-2.45
2020-21*	4,27,109	9.77

* वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान 9.77% उत्पादन की प्रवृत्ति वृद्धि दर (सीएजीआर) के आधार पर अनुमानित।

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-2021, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

1.1.1 औषधीय उद्योग का प्रमुख प्रत्ययपत्र

- भारत 200 से अधिक देशों को जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता है।
- 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत से हैं
- अत्यधिक विनियमित बाजारों में 55% से अधिक निर्यात
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पूर्व-पात्रता प्राप्त एपीआई का 90% भारत से प्राप्त किया जाता है
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैक्सीन आवश्यकताओं का 65-70% भारत से प्राप्त किया जाता है
- यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित साइटों की संख्या: 741 (अगस्त 2021 तक)
- भारतीय कंपनियों द्वारा सुरक्षित एएनडीए बाजार प्राधिकरणों की संख्या: 4346 (दिसंबर 2020 तक)

1.1.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

औषधीय क्षेत्र भारत में विदेशी निवेश के लिए शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा उपकरणों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में औषधीय क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है और ब्राउनफील्ड औषधीय क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 74% से अधिक और 100% तक विदेशी निवेश हेतु सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

मई 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने के बाद औषध विभाग को सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग दिनांक 17.04.2020 के प्रेस नोट 3 से उत्पन्न होने वाले औषधीय और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के सभी एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है, जिसमें प्रस्तावों में निवेशक/अंतिम लाभार्थी भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से हैं।

औषध विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान ब्राउनफील्ड औषधीय क्षेत्र परियोजनाओं के तहत 7,860 करोड़ रुपए के 10 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पिछले तीन वर्षों में औषधीय क्षेत्र (औषधीय और चिकित्सा उपकरण गतिविधियों) में एफडीआई अंतर्वाह, सरकारी और स्वचालित

दोनों मार्गों के तहत निम्न प्रकार है:

ग्राफ -1क

(औषध क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह)

स्रोत: डीपीआईआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित।

1.1.3 एफडीआई से संबंधित अनुपालन अनुवीक्षण पोर्टल

औषध क्षेत्र में भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त एफडीआई प्रवाह की प्रगति की अनुवीक्षण और मौजूदा एफडीआई नीति के तहत आवश्यक एफडीआई से जुड़ी प्रदर्शन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल, नामतः "एफडीआई से संबंधित अनुपालन प्रबोधन पोर्टल" विकसित किया गया है। पोर्टल का वेब-लिंक: http://fdi.pharmaceuticals.gov.in/ है। ऑनलाइन पोर्टल कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग और क्षेत्र में एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियों के डेटाबेस बनाने के अलावा एफडीआई प्रवाह की प्रगति पर नज़र रखने में मदद करेगा।

(एफडीआई से संबंधित अनुपालन अनुवीक्षण पोर्टल का होमपेज)

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

चिकित्सा उपकरण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक बढ़ने की क्षमता है। उपभोग्य सामग्रियों से लेकर प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सा उपकरणों तक विभिन्न श्रेणियों के उपकरणों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। देश में चिकित्सा उपकरणों का प्रमुख निर्माण कैथेटर, परफ्यूज़न सेट, एक्सटेंशन लाइन, कैनुला, फीडिंग ट्यूब, सुई, सीरिंज और इम्प्लांट जैसे कार्डिएक स्टेंट, ड्रग-एल्यूटिंग स्टेंट, इंट्रा-ओक्यूलर लेंस और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण जैसे डिस्पोजेबल के संबंध में हो रहा है।

चिकित्सा उपकरण उद्योग एक लंबी निर्माण पूर्व अवधि के साथ अत्यधिक पूंजी गहन है और इसके लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास/प्रवेश की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को नई तकनीकों के अनुकूल होने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रदाताओं के निरंतर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। अधिकांश उच्च प्रौद्योगिकी और नवीन उत्पाद एक अच्छी तरह से विकसित पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार चक्र से उत्पन्न होते हैं, जिसे अभी भारत में पूरी तरह से विकसित किया जाना है। भारत चिकित्सा उपकरणों की घरेलू जरूरतों के 85% तक आयात पर निर्भर करता है।

भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है और इसके 15 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। 2020 में भारतीय चिकित्सा उपकरणों का बाजार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग के वर्ष 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरणों का बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरणों के बाजारों में से एक है। वर्तमान में भारत वेंटिलेटर, पीपीई, डायग्नोस्टिक किट, सैनिटाइज़र और सर्जिकल दस्ताने (2/3 प्लाई) आदि का निर्यात कर रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात निम्नानुसार है:

तालिका -1ख

(चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात)

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

आयत		निर्यात	
2019-20	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**
5845.41	6240.55	2292.87	2531.62

स्रोत: ईईपीसी

क) निर्यात जानकारी

क) श्रेणी वार

तालिका -1ग

(श्रेणी के अनुसार निर्यात डेटा)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	खंड	निर्यात वित्त वर्ष 2019-20	निर्यात वित्त वर्ष 2020-21	% शेयर वित्त वर्ष 2019-20	% शेयर वित्त वर्ष 2020-21
1	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	1082.53	1290.26	47.21	50.97
2	सर्जिकल उपकरण	49.77	53.64	2.17	2.12

3	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	998.87	984.73	43.56	38.90
4	प्रत्यारोपण	94.12	98.81	4.10	3.90
5	आईवीडी रीअजेंट	67.58	104.18	2.95	4.12
	कुल	**2292.87**	**2531.62**		

स्रोत: ईईपीसी

ख) शीर्ष निर्यात गंतव्य

तालिका -1घ

(शीर्ष निर्यात गंतव्य)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	देश	निर्यात वित्त वर्ष 2020-21	% शेयर वित्त वर्ष 2020-21
	दुनिया	**2531.6**	**100.0**
1	अमेरीका	600.01	23.7
2	जर्मनी	133.70	5.3
3	चीन	133.00	5.3
4	फ्रांस	74.89	3.0
5	सिंगापुर	74.80	3.0
	उप योग	**1016.40**	**40.15**

स्रोत: ईईपीसी

ख. आयात आंकड़ा

क) श्रेणी वार

तालिका -1ङ

(श्रेणी वार आयात डेटा)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	खंड	आयात वित्त वर्ष 2019-20	आयात वित्त वर्ष 2020-21	% शेयर वित्त वर्ष 2019-20	% शेयर वित्त वर्ष 2020-21
1	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	3646.53	3568.64	62.38	57.18
2	सर्जिकल उपकरण	180.10	103.62	3.08	1.66
3	उपभोग्य और डिस्पोजेबल	1076.23	1470.77	18.41	23.57
4	आईवीडी रीअजेंट	527.20	871.89	9.02	13.97
5	प्रत्यारोपण	415.35	225.63	7.11	3.62
	कुल	**5845.41**	**6240.55**		

स्रोत: ईईपीसी

ख) शीर्ष आयात गंतव्य

तालिका -1च
(शीर्ष आयात गंतव्य)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	देश	निर्यात वित्त वर्ष 2020-21	% शेयर वित्त वर्ष 2020-21
	दुनिया	6240.6	100.0
1	चीन	1110.9	17.8
2	अमेरीका	984.1	15.8
3	जर्मनी	668.5	10.7
4	सिंगापुर	517.8	8.3
5	जापान	237.0	3.8
	उप योग	**3518.26**	**56.38**

1.3 निवेशक शिखर सम्मेलन

औषध विभाग ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से औषधीय और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में अवसरों और भागीदारी पर एक इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल आयोजन दिनांक 27.10.2021 को औषधीय और चिकित्सा उपकरण इकोसिस्टम में विकास और निवेश के कई रोमांचक अवसरों को उजागर करने के लिए किया। शिखर सम्मेलन में माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। निवेशक शिखर सम्मेलन में बायोफार्मास्युटिकल्स में घरेलू अनुसंधान एव विकास द्वारा संचालित विनिर्माण के अवसरों का पता लगाने के लिए लेजर-आइड फोकस के साथ डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सा उपकरणों के विस्तार के साथ चिकित्सा उपकरणों के अवसरों की भूमि बनाने, बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तपोषित करने, और पीएलआई आवेदकों को व्यापक सुविधा और समर्थन प्रदान करने पर पांच विस्तृत तकनीकी सत्र आयोजित किए।

शिखर सम्मेलन के दौरान डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

1.4 इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021

औषध विभाग वार्षिक गतिविधि के रूप में इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस श्रृंखला के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विभाग द्वारा फिक्की और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 के छठे संस्करण का वर्चुअल आयोजन 25 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया था। इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस इवेंट्स के छठे संस्करण के दौरान विशेष फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट था।

इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

(i) उद्योग के मुद्दों को पहचानने और उनके समाधान की सिफारिश करने के लिए एक मंच बनाने का प्रयास करना।

(ii) ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा उपलब्ध करना।

(iii) औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ावा देना।

(iv) भारत को एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में स्थापित करना और निवेश को आकर्षित करना।

(v) नेटवर्क और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना।

(vi) नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर और उन पर विचार-विमर्श करना।

इंडिया फार्मा 2021 की थीम 'इंडियन फार्मा इंडस्ट्री: फ्यूचर इज नाउ' और इंडिया मेडिकल डिवाइस के लिए 'इंडिया मेडटेक फ्यूचर: इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस' थी। इस आयोजन के मुख्य घटकों में भारत में निवेश के अवसरों का प्रदर्शन, उद्योग जगत के नेताओं के साथ पैनल चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रेगुलेटर सत्र, इंडिया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स और सेक्टोरल स्टार्टअप्स की चर्चा शामिल थी।

1.4.1 छठा इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेज अवार्ड्स

छठा इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स दिनांक 25.02.2021 को श्री डी.वी सदानंद गौड़ा, तत्कालीन माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) द्वारा औषधीय और मेड टेक क्षेत्रों में नवाचार और उत्कृष्टता की मान्यता में प्रदान किए गए। छठे इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स के विजेताओं की सूची इस प्रकार है: -

तालिका -1छ
(छठे इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स के विजेताओं की सूची)

क्रमांक	पुरस्कारों की श्रेणी	विजेता
1.	इंडिया फार्मा लीडर अवार्ड	लौरस लैब्स लिमिटेड
2.	इंडिया फार्मा बल्क ड्रग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड	मेट्रोकेम एपीआई प्राइवेट लिमिटेड
3.	इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड	ग्लेनमार्क औषधीयस्युटिकल्स लिमिटेड
4	इंडिया फार्मा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) प्रोग्राम ऑफ द ईयर अवार्ड	ल्यूपिन लिमिटेड
5	इंडिया मेडिकल डिवाइसेस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड	ब्रिग नैनोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

कोविड-19 महामारी के दौरान औषधीय और चिकित्सा उपकरण उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार डॉ. पीडी वाघेला, पूर्व सचिव, औषध विभाग को दिया गया।

उद्घाटन सत्र: इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021

इंडिया फार्मा 2021 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान सचिव (औषध) का वक्तव्य

1.5 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

(क) संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)

औषध विभाग निम्नलिखित संयुक्त कार्य समूहों/उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की सह-अध्यक्षता करता है: -

(i) औषध, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों पर यूरोपीय संघ-भारत संयुक्त कार्य समूह
(ii) ड्रग्स और औषध पर भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह
(iii) औषध और हेल्थकेयर पर भारत-यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह
(iv) औषध पर भारत-बेलारूस संयुक्त कार्य समूह
(v) "फार्माज़ोन" और "पंजीकरण और औषध से संबंधित अन्य मुद्दों" पर विचार करने के लिए भारत-फिलीपींस तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी)
(vi) औषध पर भारत-अल्जीरिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी)
(vii) औषध और स्वास्थ्य पर भारत-मिस्र संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी)
(viii) औषध पर भारत-उज़्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह

(ix) भारत फार्मा इंडस्ट्रीज पर मुद्दों को पढ़ने के लिए औषध पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह
(x) औषध पर भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह

(ख) विभाग ने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग (जेसीईसी) पर भारत-साइप्रस संयुक्त समिति के 9वें सत्र में भाग लिया, जो भारत और इटली के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत दिनांक 21.10.2021 को पहला संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) था। दिनांक 26.10.2021 को स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र और दिनांक 11.11.2021 को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक हुई जिसमें सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई जिसमें भारत में औषधीय और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश करने; औषधीय शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को पोषित करने और बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) और विदेशी समकक्ष के बीच साझेदारी; लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत और उद्योग से उद्योग सहयोग में विनिर्मित दवाओं/टीकों के लिए त्वरित डब्ल्यूएचओ पीक्यू अनुमोदन शामिल था।

(ग) दिनांक 27.09.2021 को कोलंबिया के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई, जिसका नेतृत्व सचिव, औषध विभाग और, सीडीएससीओ, फार्मेक्सिल, इन्वेस्ट इंडिया, इंडियन औषधीय क्षेत्र एलायंस और औषध विभाग के अधिकारियों ने किया। कोलंबियाई प्रतिनिधिमंडल ने भारत में विनिर्मित दवाओं के सुदृढ़ विनियमन और सस्ती कीमतों की सराहना की और कोलंबिया में उत्पादन के विकेंद्रीकरण के संबंध में भी अपनी मंशा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए भी तत्पर थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सुरक्षा और औषधि सुरक्षा प्राप्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कोलंबिया के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक

बैठक के विचार-विमर्श के आधार पर, कोलम्बियाई पक्ष के साथ एक मसौदा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

(i) नाईपर की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाते हुए औषधीय शिक्षा पर सहयोग
(ii) पीएमबीजेपी जैसी सर्वोत्तम योजनाओं को साझा करने पर सहयोग
(iii) उद्योग से उद्योग सहयोग।

iv) वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में व्यापार वार्ता में भागीदारी।

(घ) विभाग संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, यूके, चिली, ईरान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, वियतनाम, कतर सहित देशों के साथ की जा रही बातचीत में अर्ली हार्वेस्ट योजनाओं, तरजीही व्यापार समझौतों, मुक्त व्यापार समझौतों और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों में औषधीय क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी, जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह और दुबई में आगामी कार्यक्रम विश्व एक्सपो में भी शामिल है।

1.6 विभाग द्वारा की गई कोविड-19 संबंधित कार्रवाई

1.6.1 कोविड औषधि प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीडीएमसी)

महामारी के दौरान कोविड-19 प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली दवाओं की सुचारू आपूर्ति के प्रबंधन की निगरानी के लिए औषध विभाग (डीओपी) में एक कोविड औषधि प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीडीएमसी) स्थापित किया गया है। सीडीएमसी की बैठकें दैनिक रूप से दवा उत्पादन और उपलब्धता के मुद्दों के संबंध में आवश्यक कार्यों की समीक्षा और प्राथमिकता के लिए आयोजित की गईं। सीडीएमसी दूसरी लहर के दौरान डीओपी, एनपीपीए और सीडीएससीओ के अधिकारियों के सामूहिक समर्थन से देश की कोविड दवा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम रही है। महत्व और काम की मात्रा को देखते हुए, डीओपीटी ने एक अतिरिक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव और पांच निदेशकों को डीओपी के साथ संलग्न किया, जिन्हें तब विभाग में विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे।

1.6.2 औषधि समन्वय समिति (डीसीसी)

कोविड दवा उपलब्धता के संबंध में मुद्दों की अंतर-विभागीय प्रकृति को देखते हुए, एक औषधि समन्वय समिति (डीसीसी) का गठन कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.05.2021 के अंतर्गत एक संस्थागत तंत्र के रूप में किया गया था, जिसमें औषध विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), विदेश मंत्रालय (एमईए), सीडीएससीओ और एनपीपीए का प्रतिनिधित्व था जिससे कोविड-19 से संबंधित दवाओं के संबंध में सभी मुद्दों पर कुशल निर्णय लिए जा सके। निम्नलिखित मुद्दों पर सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में समय-समय पर डीसीसी की बैठकें आयोजित की गईं:

(क) विभिन्न दवाओं और उनके इनपुट का पता लगाने के लिए, दोनों कोविड-19 नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में या अन्यथा मांग में जहां दवा उद्योग को तत्काल आधार पर उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

(ख) घरेलू उद्योग के मामले में सूचीबद्ध दवाओं के विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए आपूर्ति के पूरक के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए।

(ग) तेजी से निर्माण के लिए डीसीजीआई द्वारा दी गई कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित नई दवा अनुमतियों का संचालन करना।

(घ) देश भर में दवाओं की समान उपलब्धता की सुविधा के लिए।

(ङ) दवाओं की खरीद और/या आयात करने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए।

(च) भारतीय दवा कंपनियों को विदेशों से कच्चा माल, उपकरण आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना।

1.6.3 टोसिलिजुमैब के वाणिज्यिक शिपमेंट का आवंटन

यह 30 अप्रैल 2021 को औषधीय क्षेत्र विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (मोएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार के बीच एक संयुक्त अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, ताकि इस दवा की सीमित उपलब्धता का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यह देश में निर्मित नहीं थी और इसे मैसर्स रोश, स्विट्जरलैंड से आयात के माध्यम से सोर्स किया गया था। इसके बाद, दवा को स्वदेशी रूप से विकसित करने के प्रयासों के परिणाम मेसर्स हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड के साथ, उचित नियामक अनुमोदन के बाद, घरेलू स्तर पर दवा के विनिर्माण के परिणाम प्राप्त हुए। तदनुसार, मेसर्स हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड की उत्पादन योजना से दवा का आवंटन दिनांक 01.10.2021 को किया गया था।

1.6.4 रेमडेसिविर और एम्फोटेरिसिन-बी का निर्यात

दिनांक 01.06.2021 और 14.06.2021 को, क्रमशः रेमडेसिविर इंजेक्शन/एपीआई और एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की निर्यात नीति को 'निषिद्ध' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया गया था। इसके बाद, डीजीएफटी इस संबंध में निर्यात के लिए आवेदनों को सिफारिशों के लिए डीओपी और डीओएचएफडब्ल्यू को भेज रहा है। अक्टूबर 2021 के अंत तक, डीजीएफटी को निर्यात के लिए रेमेडिसविर की लगभग 2.4 करोड़ रुपए शीशियों और एम्फोटेरिसिन बी की लगभग 10.7 लाख इकाइयों की सिफारिश की गई थी।

1.7 लम्बित निस्तारण एवं स्वच्छता के लिए दिनांक 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला विशेष अभियान

माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार और बाद में सभी सचिवों को संबोधित अ.शा. पत्र सं. 1/50/3/2021-कैब दिनांक 09.09.2021 के अंतर्गत "विशेष अभियान" दिनांक 2 से 31 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों से लंबित संदर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी), संसदीय आश्वासनों और लोक शिकायतों के संदर्भों का समय पर और प्रभावी ढंग से निपटान करना था। अभियान के दौरान मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया ताकि अनुपालन बोझ को कम किया जा सके और अनावश्यक स्क्रैप सामग्री, अप्रचलित वस्तुओं, अनावश्यक कागजी कार्यों को हटाने के लिए अस्थायी प्रकृति की फाइलों को हटाने सहित कार्यस्थल की सफाई में सुधार किया जा सके।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) जिसे इस अभियान हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, उनके द्वारा अभियान के नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया, अभियान के दौरान की जाने वाली कार्य योजना को विस्तृत किया और प्रभावी निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड पोर्टल "एससीडीपीएम" भी दिया गया। दिनांक 13-29 सितंबर 2021 के प्रारंभिक चरण के दौरान, लंबित मुद्दों/संदर्भों की पोर्टल में अपलोड करने हेतु पहचान की गई है।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया ने अपने नोट दिनांक 29.09.2021 द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सभी तीन विभागों को अभियान अवधि 2 से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान स्वच्छता अभियान पर एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/सांविधिक निकायों/स्वायत्त निकायों/पीएसयू आदि को स्वच्छता अभियान पर विशेष अभियान में शामिल करने का भी निर्देश दिया गया। अभियान के लिए भवन/परिसर की साफ-सफाई, कचरे का निपटान, कूड़ाकरकट, खराब पड़े फर्नीचर जैसी गतिविधियां, ई-कचरा और बैठने की जगह की सफाई/रखरखाव आदि पर जोर दिया गया।

1.7.1 विशेष अभियान के दौरान की गई गतिविधियां

औषध विभाग ने विशेष अभियान को परिणामोन्मुख बनाने के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की। प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों को अभियान में शामिल होने और विशेष अभियान के दौरान वांछित सभी गतिविधियों को करने के लिए सूचित किया गया था।

अभियान का प्रारम्भिक चरण जो 13 से 29 सितम्बर 2021 तक चला, के दौरान विभाग ने सभी संबन्धित प्रभागों/अनुभागों के साथ निम्नलिखित लंबित मुद्दों की पहचान करने का एक अभियान चलाया: (क) संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भ, (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, (ग) अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) के लिए प्राप्त संदर्भ, (घ) लंबित संसदीय आश्वासन, (ड) लंबित लोक शिकायतें और (च) कोई मौजूदा प्रक्रिया जिसे अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद डिजिटलीकरण और वीडिंग आउट के लिए समीक्षा की जाने वाली भौतिक फाइलों की पहचान की गई। अभियान के दौरान कबाड़ सामग्री, अप्रचलित वस्तुओं, अनावश्यक कागजी कार्यों को हटाने और कार्यस्थल (कार्यालय कक्ष और उनके गलियारों) की सफाई जैसी गतिविधियों को अपने तीनों स्थानों- शास्त्री भवन, उद्योग भवन और जनपथ भवन में शामिल करने के लिए अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान पर विशेष अभियान चलाने के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई थी। अंत में, सभी चिन्हित लंबित संदर्भों/सार्वजनिक शिकायतों/समीक्षा की जाने वाली फाइलों आदि को अभियान अवधि के दौरान निपटाने के लक्ष्य के रूप में डीएआरपीजी पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

लंबित मामलों के निस्तारण पर विशेष अभियान को विशेष महत्व दिया गया। सचिव (औषध) ने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की और सभी अनुभागों/प्रभागों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और कार्यालय के कमरों और गलियारों की सफाई सहित भौतिक फाइलों की समीक्षा की जाए। अभियान के तहत दैनिक आधार पर विभिन्न गतिविधियों के साथ सचिव ने व्यक्तिगत रूप से शास्त्री भवन और जनपथ भवन दोनों में विभिन्न कार्यालय कक्षों का दौरा किया और अभियान की प्रगति की समीक्षा की एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक के दौरान विशेष अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों/गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और आईएमसी के सभी लंबित संदर्भों को समय पर और प्रभावी रूप से निपटाने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। 30 सितंबर, 2021 को लंबित पाई गई जन शिकायतों की संख्या के अतिरिक्त, सभी जन शिकायतों को प्राप्त होने पर उनका समाधान करने का भी प्रयास किया जा रहा था। इसी प्रकार, जहां भी संभव हुआ, सभी प्रभागों/अनुभागों को लंबित संसदीय आश्वासनों को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

निर्धारित लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का सारांश इस प्रकार है:

तालिका -1ज
(लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का सारांश)

क्रमांक	मद	लक्ष्य	उपलब्धि	
			प्राप्त	लंबित
1.	एमपी संदर्भ	22	22	
2.	संसदीय आश्वासन	20	4 आईआर अपलोड किया गया	16
3.	आईएमसी संदर्भ	2	2	
4.	जन शिकायतें	46	46	

5.	**फ़ाइल प्रबंधन:**			
	क. समीक्षा के लिए भौतिक फाइलों की कुल संख्या	8020	8020	
	ख.पुरानी फाइलें हटाई गई	4900	4900	
6.	स्वच्छता अभियान	12	12	
7.	सरलीकरण के नियम	0	0	
8.	पीजी अपील	0	0	

विशेष अभियान, विशेष रूप से स्वच्छता अभियान- "स्वच्छता अभियान" के प्रभाव को दर्शाने वाली कुछ तस्वीरें निम्नलिखित पृष्ठों में दिखाई गई हैं।

कमरा नंबर जी-25, शास्त्री भवन

कमरा नंबर 218ए, शास्त्री भवन

1.8 औषध विभाग की "कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु दक्षता में सुधार" के लिए इंटरएक्टिव सत्र 2021

30 अक्टूबर 2021 को सुषमा स्वराज भवन, डॉ जेपी रिजाल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में औषध विभाग की "कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु दक्षता में सुधार" के लिए इंटरएक्टिव सत्र 2021 का आयोजन किया गया।

इंटरएक्टिव सत्र में पूर्ण सत्र के बाद प्रेरक सत्र, तकनीकी सत्र और सचिव द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत शामिल थी। पूर्ण सत्र के दौरान, सचिव ने गैर-पदानुक्रमित, ऑफ-साइट वातावरण में, प्रत्येक क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ गुजरात सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे चिंतन शिविरों का अनुभव भी साझा किया। अपने कामकाज में सुधार और व्यक्तिगत कर्मचारियों के मुख्य परिणाम क्षेत्रों की निगरानी के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा उनकी कार्य संस्कृति के हिस्से के रूप में एक अभ्यास का पालन किया जाता है। कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित करते हुए, विशेष रूप से विशिष्ट मॉड्यूल पर यंग प्रोफेशनल के लिए, सचिव ने कार्य संस्कृति में सुधार के लिए "ईपीएम" का पालन करने का भी सुझाव दिया, जहां 'ई' का अर्थ कुशल, 'पी' का अर्थ प्रोएक्टिव और 'एम' का अर्थपूर्ण कार्य करना है। इस तरह के इंटरएक्टिव सत्र भविष्य में आयोजित करने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई।

प्रेरक सत्र के दौरान, श्री अरुण गौड़, संसाधक ने प्रेरक कारकों और एक व्यक्ति को कैसे प्रेरित किया जा सकता है, के बारे में बताया। प्रेरणा के लिए एक व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों से उच्च ऊर्जा स्तर की आवश्यकता होती है और जब चुनौतियां होती हैं, तो व्यक्ति को प्रेरित होने का कारण होना चाहिए। ये केवल आर्थिक विचार, सामाजिक सुरक्षा या संबंधों में गर्मजोशी ही नहीं थे, बल्कि भावनात्मक पूर्ति की आवश्यकता भी थी। एक प्रेरित व्यक्ति का मस्तिष्क कई अन्य चुनौतियों के बावजूद भी उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तैयार रहता है।

इसके बाद दो समानांतर सत्र - एक सहायक अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए सामान्य कार्यालय प्रक्रिया और नियम जैसे आचरण नियम, सतर्कता और आरटीआई मामले और दूसरा निजी सहायक/निजी सचिव और कार्यालय प्रबंधन पर सहायक कर्मचारियों के लिए दो संसाधकों श्री रविंदर कुमार और श्री अरुण गौर क्रमशः द्वारा आयोजित किए गए। विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने नियम और कार्यालय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मामलों पर संसाधकों के साथ जीवंत और विस्तृत बातचीत की।

(इंटरएक्टिव सत्र 2021 के दौरान ली गई एक फोटो)

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 औषध विभाग का अधिदेश

2.2 विजन

2.3 मिशन

2.4 संगठनात्मक ढांचा

2.5 संबद्ध कार्यालय

2.6 पंजीकृत सोसायटी

2.7 स्वायत्त संस्थान

2.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 औषध विभाग का अधिदेश

औषध विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करना अपेक्षित था।

औषध विभाग को निम्ननलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

(i) औषध और भेषज, अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मदों के अतिरिक्त।
(ii) चिकित्सा उपकरण - संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित उद्योग मुद्दे, अलावा अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दे।
(iii) औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधानों का संवर्धन और समन्वय।
(iv) औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।
(v) औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृतियां प्रदान करना और सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान शामिल है।
(vi) औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
(vii) औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
(viii) विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।
(ix) औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता।
(x) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण/मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।
(xi) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले।
(xii) विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता।
(xiii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(xiv) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।
(xv) इंडियन ड्रग्सं एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(xvi) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(xvii) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

विभाग का काम मुख्यतः मूल्य-निर्धारण, नीति, स्कीम, नाईपर, पीएसयू और चिकित्सा उपकरण प्रभाग में बांटा गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।

2.2 विजन

गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय फार्मा को संवधीन करना तथा देश में दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुगमयता तथा वहनीयता सुनिश्चित करना।

2.3 मिशन

- औषध क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
- महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया बनाना

- उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
- स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन और
- जन औषधि योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

2.4. संगठनात्मक ढांचा

विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है जिसे दो संयुक्त सचिवों एवं एक आर्थिक सलाहकार द्वारा सहायता दी जाती है।

विभाग के पास विभिन्न अधिदेशित कार्यकलापों एवं उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए 13 प्रभाग हैं। विभिन्न प्रभागों का सारांश नीचे दिया गया है:

(क) एकीकृत वित्तीय प्रभाग (आईएफडी)- व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना, व्यय का युक्तीकरण सुनिश्चित करना और मासिक/तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित निगरानी सहित व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार आर्थिक उपायों का अनुपालन तथा संबंधितों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ख) मूल्य निर्धारण प्रभाग- प्रशासनिक/स्थापना बजटीय मामले/निधि जारी करने आदि सहित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से संबंधित सभी मामले; एनपीपीए आदेशों के विरूद्ध समीक्षा मामले; डीपीईए निधियों का प्रशासन; डीपीसीओ का प्रशासन और औषध मूल्य निर्धारण नीति एवं औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मुद्दे।

(ग) नीति प्रभाग- मूल्य निर्धारण नीति के अतिरिक्त सभी नीतिगत मामले; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों का प्रसंस्करण; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डब्ल्यूटीओ/टीआर आईपीएस/पेटेंट्स आदि से संबंधित कोई अन्य मामले तथा व्यापार करार; विभिन्न देशों के संयुक्त कार्यकारी समूह, क्षेत्रीय समूह आदि; वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मामले; औषध एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश से संबंधित मुद्दे।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)- औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) से संबंधित सभी मामले।

(ङ) नाईपर प्रभाग- औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से संबंधित सभी मामले।

(च) योजना प्रभाग- योजनाओं का आंतरिक समन्वय; "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)" योजना का कार्यान्वयन; "औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)" का कार्यान्वयन; चिकित्सा उपकरणों हेतु पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; बल्क ड्रग हेतु पीएलआई योजना का कार्यान्वयन; औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) का कार्यान्वयन; साझा सुविधाओं हेतु औषध उद्योग की सहायता योजना का कार्यान्वयन।

(छ) चिकित्सा उपकरण प्रभाग- चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा उपकरण उपयोग से संबंधित सभी मामले जिसमें संवर्धन, उत्पादन एवं निर्माण शामिल है; "साझा सुविधा केन्द्रों के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता" योजना का कार्यान्वयन।

(ज) राजभाषा- भारत सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन जिसमें राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा (संघ के कार्यालयी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेश।

(झ) स्थापना एवं प्रशासनिक प्रभाग- निर्विग्न कार्यालय संचालन, गृह व्यवस्था सेवाओं, कार्यालयी उपकरणों का रखरखाव जिसमें एयर कंडिश्नर, फोटोकापियर आदि शामिल हैं, वार्षिक रिपोर्ट की प्रिंटिंग, मेजबान सेवाओं के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन के प्रावधान से व्यवहार करने वाली स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), रोकड़ एवं प्रशासन संबंधी सभी मामले। स्थापना औषध विभाग के अधिकारियों/पदाधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों का कार्य करती है।

(ञ) संसद प्रभाग- परामर्शदात्री समिति, स्थायी समिति, संसदीय आश्वासन आदि से संबंधित सभी मामले और साथ ही संसदीय प्रश्नों का केन्द्रीकृत संचालन जैसे प्रश्नों को चिह्नित करना, संयुक्त सचिव/सचिव द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात प्रश्नों का संचालन, मंत्री से अनुमोदन लेना और लोक सभा/राज्य सभा/पीआईबी आदि को आवश्यक प्रतियां प्रस्तुत करना।

(ट) समन्वय प्रभाग- इंट्रा एवं आंतरिक विभाग, आरटीआई, विभागीय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित समन्वय के सभी मामले।

(ठ) सतर्कता प्रभाग- सतर्कता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व संबंधी सभी मामले

2.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार औषध विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/दिव्यांगों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से है:-

तालिका-2क
(विभाग में अ.ज./अ.ज.ज. नियुक्ति की स्थिति)

समूह	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कार्यरत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	दिव्यांग
क	26	21	4	2	1	-
ख	48	26	3	3	7	-
ग	18	16	5	-	5	-
कुल	92	63	12	5	13	-

समूह 'क' के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और अन्य विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले अधिकारियों के अलावा केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी शामिल हैं। समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर नियुक्ति मुख्यत: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है। (विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक 2क में दिया गया है)

2.6. संबद्ध कार्यालय

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण- विभाग के संबद्ध कार्यालय एवं कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्म्युलेशनों के मूल्यों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण के साथ-साथ डीपीसीओ के विभिन्न प्रावधानों की निगरानी एवं प्रवर्तन भी शामिल हैं। एनपीपीए औषध नीति में सरकार को दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और सुगमता के मुद्दों पर इनपुट भी प्रदान करता है।

2.7. पंजीकृत सोसायटी

फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई)- जिसे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था - दिनांक 1 दिसंबर 2008 को औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य औषध विभाग द्वारा आरंभ की गई जन औषधि योजना को लागू करने हेतु केंद्रित और सशक्त संरचना प्रदान करना है।

2.8. स्वायत्त संस्था

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान(नाईपर)- एसएएस नगर (मोहाली) में नाईपर की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई थी; तदनंतर संसद के अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 द्वारा संस्थान को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई थी और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में संवर्धक संस्थानों की मदद से छ: और नए नाईपर आरंभ किए गए।

2.9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम- विभाग के पास अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। जो इस प्रकार हैं

(क) इंडिया ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड (आईडीपीएल), डुंडहेड़ा औद्योगिक परिसर, डुंडहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा
(ख) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), पुणे, महाराष्ट्र
(ग) कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बंगलौर, कर्नाटक
(घ) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीपीसीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल
(ङ) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), रोड नं. 12, वी के 1 एरिया, जयपुर

अनलग्नक-2क

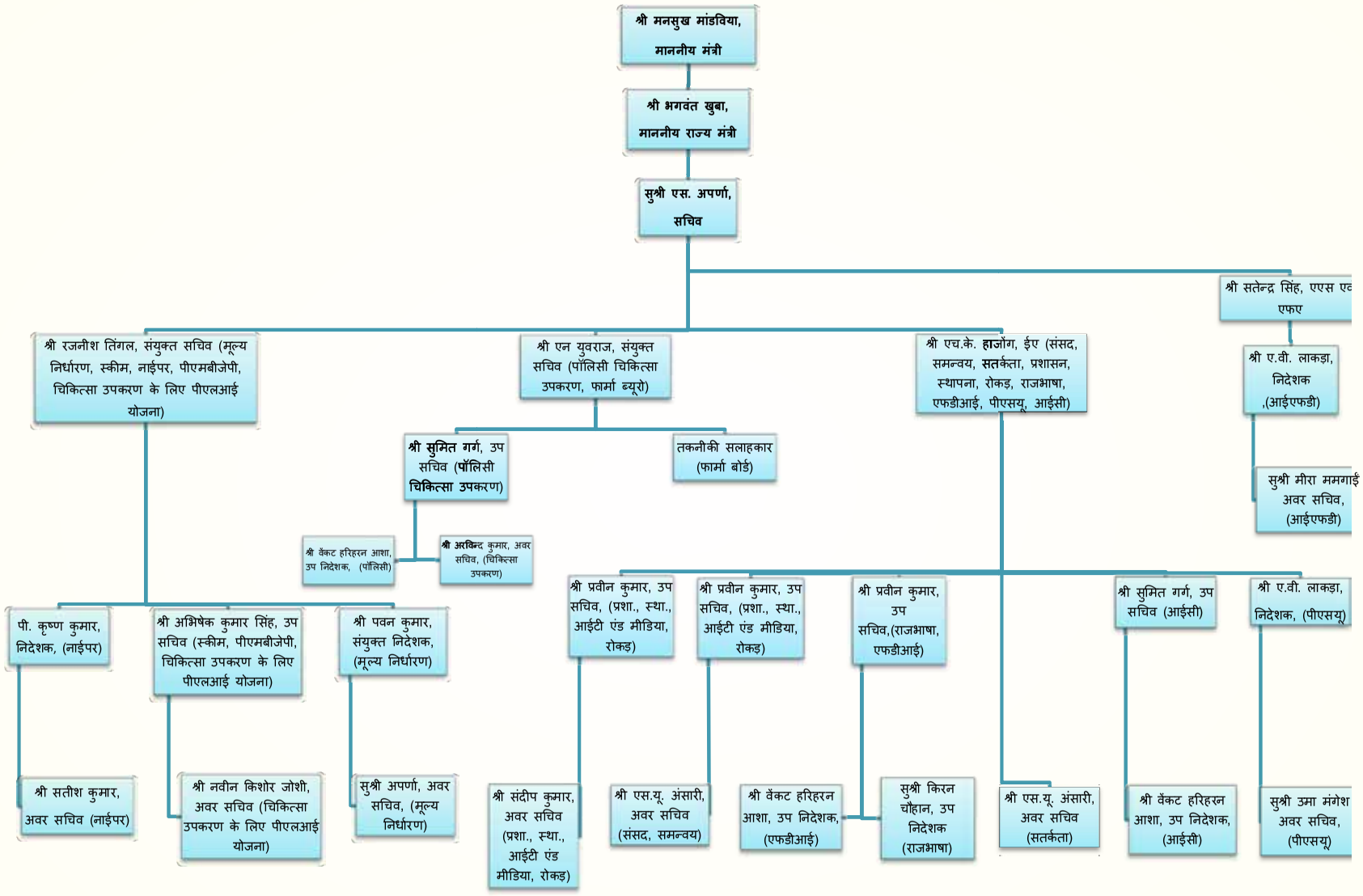
श्री मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री
श्री भगवंत खुबा, माननीय राज्य मंत्री
सुश्री एस. अपर्णा, सचिव
श्री सतेन्द्र सिंह, एएस एवं एफए
श्री ए.वी. लाकड़ा, निदेशक ,(आईएफडी)
सुश्री मीरा ममगाई अवर सचिव, (आईएफडी)
श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव (मूल्य निर्धारण, स्कीम, नाईपर, पीएमबीजेपी, चिकित्सा उपकरण के लिए पीएलआई योजना)
श्री एन युवराज, संयुक्त सचिव (पॉलिसी चिकित्सा उपकरण, फार्मा ब्यूरो)
श्री एच.के. हाजोंग, ईए (संसद, समन्वय, सतर्कता, प्रशासन, स्थापना, रोकड़, राजभाषा, एफडीआई, पीएसयू, आईसी)
श्री सुमित गर्ग, उप सचिव (पॉलिसी चिकित्सा उपकरण)
तकनीकी सलाहकार (फार्मा बोर्ड)
श्री वेंकट हरिहरन आशा, उप निदेशक, (पॉलिसी)
श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, (चिकित्सा उपकरण)
पी. कृष्ण कुमार, निदेशक, (नाईपर)
श्री अभिषेक कुमार सिंह, उप सचिव (स्कीम, पीएमबीजेपी, चिकित्सा उपकरण के लिए पीएलआई योजना)
श्री पवन कुमार, संयुक्त निदेशक, (मूल्य निर्धारण)
श्री प्रवीन कुमार, उप सचिव, (प्रशा., स्था., आईटी एंड मीडिया, रोकड़)
श्री प्रवीन कुमार, उप सचिव, (प्रशा., स्था., आईटी एंड मीडिया, रोकड़)
श्री प्रवीन कुमार, उप सचिव,(राजभाषा, एफडीआई)
श्री सुमित गर्ग, उप सचिव (आईसी)
श्री ए.वी. लाकड़ा, निदेशक, (पीएसयू)
श्री सतीश कुमार, अवर सचिव (नाईपर)
श्री नवीन किशोर जोशी, अवर सचिव (चिकित्सा उपकरण के लिए पीएलआई योजना)
सुश्री अपर्णा, अवर सचिव, (मूल्य निर्धारण)
श्री संदीप कुमार, अवर सचिव (प्रशा., स्था., आईटी एंड मीडिया, रोकड़)
श्री एस.यू. अंसारी, अवर सचिव (संसद, समन्वय)
श्री वेंकट हरिहरन आशा, उप निदेशक, (एफडीआई)
सुश्री किरन चौहान, उप निदेशक (राजभाषा)
श्री एस.यू. अंसारी, अवर सचिव (सतर्कता)
श्री वेंकट हरिहरन आशा, उप निदेशक, (आईसी)
सुश्री उमा मंगेश अवर सचिव, (पीएसयू)

अध्याय 3

कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियां

3.1 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

3.3 फार्मा ब्यूरो और विभाग द्वारा फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहल

अध्याय 3

कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियां

3.1 विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

विभाग की चार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, नामतः (क) प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), (ख) उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम), (ग) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) और (घ) औषध उद्योग का विकास, एकछत्र योजना। पीएमबीजेपी योजना को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसायटी है। सीएपीपीएम राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है। शेष दो योजनाएं नामतः नाईपर योजना और औषध उद्योग का विकास प्रत्यक्ष रूप से विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। प्रत्येक योजना का विवरण इस प्रकार है:

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए एकछत्र योजना

विभाग की एकछत्र योजना है जिसका नाम 'औषध उद्योग का विकास' है। इसका उद्देश्य घरेलू औषध उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है ताकि वे वैश्विक बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभा सके और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए गुणवत्तापूर्ण औषध की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित कर सके। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:

(क) भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
(ख) बल्क औषधि पार्कों को बढ़ावा देना
(ग) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
(घ) चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना
(ड.) औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
(च) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)
(छ) साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)
(ज) औषध संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)

उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट https://pharmaceuticals.gov.in/schemes पर उपलब्ध हैं। ईएफसी ने एकछत्र योजना से उप-योजनाओं (च) से (ज) को अलग करने और उन्हें एक अलग योजना के रूप में लागू करने की सिफारिश की है।

3.2.1 भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और महत्वपूर्ण एपीआई में आयात निर्भरता को कम करने की दृष्टि से, भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए "उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" नामक एक उप-योजना को 20.03.2020 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके पहचाने गए केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और इस तरह महत्वपूर्ण एपीआई में भारत की आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्रारंभ में दिनांक 27.07.2020 को जारी किए गए थे। हालांकि, निवेशकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर,

दिशानिर्देशों को दिनांक 29.10.2020 को संशोधित किया गया था।

इस योजना में निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत 41 उत्पाद शामिल हैं-

(i) लक्ष्य खंड I - प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
(ii) लक्ष्य खंड II - प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
(iii) लक्ष्य खंड III - रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
(iv) लक्ष्य खंड IV - अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती/एपीआई

योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए है। योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन छह वर्षों के लिए 41 चिन्हित उत्पादों की बिक्री पर नीचे दी गई दरों पर प्रदान किया जाएगा:

(i) किण्वन आधारित उत्पादों के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 20% प्रोत्साहन, 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 15% और 2028-29 के लिए प्रोत्साहन 5% होगा।

(ii) रसायन के लिए संश्लेषण आधारित उत्पाद, वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 10% होगा।

कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 32 उत्पादों के लिए 49 आवेदकों का चयन किया गया है।

दिसंबर 2021 तक के वास्तविक निवेश का विवरण इस प्रकार है:

तालिका-3क
(खंड अनुसार निवेश का विवरण)

क्र. सं.	लक्ष्य खंड	स्वीकृत कुल आवेदक	कुल प्रतिबद्ध निवेश (रूपये करोड़ में)	दिसंबर, 2021 तक वस्तविक निवेश (रूपये करोड़ में)
1	मुख्य किण्वन आधारित केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती	3	2114.17	22.91
2	किण्वन आधारित आला केएसएम/ औषधि मध्यवर्ती/एपीआई	6	357.27	35.31
3	मुख्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती	5	334.34	165.19
4	अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती/एपीआई	35	879.60	551.47
	कुल	**49**	**3685.38**	**774.88**

दो दौर में स्वीकृत 49 आवेदनों में से तीन परियोजनाओं को निम्नानुसार चालू किया गया है:

i. एम्मेनार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड-(उत्पाद- साइक्लोहेक्सेन डायएसेटिक एसिड): 21.94 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश और प्रतिबद्ध उत्पादन क्षमता 1500 मीट्रिक टन है।
ii. सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (उत्पाद- एट्रोवास्टेटिन): 137.74 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश और प्रतिबद्धता उत्पादन क्षमता 18 मीट्रिक टन है।
iii. मेघमनी एलएलपी (उत्पाद- पैरा एमिनो फिनोल): 55.06 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश और प्रतिबद्ध उत्पादन क्षमता 13500 मीट्रिक टन है।

3.2.2 बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन के लिए योजना

बल्क औषध की निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह बल्क औषधि में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्कों में स्थित बल्क औषधि इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने व देश में बल्क औषधि पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देकर घरेलू बल्क औषधि उद्योग

की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए दिनांक 20.03.2020 को भारत सरकार द्वारा "बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन" नामक एक योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना को राजपत्र अधिसूचना संख्या- 31026/16/2020-नीति दिनांक-21.07.2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। योजना के दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 को जारी किए गए थे।

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रु. है। योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है। चयनित बल्क औषध पार्क को सामान्य आधारभूत सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% वित्तीय सहायता होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। योजना के तहत एक बल्क औषध पार्क के लिए अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

इस योजना में विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है ताकि पार्कों में स्थित थोक दवा इकाइयों के लिए विश्व स्तर की सामान्य बुनियादी सुविधाओं की आसान पहुंच द्वारा भारतीय थोक दवा उद्योग को वैश्विक नेता बनाया जा सके ताकि सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से उद्योग की कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में मदद मिले और संसाधनों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूलन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का दोहन किया जाए। इस योजना के तहत कुल 13 राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनका वर्तमान में परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

3.2.3 औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य की वस्तुओं के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, दिनांक 24.03.2021 को भारत सरकार द्वारा "औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना" नामक एक योजना को मंजूरी दी गई है। योजना को राजपत्र अधिसूचना संख्या - 31026/60/2020- नीति दिनांक - 03.03.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। योजना के दिशानिर्देश 01.06.2021 को जारी किए गए थे। इस योजना में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत औषध सामग्री शामिल है।

श्रेणी-1: बायोफार्मास्युटिकल्स; जटिल जेनेरिक दवाइयां; पेटेंट की गई दवाइयां या दवाइयां जो पेटेंट की समाप्ति के करीब हैं; सेल आधारित या जीन थेरेपी दवाइयां; ऑर्फन दवाइयां; विशेष खाली कैप्सूल जैसे एचपीएमसी, पुलुलान, एंटेरिक आदि; जटिल एक्सपिडेंट; फाइटो-फार्मास्युटिकल्स; यथा स्वीकृत अन्य दवाइयां।

श्रेणी-2: सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री/प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडिएट।

श्रेणी-3: (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत कवर नहीं की गई दवाइयां): पुन: उपयोग की जाने वाली दवाइयां; स्व-प्रतिरक्षा दवाइयां, कैंसर रोधी दवाइयां, मधुमेह रोधी दवाइयां, संक्रामक रोधी दवाइयां, कार्डियोवैस्कुलर दवाइयां, साइकोट्रॉपिक दवाइयां और एंटी-रेट्रोवायरल दवाइयां; इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरण; यथा अनुमोदित अन्य दवाइयां; अन्य दवाइयां जो भारत में विनिर्मित नहीं होती हैं।

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये और योजना के तहत तीन श्रेणियों के फार्मास्युटिकल सामानों को उनकी 6 साल की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2028-29 तक है।

यह योजना उभरते हुए उपचारों और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों के उत्पादों सहित जटिल और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के विकास के लिए नवाचार को बढ़ावा देगी। इससे देश में उच्च मूल्य के औषध उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में उच्च मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आबादी के लिए ओर्फन दवाओं सहित चिकित्सा उत्पादों की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार की भी उम्मीद है।

योजना के परिचालन दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2021 को जारी किए गए थे। इसके पश्चात, व्यापक प्रसार के साथ-साथ स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, उद्योग संघों के साथ-साथ कंपनियों सहित संबंधित हितधारकों के साथ पहुंचवाहय सत्रों के कई दौरे आयोजित किए गए।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2021 थी। कुल 278 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से

55 आवेदकों का चयन किया गया है।

3.2.4 भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)

उप-योजना का उद्देश्य पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) को ब्याज सहायता प्रदान करना है, जिनके पास जीएमपी अनुपालन विनिर्माण सुविधाएं (बल्क दवाओं और औषध निर्माण दोनों के लिए) हैं और शेड्यूल-एम से विश्व में माइग्रेट करने के लिए एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)/अच्छे विनिर्माण व्यवहार (जीएमपी) मानकों को वैश्विक बाजारों में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम बनाता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण के के समक्ष ब्याज सहायता के रूप में सहायता प्रदान करके प्राप्त किया जाएगा। अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों में अद्यतन करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए एक वित्तीय संस्थान से ऋण सुरक्षित करना होगा। प्रौद्योगिकी/बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए ऋण पर ब्याज सहायता की ऊपरी सीमा कम करने के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए 5% (विशेष मामलों में 6%) प्रति वर्ष तक सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए पात्र अधिकतम ऋण ₹ 10 करोड़ प्रति लाभार्थी है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन के अधिग्रहण से वे गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार औषध उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम होंगे जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी।

3.2.5 साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)

यह उप-योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में लागू की गई है। इस योजना के तहत साझी सुविधाओं जैसे कि साझे परीक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, केंद्रीय अपशिष्ट उपचार योजना (सीईटीपी), साझे लजिस्टिक केंद्र, आदि के विनिर्माण के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा है 20.00 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना की लागत का 70% जो भी कम हो। सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति (एसएससी) को परियोजना के घटकों और प्रस्ताव के वित्तपोषण को मंजूरी देने का अधिकार है।

योजना का उद्देश्य:

(i) भारतीय औषध उद्योग को औषध क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को मजबूत करना।

(ii) बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए साझी विश्व स्तरीय सुविधाओं के विनिर्माण के माध्यम से घरेलू औषध उद्योग में विशेष रूप से एसएमई के लिए मानक परीक्षण सुविधाओं और मूल्यवर्धन के लिए आसान पहुंच।

(iii) सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से उद्योग को कम लागत पर पर्यावरण के मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना।

(iv) संसाधनों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूलन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का उपभोग करना।

वर्ष 2021-22 के लिए कुल 18.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चेन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) की एक परियोजना, तमिलनाडु के अलाथुर में सीईटीपी स्थापित करने के लिए पूरी हो गई है। परियोजना की कुल लागत 10.59 रुपए करोड़ थी। प्लांट चालू कर दिया गया है।

दो नए परियोजना प्रस्तावों को 31.03.2021 को अंतिम स्वीकृति दी गई है जो निम्न है:

(i) 31.44 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर पुणे, महाराष्ट्र में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए इंडुकेयर फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन (आईपीआरएफ) का प्रस्ताव। पहली किस्त के रूप में 5.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ii) कला अंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (केआईडीसी) का औद्योगिक क्षेत्र काला अंब तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 7.20 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

(सीईटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव। दो किस्तों में 3.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

तीन अन्य प्रस्तावों को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन दिया गया है, जो निम्न है:

(i) 29.91 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जीदीमेटला एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लिमिटेड (जेईटीएल) का प्रस्ताव।

(ii) जीदीमेटला, हैदराबाद में "उन्नत विश्लेषणात्मक परीक्षण सुविधा और प्रशिक्षण केंद्र" स्थापित करने के लिए बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया) का प्रस्ताव।

(iii) सिरमौर ग्रीन एनवाय 'रन लिमिटेड (एसजीईएल) का औद्योगिक क्षेत्र गोंडपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव।

मैसर्स चेन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) द्वारा संचालित अलाथुर, तमिलनाडु में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)

मैसर्स कला अंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (केडीआईसी), सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)

इंदुकेयर फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन (आईपीआरएफ), पुणे, महाराष्ट्र का साझा सुविधा केंद्र

3.2.6 औषधि संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)

इस योजना का उद्देश्य निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही निवेश, अध्ययन / परामर्श आयोजित करने, विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनियों, बढ़ते प्रतिनिधिमंडलों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात के साथ-साथ फार्मा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे है। पीपीडीएस के तहत फार्मास्युटिकल विभाग स्वयं या वित्तीय सहायता के माध्यम से संस्थानों, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता के माध्यम से जीएफआर 2017 के नियम 228 में उल्लिखित है।

(i) औषध उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दों/विषयों पर प्रशिक्षण/ज्ञान सुधार कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित करना।

(ii) भारत और विदेशों में सम्मेलनों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, फार्मेसी सप्ताहों, बैठकों आदि का आयोजन करना और फिल्मों, प्रदर्शनों आदि जैसी प्रचार सामग्री का उत्पादन करना।

(iii) अनुसंधान अध्ययन, सेक्टर रिपोर्ट आदि का संचालन करना।

(iv) सूचना डेटा बैंक विकसित करने, ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित करने आदि के लिए किताबें, गुणवत्ता मानक, फार्माकोपिया, पत्रिकाएं, निर्देशिकाएं, सॉफ्टवेयर खरीद।

(v) दवा उद्योग में उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कार देना।

(vi) औषध/मेडिकल डिवाइस और संबंधित क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना।

(vii) किसी भी अन्य गतिविधि के लिए जो उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, जो समय-समय पर औषध

विभाग द्वारा तय की जा सकती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान औषध उन्नयन एंड विकास योजना (पीपीडीएस) के तहत 112 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यशालाओं/सम्मेलनों और आयोजित वेबिनार के मद में हुए व्यय पर पिछले पांच वर्षों का वित्तीय विवरण इस प्रकार है:

तालिका-3ख

(कार्यशालाओं/सम्मेलनों और वेबिनार का वर्षवार वित्तीय विवरण)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	आयोजित कार्यशालाएं/ सम्मलेन/ वेबिनार
2016-17	2.00	1.25	1.14	32
2017-18	2.00	1.50	1.00	36
2018-19	2.00	1.00	0.55	12
2019-20	2.00	1.19	1.06	22
2020-21	1.00	0.50	0.50	10 वेबिनार, 2 अध्ययन

वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग ने औषध और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में 10 अध्ययनों की पहचान की है जिनका संचालन प्रस्तावित है और इसके लिए आरएफपी जारी किया है। विभाग पीपीडीएस योजना के तहत वार्षिक इंडियन फार्मा और मेडिकल डिवाइस इवेंट भी आयोजित करता है।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 24 सितंबर, 2021 को अपनी बैठक में तीन उप-योजनाओं, अर्थात पीटीयूएएस, एपीआई-सीएफ और पीपीडीएस को पांच साल की अवधिअर्थात 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अलग योजना के रूप में मंजूरी दी है।

ई-सिम्पोजियम की फोटो

3.2.7 चिकित्सा उपकरण पार्क को बढ़ावा देने के लिए योजना

इस योजना को पहले "साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" कहा जाता था, जिसके अंतर्गत विभाग ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड), आंध्र प्रदेश की परियोजना को "साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता" उप-योजना के तहत 25 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉइल परीक्षण एवं अनुसंधान सुविधा के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, विभाग ने दिसंबर, 2021 तक एएमटीजेड को 14.99 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया

है।

इस योजना का संशोधित नाम "चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना" है। इस योजना का उद्देश्य बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादन लागत में कमी और चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरण पार्कों में विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है, इस प्रकार चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है। योजना के दिशानिर्देश 27.07.2020 को जारी किए गए थे। यह योजना चिकित्सा उपकरण पार्कों को प्रति पार्क 100 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा या सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70%, जो भी कम हो, के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। सरकार ने दिनांक 24.09.2021 के पत्र के माध्यम से 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों अर्थात हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं के लिए सैद्धांतिक रूप से वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, इस योजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है। इन राज्यों द्वारा प्रदान की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है। राज्य सरकार पार्क के लिए भूमि और आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति आदि तक पहुंच प्रदान करेगी।

3.2.8 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

घरेलू चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र अन्य बातों के अलावा, विनिर्माण में अक्षमता की विचारणीय लागत से जूझ रहा है, जिसके कारण हैं: पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और संभारतंत्र की कमी, उच्च वित्तीय लागत, गुणवत्ता शक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता, सीमित डिजाइन क्षमताएं, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर कम निवेश। भारत में अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, "चिकित्सा उपकरणो के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना" नामक योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020, को अनुमोदित की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश दिनांक 29.10.2020 को जारी किये गये थे।

यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू होगी और इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। 3,420 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना का कार्यकाल 2020-21 से 2027-28 तक होगा। योजना के अंतर्गत भारत में विनिर्मित वस्तुओं और योजना के लक्ष्य क्षेत्रों में कवर किए गए चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर चयनित कंपनियों को पांच वर्ष वर्षों की अवधि के लिए 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत उत्पादों को निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैं-

(i) कैंसर केयर/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण

(ii) रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण एवं गैर-आयनीकरण रेडिएशन उत्पाद दोनों) और न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरण

(iii) कार्डियो रेस्पीरेटरी श्रेणी के कैथेटर्स सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पीरेटरी चिकित्सा उपकरण

(iv) इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित सभी इम्प्लांट्स ।

योजना के तहत दो दौर में कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 21 आवेदनों को 1059.33 करोड़ रुपए के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है।

दिसंबर 2021 तक के वास्तविक निवेश का विवरण इस प्रकार है:

तालिका - 3ग

(खंड के अनुसार निवेश का विवरण)

क्र. सं.	लक्ष्य खंड	स्वीकृत कुल आवेदक	कुल प्रतिबद्ध निवेश (रूपये करोड़ में)	दिसंबर तक का कुल वस्तविक निवेश (रूपये करोड़ में)

1	कैंसर देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा/ उपकरण	1	24.50	1.06
2	रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और परमाणु इमेजिंग उपकरण	7	372.14	7.81
3	एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-श्वसन चिकित्सा उपकरण जिनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैथेटर और रीनल केयर मेडिकल डिवाइस शामिल हैं	7	354.50	121.68
4	प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी प्रत्यारोपण	6	308.19	36.72
	कुल	**21**	**1059.33**	**167.27**

3.3 फार्मा ब्यूरो और विभाग द्वारा फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहल

3.3.1 फार्मा ब्यूरो

- फार्मा ब्यूरो निवेशकों को औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अपने अंतर-विभागीय समन्वय मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
- इसके पास निम्नलिखित क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ हैं:-
  - i. औषध
  - ii. चिकित्सा उपकरण
  - iii. परियोजना प्रबंधन
  - iv. कानूनी
  - v. एफडीआई
- फार्मा ब्यूरो उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को तैयार करने के लिए औषध विभाग को नीति सहयोग भी प्रदान करता है।
- फार्मा ब्यूरो सर्वाधिक गहन बाधाओं को दूर करके औषध और चिकित्सा उपकरणों क्षेत्रों के उद्यमियों के शामिल होने, उनकी उत्पादकता और संतुष्टि को बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह विभाग के परियोजना विकास प्रकोष्ठ के रूप में भी काम करता है।

3.3.2 सार्वजनिक खरीद नीति में घरेलू विनिर्माताओं को वरीयता

औषध विभाग सार्वजनिक खरीद में खरीद वरीयता प्रदान करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आदेश के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश दिनांक 16.09.2020 के अनुसार, विभाग ने 16.02.2021 को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के आदेश के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में विभाग ने दिनांक 30.12.2020 को औषधि क्षेत्र के लिए आदेश के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।

विभाग ने आदेश दिनांक 16.02.2021 और 25.03.2021 के माध्यम से पीपीओ आदेश दिनांक 16.09.2020

के पैरा 3 (क) के तहत क्रमशः 135 और 19 चिकित्सा उपकरणों को भी अधिसूचित किया है, जहां कहीं भी देश में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है। इससे इन अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों की खरीद केवल "श्रेणी- I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं" से ही हो सकेगी।

3.3.3 चिकित्सा उपकरणों का विनियमन

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र काफी हद तक अनियंत्रित रहा है और सरकार सभी चिकित्सा उपकरणों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियामक ढांचे के तहत लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा उपकरणों के विनियमन को प्रभावी करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के तहत चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 जारी किया। चूंकि चरणबद्ध विनियमन की अपनी प्रारंभिक चुनौतियां हैं, इसलिए औषध विभाग चिकित्सा उपकरण उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, चूंकि चिकित्सा उपकरणों को विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए भी विनियमित किया जाता है, इसलिए विभाग ऐसे सभी नियामकों के साथ व्यापार करने में आसानी और क्षेत्र के लिए अनुपालन बोझ में कमी की भावना से जुड़ा रहता है।

इसके अलावा, उद्योग की विविध प्रकृति के कारण जिसमें घरेलू निर्माता और चिकित्सा उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता दोनों शामिल हैं, इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचारों की विविधता होना स्वाभाविक है। तदनुसार, इस तरह के मुद्दों पर क्षेत्र के बड़े लाभ के लिए आम सहमति दृष्टिकोण का पालन करने के लिए, विभाग ने विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए "चिकित्सा संघों के स्थायी मंच" का गठन किया है जो विभाग द्वारा इसे संदर्भित किया जाता है और नीति के एक सेट पर पहुंचने के लिए जो बदले में विभाग को नियामक प्राधिकरणों सहित हितधारकों की व्यापक श्रेणी के साथ परामर्श करने में सक्षम बनाता है।

3.3.4 मेडिकल डिवाइसेस मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए यूनिफ़ॉर्म कोड

उद्योग लगातार फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए यूनिफ़ॉर्म कोड के बजाय मेडिकल डिवाइसेस के मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए एक अलग कोड रखने की मांग उठा रहा है, जो मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल ड्रग्स को पूरा करता है। चिकित्सा उपकरण विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (यूसीएमडीएमपी) हितधारकों के साथ परामर्श के अधीन है जिसके बाद इसे कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.3.5 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है। एक राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति (एनएमडीपी) उद्योग को एक दिशा और निश्चितता देगी और इस क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी। यह विभाग को इस क्षेत्र के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण रखने में भी सक्षम करेगा। एनएमडीपी का मसौदा हितधारकों के साथ सक्रिय परामर्श के अधीन है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य आत्म-संधारणीयता और नवाचार पर ध्यान सुनिश्चित करते हुए पहुंच, सामर्थ्य, सुरक्षा और गुणवत्ता के अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना होगा। यह नीति क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को कवर करके अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सक्षम के रूप में कार्य करेगी।

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

4.1 योजना की पृष्ठभूमि

4.2 पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान की गई प्रगति

4.3 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां

4.4 जन औषधि दिवस समारोह

4.5 आज़ादी का अमृत महोत्सव

4.6 एकता दिवस सप्ताह - 2021

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

4.1 पृष्ठभूमि

देश के विश्व में जेनेरिक दवाओं के प्रमुख निर्यातकों में से एक होने के बावजूद, अधिकांश भारतीयों तक सस्ती दवाओं की पर्याप्त पहुंच नहीं है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं को उनके गैर-ब्रांडेड जेनेरिक समकक्षों की तुलना में काफी अधिक कीमत पर बेचा जाता है, हालांकि इनका चिकित्सीय महत्व समान है।

सभी को, विशेष रूप से गरीब और वंचित क्षेत्रों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, इस विभाग द्वारा वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, लोगों को जेनरिक दवाइयां प्रदान करने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) नामक समर्पित दुकानें खोली गईं। पहला जन औषधि केंद्र 25.11.2008 को अमृतसर, पंजाब में खोला गया था। यह योजना शुरू नहीं हुई और 31.03.2014 तक केवल 80 स्टोर कार्य कर रहे थे।

वर्ष 2015 में, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित सचिवों की समिति ने सिफारिश की थी कि "जन औषधि केंद्र" का विस्तार किया जाना चाहिए।

तदनुसार फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल अपनाया गया था और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में एक गहन मीडिया अभियान चलाया गया था जिसमें व्यक्तिगत उद्यमियों को पीएमबीजेपी केंद्र की स्थापना और संचालन हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके उत्तर में, प्राप्त आवेदनों की जांच की गई और पात्र आवेदकों को केंद्र खोलने के लिए औषधि लाइसेंस और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की गई। यह मार्ग खरीद के साथ-साथ दवाओं की बिक्री में निजी भागीदारी के लिए खोला गया था।

दिसंबर 2017 में 3000 केंद्र खोलने का लक्ष्य हासिल किया गया था। साथ ही, कुल 6000 केन्द्रों को खोलने का संशोधित लक्ष्य भी मार्च, 2020 में हासिल किया गया था। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 8640 जनऔषधि केंद्र काम कर रहे हैं। पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 1451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। पीएमबीजेपी ने परियोजना के उत्पाद समूह में आयुष उत्पादों विशेष रूप से 75 आयुर्वेदिक दवाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसकी खरीद के लिए पीएमबीआई द्वारा एक ई-निविदा तैयार की गई है।

अभी तक की यात्रा

ग्राफ- 4क
(पीएमबीजेपी केंद्रों की कुल संख्या में वर्षवार प्रगति)

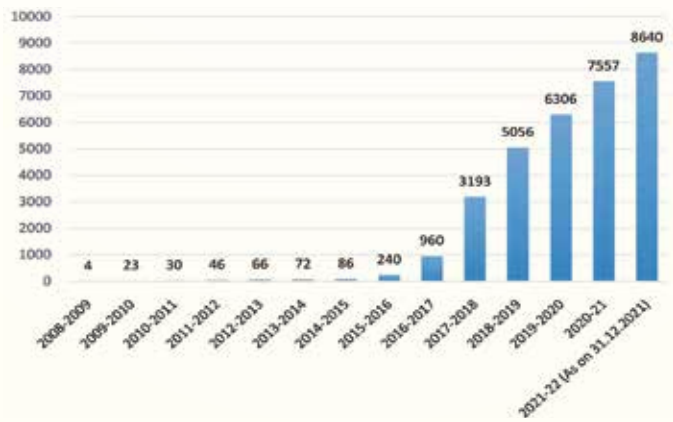

4.1.1 उद्देश्य

- सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां, उपभोज्य सामग्रियां एवं सर्जिकल सामग्रियां उपलब्ध करवाना और उपभोक्ताओं/रोगियों की जेब से होने वाले व्यय को कम करना।
- जेनेरिक दवाओं को जनता के बीच लोकप्रिय बनाना और इस प्रचलित धारणा को दूर करना कि कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं कम गुणवत्ता की हैं या कम प्रभावी हैं।
- देश भर में सभी महिलाओं के लिए मासिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने में वैयक्तिक उद्यमियों को लगा कर रोजगार का सृजन करना।

4.1.2 कार्यान्वयन एजेन्सी

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), जिसे पूर्व में भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना इस विभाग द्वारा 01.12.2008 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जन औषधि अभियान को कार्यान्वित करने के लिए एक केंद्रित और सशक्त संरचना की स्थापना करना है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इस ब्यूरो की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा की जाती है। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद के अनुमोदन से नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं

4.1.3 योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना को 490 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। मार्च, 2025 तक पूरे देश में 10,500 पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। मार्च 2025 तक पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी को 2,000 दवाओं और 300 सर्जिकल सामग्रियों तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।

व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, महिलाओं, दिव्यांग, एससी, एसटी उद्यमियों और आकांक्षात्मक जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्टोर खोलने वाले उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन को दोगुना कर दिया गया है। नई प्रोत्साहन योजना को निम्नलिखित विवरण के साथ शुरू किया गया है:

4.1.4 सामान्य प्रोत्साहन

ऐसे उद्यमियों द्वारा संचालित पीएमबीजेपी केंद्र, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जुड़े होते हैं, को 5.00 लाख रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रोत्साहन को 15,000/- रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन इन केन्द्रों द्वारा पीएमबीआई से की जाने वाली मासिक खरीद के 15 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। यह उन मौजूदा केंद्रों पर भी लागू होता है जिनको 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन की मौजूदा सीमा राशि का वितरण पूर्ण रूप से किया जा चुका है।

4.1.5 अतिरिक्त प्रोत्साहन

महिलाओं, दिव्यांग, एससी, एसटी उद्यमियों और आकांक्षात्मक जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्टोर खोलने वाले उद्यमियों के बीच इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है। ऐसे केंद्रों को सामान्य प्रोत्साहन के अलावा 2 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त होगी, जो निम्नानुसार है:

(i) फर्नीचर और फिक्सचर की 1.50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति
(ii) कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख।

4.1.6 आम आदमी को बचत

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएमबीजेपी ने 433.61 करोड़ रू. (एमआरपी पर) की बिक्री हासिल की। इससे देश के सामान्य नागरिकों को लगभग 2500 करोड़ रुपये की बचत हुई क्योंकि ये दवाएं औसत बाजार मूल्य से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 665.83 करोड़ रू. की बिक्री हासिल की गई जिससे ब्रांडेड दवाओं की तुलना में देश के नागरिकों को लगभग 4000 करोड़ रुपये की बचत हुई। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2021-22 में 31.12.2021 तक, पीएमबीआई ने 652.67 करोड़ रू. की बिक्री हासिल की जिससे देश के नागरिकों को लगभग 3800 करोड़ रुपये की बचत हुई।

4.1.7 दवाओं की खरीद

पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में लगभग 1,451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण कार्यकलाप (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही की जाती है। इसके अलावा, दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण 'राष्ट्रीय परीक्षण और मापांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पारित होने के पश्चात् ही दवाइयों को पीएमबीजेपी केन्द्रों में भेजा जाता है।

4.1.8 आईटी सक्षम मालगोदाम/आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का कार्यान्वयन

उत्पादों की रेंज उपलब्ध कराने की समस्या को दूर करने के लिए आईटी-सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को लागू किया गया है और गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम तथा चेन्नई, बेंगलुरु एवं गुवाहाटी में तीन क्षेत्रीय मालगोदामों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, पश्चिमी और मध्य भारत में दो और गोदाम खोलने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वितरकों की नियुक्ति की परिकल्पना भी की जा रही है।

4.1.9 एसएपी और पीओएस प्रणाली का कार्यान्वयन

विनिर्माताओं को दवाओं के ऑर्डर देने से लेकर स्टोर के दरवाजे तक दवाओं की आपूर्ति पहुंचने तक की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में एक एकल आईटी सक्षम प्रणाली (एसएपी) को शुरू किया गया।

4.1.10 जन औषधि सुगम

"जन-औषधि सुगम" मोबाइल एप्लिकेशन एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो आम जनता को एक इशारे पर डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करती है जिसके आधार पर वे यूजर फ्रेंडली विकल्पों का लाभ उठा सकें जैसे - निकट के पीएमबीजेके का पता लगाना (गूगल मैप के माध्यम से निर्देशित मार्गदर्शन), जन औषधि दवाइयों को ढूंढना, एमआरपी बचत आदि के रूप में जेनरिक बनाम ब्रांडेड दवाइयों के उत्पादों का तुलनात्मक विश्लेषण करना आदि।

4.1.11 योजना के बारे में जागरूकता

योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी एवं सिनेमा विज्ञापनों और बाहरी प्रचार जैसे होर्डिंग, बस क्यूशेल्टर ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। इसके अतिरिक्त, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी जन औषधि जेनरिक दवाइयों के उपयोग के बारे में जनता को शिक्षित किया जाता है।

4.2 पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान की गई प्रगति

तालिका-4क
(पीएमबीजेपी केंद्रों की संख्या और उनमें बिक्री की वर्षवार प्रगति)

वित्त वर्ष	कार्य कर रहे पीएमबीजेपी केन्द्रों की संख्या		एमआरपी पर बिक्री (मूल्य करोड़ में)
	वार्षिक परिवर्धन	संचयी	
2016-17	720	960	32.66
2017-18	2233	3193	140.84
2018-19	1863	5056	315.70
2019-20	1250	6306	433.61
2020-21	1251	7557	456.95
2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	1083	8640	652.67

4.3 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां

4.3.1 परियोजना की कवरेज

दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार, देशभर में 8640 पीएमबीजेपी केन्द्र कार्यात्मक हैं। देश भर के सभी जिलों को कवर करके इस परियोजना ने भारत के प्रत्येक जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

4.3.2 दवाइयों की बास्केट और स्टॉक की स्थिति

बीपीपीआई की उत्पाद बास्केट में लगभग 1451 दवाइयां तथा 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं।

4.3.3 नई प्रोत्साहन योजना की शुरूआत

इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, केन्द्रों के मालिकों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन की मौजूदा राशि को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह की दर से 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं, दिव्यांग, एससी, एसटी उद्यमियों तथा आकांक्षात्मक जिलों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को केन्द्र खोलने हेतु कम्प्यूटर एवं फर्नीचर के लिए 2 लाख रूपए की एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि भी अनुमोदित की गई है।

4.3.4 सुविधा सैनिटरी नैपकिन

पूरे देश में सभी महिलाओं को मासिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018 में विभाग द्वारा "जनऔषधि सुविधा ओक्सी-बायोडिग्रेडेबल सैनिटेरी नैपकिन" की शुरूआत की गई जो देश भर के सभी पीएमबीजेपी केन्द्रों में अब 1 रुपए प्रति सैनिटेरी पैड की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध है। अभी तक पीएमबीजेके के माध्यम से 19 करोड़ से अधिक पैडों की बिक्री की जा चुकी है।

4.3.5 पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में आयुष दवाओं को शामिल करना

केंद्रों की उपयोगिता का विस्तार करने के लिए उत्पादों की टोकरी में 75 आयुष दवाओं विशेष रूप से आयुर्वेदिक दवाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इनकी खरीद के लिए पीएमबीआई द्वारा एक ई-निविदा तैयार की गई है।

4.3.6 कोविड-19 के प्रकोप के दौरान पीएमबीजेपी का कार्यनिष्पादन

पीएमबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31.12.2021 तक देश भर में कार्यरत 8600 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लगभग 55 लाख फेस मास्क, 1.65 लाख यूनिट सैनिटाइज़र, 64 लाख एज़िथ्रोमाइसिन और 387 लाख पैरासिटामोल टैबलेट की बिक्री की। पीएमबीजेपी के अंतर्गत, सभी पीएमबीजेके में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला एन-95 फेसमास्क केवल 25 रुपये प्रति यूनिट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएमबीआई ने मित्र देशों में वितरण के लिए विदेश मंत्रालय को 30 करोड़ रुपए की दवाओं की आपूर्ति भी की है।

पीएमबीजेपी बास्केट में उपलब्ध कई दवाएं और ओटीसी आइटम हैं, जिनका उपयोग कोविड-19 के उपचार के दौरान किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीएमबीजेपी के माध्यम से नागरिकों के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं।

4.3.7 न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों की नई श्रृंखला का शुभारंभ

जन स्वास्थ्य के लाभ में, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने हाल ही में सभी (महिलाओं और बच्चों सहित) की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों की शुरूआत की हैं। इन सभी उत्पादों की पीएमबीजेपी की कीमतें इन्हें बाजार में एक बार प्रस्तुत किए जाने की तुलना में 50% - 90% कम हैं।

4.3.8 केंद्रों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रों की संख्या 7557 से बढ़कर 8640 हो गई। प्रति स्टोर औसत मासिक बिक्री कारोबार भी 51,000/- रुपए से बढ़कर 66,000/- रुपए हो गया है। इसके अलावा, केंद्रों को ओटीसी और संबद्ध

कॉस्मेटिक उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई है।

पीएमबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति केंद्र कुल औसत बिक्री 1.50 लाख रुपए प्रति माह तक आ रही है। (जिसमें 66,000/- रुपए की जन औषधि दवाएं और शेष ओटीसी उत्पादों, न्यूट्रास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों से है)।

(i) नई दवाएं और न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद जैसे ग्लूकोमीटर, प्रोटीन पाउडर, माल्ट आधारित फूड सप्लीमेंट लॉन्च किए गए हैं जहां प्रति यूनिट मुनाफ़ा अधिक है।

(ii) अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए दो केंद्रों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए नए मानदंड पेश किए गए।

(iii) विभाग ने बाजार विस्तार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभागों और संबंधित सरकारी अधिकारियों से निजी व्यक्तियों को किराया मुक्त स्थान उपलब्ध कराकर विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जन औषधि स्टोर खोलने का अनुरोध किया गया है। स्टोरों को भी वर्गीकृत किया गया है और 'ए' और 'बी' श्रेणी के स्टोर पर अधिक ध्यान दिया गया है।

(iv) जनता के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मीडिया मंचों जैसे प्रिंट, आउटडोर, टीवी और सोशल मीडिया आदि का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। सरकार राज्य सरकारों के साथ पीएमबीजेपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण भी अपना रही है। स्टोर मालिकों, डॉक्टरों और विभिन्न महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के साथ पूरे भारत में प्रचार कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

(v) केंद्रों में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए दवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए उत्पाद समूह का भी विस्तार किया गया है। पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में इस समय 1451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं।

4.4 जन औषधि दिवस समारोह

सभी पीएमबीजेपी केन्द्रों के मालिकों ने 7 मार्च 2021 को देश भर में "जन औषधि दिवस" के रूप में मनाया। इस समारोह में, योजना की उपलब्धियों का प्रचार करने और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई तरह के कार्यकलाप किए गए। ये सभी कार्यकलाप केन्द्रों के मालिकों, लाभार्थियों, छात्रों, मीडिया, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों जैसे माननीय सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकाय सदस्यों के साथ समन्वय में आयोजित किए गए थे।

7 मार्च 2021 को जन औषधि दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से स्वयं बात की।

जन औषधि दिवस समारोह 2021

जनऔषधि दिवस 2021 के समारोह में भारत के केंद्रीय मंत्री

श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

श्री मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक और जहाजरानी राज्य मंत्री

श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री प्रहलाद जोशी., माननीय संसदीय कार्य मत्रालय, कोयला और खनन मंत्री

4.5 आजादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस संबंध में, पीएमबीआई ने 10.10.2021 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 750 स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यकलाप भारत के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित थे, जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में यहां तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि जिनके भीतर भारत 2.0 को सक्रिय करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता भी है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है।

पीएमबीआई द्वारा 34 प्रमुख स्थानों और 2 प्रतिष्ठित स्थानों पर एक पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा का आयोजन किया गया और 75 और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा किट का मुफ्त वितरण किया गया।

इसी तरह, 714 विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां प्रत्येक स्थान पर 75 "प्राथमिक चिकित्सा किट" का वितरण 75 और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को किया गया। पीएमबीआई के अधिकारियों ने आम जनता, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों, फार्मासिस्टों, जन औषधि मित्रों, हितधारकों आदि को पीएमबीजेपी की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया।

50,000 से अधिक लाभार्थियों ने पीएमबीजेपी उत्पादों की यह "प्राथमिक चिकित्सा किट" प्रदान की गई। प्राथमिक चिकित्सा किट के एक भाग के रूप में इन कार्यक्रमों के दौरान माननीय प्रधान मंत्री के संदेश वाले ब्रोशर/ई-ब्रोशर भी वितरित किए गए। देश भर में लगभग 1 लाख नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लिया।

डॉ मनसुख मांडविया, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी सूर्या, माननीय संसद सदस्य बैंगलोर दक्षिण के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बैंगलोर, कर्नाटक में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में लगभग 1,000 नागरिकों ने भाग लिया।

कर्नाटक के बीदर में आयोजित एक और प्रतिष्ठित कार्यक्रम में श्री भगवंत खुबा, माननीय रसायन और उर्वरक और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री प्रभु चौहान, पशुपालन राज्य मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री ईश्वर खंड्रे, माननीय विधायक बाल्की, श्री बंदेप्पा खाशेमपुर, माननीय विधायक, बीदर (दक्षिण), श्री शरनू सालगर, माननीय विधायक, हुमनाबाद सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डॉ मनसुख मांडविया, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा श्री बसवराज बोम्मई, मुख्यमंत्री कर्नाटक और श्री तेजस्वी सूर्या, एमपी बैंगलोर साउथ की उपस्थिति में प्रमाण पत्र का वितरण

आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित प्रतिष्ठित गतिविधि के दौरान प्रमाण पत्र वितरण

4.6 एकता दिवस सप्ताह - 2021

राष्ट्रीय एकता दिवस सप्ताह या राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष पीएमबीजेपी ने "राष्ट्रीय एकता दिवस" सप्ताह मनाया और दिनांक 29.10.2021 को देश भर में 75 स्थानों पर "जन औषधि मित्र सम्मेलन" का आयोजन किया, जिसमें सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया।

एक प्रतिष्ठित स्थान सहित 75 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां पीएमबीआई द्वारा जन औषधि मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में, पीएमबीजेपी और इसकी मुख्य विशेषताओं और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, फार्मासिस्टों, जन औषधि मित्रों और अन्य हितधारकों की उपस्थिति में इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए थे। इन आयोजनों में पूरे देश में 10,000 से अधिक जन औषधि मित्रों और जन औषधि प्रबोधों ने भाग लिया।

पीएमबीजेपी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह

अध्याय 5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि
5.2 नाईपर मोहाली
5.3 नाईपर हैदराबाद
5.4 नाईपर अहमदाबाद
5.5 नाईपर गुवाहाटी
5.6 नाईपर रायबरेली
5.7 नाईपर कोलकाता
5.8 नाईपर हाजीपुर

अध्याय-5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 पृष्ठभूमि

भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में विश्व में अग्रणी रहा है। दवाओं की खोज और विकास में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए और सम्मिश्रणों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए सरकार ने स्वीकार किया कि मानव संसाधन/प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एसएएस नगर, मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की गई और इसे संसद के एक अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई तथा इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में मेंटर संस्थानों की मदद से छह नए नाईपर शुरू किए गए। इसके बाद वर्ष 2012 में मदुरै में एक नाईपर की मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-16 के दौरान अपने बजट भाषण में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए 3 नए नाईपर की घोषणा की। अन्य नाईपर बंगलुरू, कर्नाटक में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मौजूदा 7 नाईपरों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

तालिका-5क
(नाईपर की वर्तमान स्थिति)

नाईपर	शैक्षणिक सत्र का प्रारंभिक वर्ष	भूमि / विनिर्माण की स्थिति
मोहाली	1998	नाईपर, मोहाली का स्वयं का परिसर 129.25 एकड भूमि पर है।
अहमदाबाद	2007	गांधीनगर, गुजरात में 60 एकड भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। परिसर के विनिर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया। विनिर्माण शुरू हो चुका है।
गुवाहाटी	2008	ग्राम सिला, चंगसारी जिला, कामरूप में 51.42 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। विनिर्माण कार्य जून, 2015 में शुरू हो गया था। परिसर का 95 प्रतिशत से अधिक विनिर्माण कार्य पूरा हो गया है।
हाजीपुर	2007	बिहार सरकार द्वारा ईपीआईपी परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में 12.5 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।
हैदराबाद	2007	तेलंगाना सरकार द्वारा नाइपर-हैदराबाद परिसर के विनिर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। विभाग ने इसके स्थायी परिसर के विनिर्माण के लिए नाईपर हैदराबाद को आईडीपीएल की 50 एकड़ भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव किया है।
कोलकाता	2007	पश्चिम बंगाल सरकार ने नाडिया जिले में मौजा गोपालपुर, पु.स्टे. कल्याणी, जिला नाडिया में 10 एकड़ भूमि आबंटित की है। विभाग ने इसके स्थायी परिसर के विनिर्माण के लिए बीसीपीएल, पानीहाटी, कोलकाता की 20.55 एकड़ भूमि को आबंटित किया है।
रायबरेली	2008	ग्राम विनायकपुर, परगना, बछरावन, तहसील महाराजगंज, रायबरेली में 49 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।

5.1.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

नाईपर के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं:-

i. औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बनाए रखना एवं उनका संवर्धन करना

ii. औषध शिक्षा में मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट पाठयक्रमों के लिए ध्यान केंद्रित करना

iii. परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां प्रदान करना

iv. मानद पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करना

v. शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना जिनका उद्देश्य पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उन संस्थानों के समान है और संकाय सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान आम तौर से इस प्रकार करना जो उनके समान उद्देश्य के अनुकूल हो

vi. शिक्षक, औषधि प्रौद्योगिकी, समुदाय और अस्पताल फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन

vii. औषध और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्व साहित्य को एकत्र करना और रख रखाव करना ताकि देश और विकासशील विश्व में अन्य संस्थानों के लिए अपनी तरह के सूचना केंद्र को विकसित किया जा सके

viii. संस्थान के अंदर और बाहर अनुसंधान द्वारा औषध उपकरण और उपयोग के लिए विश्लेषण का केंद्रीय संकाय बनाना

ix. कला या विज्ञान या औषध शिक्षण में प्रयोग और नई खोज एवं शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना

x. राष्ट्रीय, शैक्षणिक व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने के साथ औषधि क्षेत्रों में मौजूदा जानकारी के प्रसार और नए ज्ञान के सृजन के लिए एक विश्व स्तर का केंद्र विकसित करना

xi. अनुसंधान और औषधीय जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु बहु-विषयक दृष्टिकोण विकसित करना ताकि शैक्षणिक व्यवसाय और औषध उद्योग के व्यापक हितों की बेहतर तरीके से देख-रेख की जा सके और औषधीय कार्य-संस्कृति विकसित की जा सके जो कि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के बदलते वैश्विक परिदृश्य और पद्धति के अनुसार हो

xii. औषध शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में समय-समय पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करना

xiii. विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु प्रबंध करना

xiv. संस्थान द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित अनुसंधान के साथ ही साथ परामर्शी परियोजनाओं को आरंभ करना एवं उद्योग और संस्थान के बीच वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी स्टाफ के आदान-प्रदान द्वारा शैक्षणिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना

xv. देश में सामाजिक-आर्थिक पहुँच पर ध्यान रखने के कारण ग्रामीण जनता द्वारा दवाओं के वितरण और उपयोग पर अध्ययन करने के लिए ध्यान देना

5.1.2 नाईपर की प्रशासनिक संरचना

नाईपर अधिनियम वर्ष 1998 (2007 में संशोधित) में अधिसूचित किया गया, नाईपर संविधियां वर्ष 2003 (2014 में संशोधित) में अधिसूचित की गई; नाइपर अध्यादेश 2005 में (2014 में संशोधित) अधिसूचित किया गया। संसद ने नाईपर अधिनियम, 1998 में कुछ संशोधन करने के लिए शीतकालीन सत्र में नाईपर (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संरचना को युक्तिसंगत बनाना, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में एक नाईपर परिषद की स्थापना और इन संस्थानों को स्नातक, एकीकृत और अन्य अल्पकालिक और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने में सक्षम बनाना शामिल है।

5.1.3 गवर्नर बोर्ड, निदेशक एवं अन्य समितियां

संबंधित संस्थान के शासी मंडल (बीओजी) सामान्य अधीक्षण, दिशा निर्देश और मामलों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। बीओजी की नियुक्ति कुलाध्यक्ष, अध्यक्ष (विजिटर) द्वारा की जाती है। कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से संस्थान के निदेशक की नियुक्ति शासी मंडल द्वारा की जाती है। नाईपर मोहाली के शासी मंडल की स्थापना दिनांक 03.10.2016 को तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई जो दिनांक 02.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। अन्य छः नाइपरों के प्रथम शासी मंडल का गठन दिनांक 09.03.2019 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

तालिका- 5ख
(नाईपर के अध्यक्षों की सूची)

नाईपर	अध्यक्ष : गवर्नर बोर्ड नाईपर
नाईपर-अहमदाबाद	**डॉ. केतन आर. पटेल** अध्यक्ष-सह प्रबंधक निदेशक, त्रोइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुजरात
नाईपर-गुवाहाटी	**डॉ. एस चन्द्र शेखर** निदेशक, सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद
नाईपर-हाजीपुर	**प्रो. संजय सिंह** उप-कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
नाईपर-हैदराबाद	**डॉ. सतीश रेड्डी** अध्यक्ष, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड, हैदराबाद
नाईपर-कोलकाता	**प्रो. (डॉ.) भावतोश विश्वास** भूतपूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसेज, कोलकाता
नाईपर-रायबरेली	**प्रो. राकेश कपूर** निदेशक, संजय गांधी पी.जी.आई.एम.एस., लखनऊ
नाईपर-मोहाली	अभी गठित किया जाना है

5.1.4 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)

शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 'फार्मेसी' श्रेणी के तहत निम्नानुसार 6 नाईपर देश में शीर्ष तीस औषध संस्थानों में आते हैः-

तालिका-5ग
(नाईपर की वर्षवार एनआईआरएफ रैंकिंग)

नाईपर	2017	2018	2019	2020	2021
मोहाली	दूसरा	पहला	तीसरा	तीसरा	चौथा
हैदराबाद	पांचवां	छठा	छठा	पांचवां	छठा
अहमदाबाद	-	चौदहवां	नौवां	आठवां	दसवां
गुवाहाटी	-	-	-	ग्यारहवां	उन्नसीवां
रायबरेली	-	-	-	अठारहवां	तेरहवां
कोलकाता	-	-	-	सत्ताइसवां	तैंतीसवां

5.1.5 पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां

तालिका-5घ

(वर्षवार नाईपर को जारी निधि)

वर्ष/ नाईपर	मोहाली	अहमदाबाद	गुवाहाटी	हाजीपुर	हैदराबाद	कोलकाता	रायबरेली	कुल
2017-18	44.81	27.96	52.00	5.00	30.00	11.50	9.50	**180.77**
2018-19	29.00	12.00	33.50	9.50	24.00	12.00	15.00	**135.00**
2019-20	30.60	18.50	43.90	5.00	27.00	18.00	17.01	**160.01**
2020-21	60.55	60.50	79.45	26.00	44.50	34.82	28.00	**333.82**
2021-22*	37.00	25.00	38.70	21.00	38.00	27.64	17.00	**204.34**
Total	**201.96**	**143.96**	**247.55**	**66.50**	**163.50**	**103.96**	**86.51**	**1013.94**

* दिनांक 31.12.2021 तक.

5.1.6 प्रवेश प्रक्रिया

एमएस/पीएचडी में विभिन्न शाखाओं में प्रवेश के लिए हर साल जून/जुलाई के महीने में आयोजित एक सामान्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपीएटी) उत्तीर्ण करने वाले आवेदक सामान्य जेईई परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। जेईई के सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के जरिए नाईपर में प्रवेश मिलता है। सभी छात्र फेलोशिप प्राप्त करते हैं, जो निम्नानुसार है:

एमएस (फार्मा): ₹12,400/- प्रति माह

पीएचडी: ₹31,000- 35,000/- प्रति माह

5.1.7 नई पहल

हाल की पहल के हिस्से के रूप में, नाईपर को हाल ही में शुरू की गई पीएलआई, पार्क योजनाओं के तहत तकनीकी सहायता, परीक्षण सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। चार नाईपर में एम टेक (चिकित्सा उपकरण) पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं नाईपर में चिकित्सा उपकरण परीक्षण सुविधाएं शुरू की जा रही हैं इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है और माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री के स्तर पर स्वीकृत की गई है और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अकादमिक उद्योग से जुड़ाव बढ़ाने, नाईपर और अन्य विभागों के अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

5.1.8 हाल की अनुसंधान पहल

वहनीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए औषध विकास: शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित बजट वेबिनार की सिफारिशों में से एक मिशन मोड में "वहनीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए औषध विकास" पर एक कार्यक्रम को लागू करना था। नाईपर ने नेतृत्व किया है, मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है और ड्रग डिस्कवरी और विकास के लिए विस्तृत अंतर विभागीय परामर्श के बाद क्षेत्रों की पहचान की है (चार रोग जहां पहले से ही अवधारणा चरण के सबूत तक पहुंच चुके हैं-रोगाणुरोधी प्रतिरोध, मुंह का कैंसर, क्रोनिक प्रतिरोधी पल्मोनरी रोग और स्तन कैंसर) और औषध खोज (भारत में शीर्ष दस बीमारियों पर आईसीएमआर 2019 की रिपोर्ट के आधार पर)। सचिव, औषध की अध्यक्षता में फार्मा अनुसंधान पर अंतर-विभागीय समिति की बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया गया और तब से इसे वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) को प्रस्तुत किया गया है।

साझा अनुसंधान कार्यक्रम: देश की जरूरतों के अनुसार अनुसंधान को श्रेणीबद्ध करने के लिए, सभी नाईपर 16 एपीआई और 2 केएसएम सामग्री के संश्लेषण के लिए लागत प्रभावी, टिकाऊ और सस्ती प्रक्रिया विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करके एक सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम के साथ आए हैं

और प्रत्येक नाईपर अपनी विशेषज्ञता के अनुसार एक अणु लेता है और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास/नोवल औषध वितरण, बायोसिमिलर, ऑफ पेटेंट औषधियों, जैविक/औषध विज्ञान और आविष विज्ञान और नए संकेतों के लिए पुनर्प्रयोजन औषधियों से संबंधित क्षेत्रों में काम करता है।

5.1.9 वित्तीय लचीलापन

उच्च शिक्षण संस्थानों पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि व्यय बढ़ रहा है जबकि सरकार से वित्तीय सहायता भविष्य में घटती रहेगी। विद्यमान असंतुलित व्यय और राजस्व संरचना वैकल्पिक राजस्व की आक्रामक कोशिश की मांग करती है। नाईपर भी, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की चाह में, वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। इस संदर्भ में, नाईपर के लिए अगले 15 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें वैकल्पिक राजस्व स्रोत, प्राप्त करने योग्य और मापने योग्य लक्ष्य और यदि आवश्यक हो तो नीति स्तर में बदलाव के लिए सिफारिशें सुझाई गई हैं।

5.2 नाईपर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

नाईपर, एस.ए.एस. नगर को नाईपर अधिनियम, 1998 के माध्यम से 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया था। इस संस्थान को न केवल देश में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में भी औषध विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अवधारित, योजित तथा स्थापित किया गया है। यह संस्थान अपने क्षेत्रों में अपनी तरह का केवल एक ही संस्थान है और इसके अच्छे परिणामों - नामत: अच्छी तरह से प्रशिक्षित और केंद्रित मानव संसाधन (छात्र/अनुसंधानकर्ता) उच्च प्रभाव तथा नवीन प्रक्रियाओं का प्रकाशन/इसके द्वारा चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रांसगिकता के आउटपुट संबंधी कार्यों के कारण यह बहुत अधिक सम्मानित है।

नाईपर, एस.ए.एस. नगर में एक परिसर है जो अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है इसमें 472 की दाखिला क्षमता के साथ छात्रों के तीन छात्रावास और 220 की दाखिला क्षमता के साथ छात्राओं के लिए एक छात्रावास, विवाहितों के लिए 18 छात्रावास और नाईपर स्टाफ के लिए 133 क्वार्टर हैं (टाइप-II-12, टाइप-III-36, टाइप-IV-30, टाइप-V-42, टाइप-VI-12, निदेशक का बंगला-1)। इसके कामकाज की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। नाईपर, 16 विषयों में स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है और औषध उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.2.1 उपलब्धियां

वर्ष 2021-22 में, संस्थान ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 76 लेख (31.10.2021 तक) प्रकाशित किए हैं। संस्थान ने 198 पेटेंट आवेदन दायर किए और इनमें से आज की तारीख तक 109 पेटेंट स्वीकृत किए गए। शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत से (08.11.2021 तक), 4004 छात्र (मास्टर्स 2968, एमबीए 689 और पीएच.डी. में 347) उत्तीर्ण हुए हैं।

5.2.2 नाईपर एसएएस नगर में अनुसंधान क्षेत्र

(क) उपेक्षित बीमारियां - लीशमेनियासिस, तपेदिक, और मलेरिया के क्षेत्रों में शोध किए गए। नए अणु संश्लेषित किए जा रहे हैं और उनके कार्रवाई तंत्र बनाए जा रहे हैं।

(ख) अन्य रोग- इंफ्लेमेशन, संक्रमण, कैंसर, मधुमेह, मोटापन, पार्किंसंस रोग, न्यूरो अवक्षय जैसी बीमारियों में उपापचयी मार्ग से काम किया जा रहा है।

(ग) औषध विकास और सम्मिश्रण -

i. मौखिक जैव उपलब्धयता, सिनरजिस्टिक कैंसर-रोधी प्रभावकारिता और दवाओं की कम विषाक्तता का सुधार करने का प्रयास किया गया है।

ii. नए सम्मिश्रण विकसित किए जा रहे हैं
iii. एपीआई, केएसएम और इंटरमीडिएट का हरित सतत संश्लेषण
iv. हर्बल औषधियों और सम्मिश्रणों का मानकीकरण
v. आविष विद्या सम्बन्धी अध्ययन

(घ) अन्य क्षेत्र -

i. जैव औषध (बायो फार्मास्यूटिकल्स)
ii. हर्बल दवा
iii. पश्चजात (एपिजेनेटिक)
iv. दवाओं के केमो - एंजायमेटिक संश्लेषण
v. हर्बल्स पर मोनोग्राफ विकसित किया जा रहा है
vi. मिसफोल्डिड प्रोटीनस के स्थैतीकरण पर आरएनए एप्टामर्स के प्रभाव का अध्ययन
vii. न्यूरोपैथिक दर्द निदान करने के लिए एक उचित और विश्वसनीय विधि का आकलन
viii. कृत्रिम आसूचना, मशीन जानकारी, विस्तृत डाटा विश्लेषण
ix. विशेष जनसंख्याओं में दवा के पीके के अनुमान में फार्माकोकाइनेटिक (पीबीपीके) मोडलिंग पर आधारित शारीरिक विज्ञान की उपयोगिता और दवा पीके पर खाने के प्रभाव का अध्ययन
x. एचईओआर और फार्माकोविजिलेंस

5.2.3 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ

तालिका-5ङ
(शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति)

जन-शक्ति	वर्तमान स्थिति
शैक्षणिक	25+1 (निदेशक)
गैर-शैक्षणिक	120

5.2.4 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल निधियों का आबंटन

तालिका-5च
(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	32.00	29.00	29.00
2019-20	30.60	30.60	30.60
2020-21	41.00	60.55	60.55
2021-22	43.00	37.00	37.00*

* दिनांक 31.12.2021 तक जारी निधि।

5.2.5 छात्र

प्रवेश की स्थिति सहित वर्ष-वार शुरू किए गए डिग्री/ कार्यक्रम/ विषय:

तालिका-5छ

(विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

स्तर मास्टर्स/डॉक्टरेट	डिग्री एमएस/एमबीए/ एम टेक/पीएचडी	विशिष्टता	प्रवेश वर्ष	
वर्ष			2020-21	2021-22
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	26	28
डॉक्टरेट	पीएचडी			6
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माको-इन्फोर्मेटिक्स	17	20
डॉक्टरेट	पीएचडी		1	6
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	13	14
डॉक्टरेट	पीएचडी			7
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	पारंपरिक औषध	5	5
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	9	9
डॉक्टरेट	पीएचडी			
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टॉक्सीकोलोजी	18	20
डॉक्टरेट	पीएचडी		1	7
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	रेगुलेटरी टॉक्सीकोलोजी	9	9
मास्टर्स	एम टेक (फार्मा)	फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी (सम्मिश्रण)	7	7
डॉक्टरेट	पीएचडी			
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म)	फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी (प्रोसैस रसायन विज्ञान)	17	17
			1	4
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)	11	11
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म)			
डॉक्टरेट	एमएस (फार्म)	फार्मास्यूटिक्स	20	22
मास्टर्स	पीएचडी		1	7
मास्टर्स	एमएस (फार्म)	जैव प्रौद्योगिकी	35	38
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	8
मास्टर्स	एम.फार्म.	फार्मेसी अभ्यास	9	9
		नैदानिक अनुसंधान	9	9
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्मेसी अभ्यास	1	5
मास्टर्स	एम टेक	चिकित्सा उपकरण	11	11
डॉक्टरेट	पीएचडी			
डॉक्टरेट	पीएचडी	फार्मा प्रबंधन	46	47
मास्टर्स	एमबीए		1	2

5.2.6 शिक्षक-छात्र अनुपात

तालिका-5छ
(वर्ष 2021-22 में शिक्षक-छात्र अनुपात)

कोर्स	अनुपात (छात्र/संकाय)
पीएच.डी.	52/25= 2.08:1
मास्टर्स (विज्ञान)	229/22 = 10.41 : 1
एमबीए (फार्म)	47/3 = 15.67 : 1

5.2.7 नियोजन

तालिका-5झ
कैंपस /कैंपस से बाहर नियोजन की स्थिति

शैक्षणिक वर्ष	कुल छात्र	इच्छुक छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रों की संख्या
2017-19	242	232	155
2018-20	224	188	153
2019-21	248	218	158
2020-22	254	243	-

इच्छुक अधिकांश छात्रों को नियोजन (प्लेसमेंट) मिलता है। हालांकि संख्या कम दिखाई देती है क्योंकि बड़ी संख्या में परास्नातक छात्र देश के भीतर या देश के बाहर पीएचडी में प्रवेश लेना पसंद करते हैं। कुछ अन्य छात्र अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखते हैं।

5.2.8 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

पेटेंट और व्यावसायीकरण: स्थापना के बाद से 198 (दायर)/109 (प्रदान)/07 (लाइसेंस प्राप्त)

वित्त वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व उत्पन्न: 8.57 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22: 4.84 करोड़ रुपये (28-10-2021 तक)

एच इंडेक्स-नाईपर एस.एएस. नगर-एच इंडेक्स-120 (30-09-2021 तक स्कोपस)

नाईपर एसएएस के लिए प्रति संकाय एच इंडेक्स और प्रशस्ति पत्र भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

5.2.9 नाईपर का प्रभाव

नाईपर, एस.ए.एस. नगर की सफलता ने भारत सरकार को औषध क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश भर में और अधिक नाईपर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त, नाईपर ने आईटीईसी-एससीएएपी, क्षमता विनिर्माण कार्यक्रमों (विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित) और एसएमपीआईसी के तहत भारत और विदेशों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसे आईडीपीएल, बीसीपीएल, एचएएल, आदि के पुनर्निर्माण में भी संस्थान की भागीदारी रही है।

कौशल विज्ञान कार्यक्रम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण पीएससीएसटी और डीबीटी कार्यक्रम द्वारा औषध उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं के लिए स्वीकृत किए गए थे।

- छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों (एसएमई) को प्रदान की जाने वाले प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं: एसएमई के लिए एक केंद्र की स्थापना

- 'इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स' (आईएनडी) अनुप्रयोगों, पीएलआई योजना का मूल्यांकन करने वाली समिति के सदस्य
- भारतीय फार्माकोपिया को संशोधित करने वाली समिति के सदस्य
- भारतीय आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में मोनोग्राफ का योगदान
- डब्ल्यूएचओ द्विवार्षिक और एमएचएफडब्ल्यू (जीओआई) की कार्य योजना के तहत "भारत में जेनरिक पर विशेष ध्यान देने के साथ औषध कीमतों पर ट्रिप्स के प्रभाव" पर अध्ययन किया गया।

5.2.10 हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/करार

तालिका-5(ञ)

(हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करारों की स्थिति)

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन के लिए कोई पक्षकार	निष्पादन की तिथि
1	ज़ोन लाइफसाइंसेस लिमिटेड, पोंटा साहिब, (हिमाचल प्रदेश)	22-10-2021
2	ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी, न्यू जर्सी, यूएसए	30-09-2021

स्वतंत्रता दिवस-2021 के अवसर पर ध्वजारोहण

स्वच्छता पखवाड़ा, 1-15 सितंबर,2021

नाईपर सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रम, आजादी का अमृत महोत्सव, 4-9 अक्टूबर, 2021

4.10.2021 : माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) ने 4-9 अक्टूबर, 2021 से सभी सात नाईपर के लिए नाईपर सप्ताह लंबे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद फार्मा की कहानी @ 75: भविष्य के अवसर पर व्याख्यान दिया गया

5.10.2021 : औद्योगिक नेतृत्व सम्मेलन: स्वतंत्रता के बाद से भारत के विकास में दवा उद्योग की भूमिका

6.10.2021 : लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान (अकादमिक): औषध खोज @ 75

7.10.2021 : पूर्व छात्रों की बातचीत/प्रस्तुति: नाईपर और वास्तविक दुनिया में अनुभव

8.10.2021 : फार्मास्युटिकल हेरिटेज सेंटर और मेडिकल प्लांट गार्डन में प्रदर्शनी

9.10.2021 : लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान: औषध खोज @ 75

राष्ट्रीय एकता दिवस- सप्ताह भर चलने वाले समारोह, 24-31 अक्टूबर, 2021

24.10.2021 : फार्मा के संदर्भ में "पिछले 75 वर्षों में भारत का वैज्ञानिक विकास" पर व्याख्यान
25.10.2021 : नाईपर, मोहाली में एकता मार्च
26.10.2021 : विचारों पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता @ 75 राष्ट्रीय सुरक्षा, विचार @ नवाचार, शांति और एकता, विचार @ 75 स्थिरता
27.10.2021 : निबंध लेखन प्रतियोगिता
28.10.2021 : नाईपर कन्वेंशन सेंटर, मोहाली में देशभक्ति नाटक का आयोजन किया गया
29.10.2021 : नाईपर, मोहाली के आसपास शहर में एकता रैली का आयोजन
30.10.2021 : नाईपर के छात्रों द्वारा आयोजित विशद भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम
31.10.2021 : "भारतीय औषधि उद्योग में स्वतंत्रता के बाद के विकास" पर व्याख्यान

5.3 नाईपर- हैदराबाद

नाईपर-हैदराबाद ने आईडीपीएल, आर एण्ड डी केंद्र, बालानगर, हैदराबाद के परिसर में सितंबर 2007 में कार्य करना शुरू किया। संस्थान का दृष्टिकोण औषध विज्ञान और प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान में एक अग्रणी वैश्विक संस्थान के रूप में सेवा करना है। इसका मिशन क्षेत्र में पेशेवर जनशक्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक बनना है और स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के संचालन के माध्यम से भारतीय औषध उद्योग को मजबूत करना है। नाईपर-हैदराबाद के पास विभिन्न विषय जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, प्रोसेस केमिस्ट्री, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, प्राकृतिक उत्पाद, फार्माकोइनफॉरमैटिक्स, नियामक मामले, चिकित्सा उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल प्रबंधन में एम.एस. (फार्म), एम. टेक. और एमबीए पाठ्यक्रम हैं। संस्थान औषध महत्व के क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

5.3.1 उपलब्धियां

तालिका-5ट
(नाईपर हैदराबाद की उपलब्धियां)

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धि
1	उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र	1205
2	पाठ्यक्रम करने वाले स्नातकोत्तर छात्र	340
3	पीएचडी पाठयक्रम के छात्र	120
4	डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित	78
5	पेटेंट (दायर)	20
6	अनुसंधान प्रकाशन	783

7	स्वीकृत बाह्य अनुसंधान परियोजना	44

5.3.2 संकाय एवं स्टाफ का ब्यौरा

i.	नियमित संकाय	:	20
ii.	नियमित स्टाफ	:	12
iii.	संविदात्मक संकाय	:	06
iv.	संविदात्मक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ	:	02

5.3.3 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका-5ठ
(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित बजट अनुमान	आवंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	24.00	24.00	24.00
2019-20	25.00	27.00	27.00
2020-21	30.50	44.50	44.50
2021-22	38.00	38.00	38.00*

*दिनांक 31.12.2021 तक जारी की गई निधि.

5.3.4 शिक्षक-छात्र का अनुपात

वर्तमान में 1: 12

5.3.5. नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति

कंपनियां वर्ष-वार परिसर चयन/नियोजन में भाग लेती हैं।

प्रत्येक वर्ष छात्र जॉनसन एंड जॉनसन, नोवर्टिस, डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जेनपैक्ट, हेटेरो, टेक महिंद्रा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सिनजीन, स्प्रिंगर्स नेचर पब्लिशिंग, एली लिली, सिप्ला, साई लाइफ साइंसेज, एएमआरआई, विवो बायोटेक, क्रेडो लाइफ साइंसेज, कॉग्निजेंट हेल्थ केयर, माइलैन, जेनटेक, शाशुन, ऑरबिन्दो, बायोलोजिकल ई, आइजेंट, कॉग्निजेंट हेल्थ केयर, कोर डायग्नोस्टिक्स, ऑरबिन्दो, मैकलोड्स फार्मास्यूटिकल्स, रोचे आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजित किए गए।

तालिका-5ड
परिसर में/परिसर के बाहर नियोजन की स्थिति

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
परिसर में नियोजन (%)	88	85	82	82	80	83	100	99	90	100

5.3.6 शिक्षक

नाईपर में कुछ प्रतिभाशाली और समर्पित संकाय हैं जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से आए हैं और अपनी विशेषज्ञता में पोस्ट-डॉक्टरल फैलो के रूप में विदेशों में अच्छा प्रशिक्षण लिया है। समय-समय पर संकाय के कार्यनिष्पादन

का आकलन किया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र फीडबैक, अनुसंधान गतिविधियों से आउटपुट और विषय विशेषज्ञों द्वारा संस्थागत विकास में योगदान पर आधारित है।

5.3.7 कोर अनुसंधान क्षेत्र

- एकीकृत औषध खोज एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम
- कैंसर, सूजन और प्रजनन-शील संबंधित रोग
- मधुमेह और अन्य उपापचय संबंधी विकार
- न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग
- संक्रामक रोग
- सोरायसिस
- इन-विट्रो और इन-विवो स्क्रीनिंग
- एनसीई, बल्क ड्रग्स और मध्यवर्ती के लिए नवीन प्रक्रिया का विकास
- विश्लेषणात्मक तरीकों का विकास, अशुद्धता प्रोफाइलिंग और स्थिरता अध्ययन
- ठोस अवस्था की विशेषताएं
- लक्षित औषधि प्रदानगी प्रणाली

5.3.8 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

- पेटेंट और व्यावसायीकरण : कैंसर दवा की खोज, फार्मूलेशन विकास तथा विश्लेषणात्मक तरीकों के विकास में 15 पेटेंट दायर किए गए
- आंतरिक अर्जित राजस्व : 10.52 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2020-21)

5.3.9 नाईपर का प्रभाव

उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और औषध विज्ञान में प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकसित करना जो औषध उद्योग को मदद करेगा। एक शोध संस्थान के रूप में कार्य करना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। इस संस्थान ने फार्मा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और देश में औषध उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहयोग किया।

5.3.10 नवाचार ज्ञान/हस्तांतरण सहयोग/समझौता ज्ञापन

नाईपर-हैदराबाद ने अनुसंधान क्षेत्रों और बहुआयामी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ 43 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रमुख सहयोगी हैं:

- कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बंगलुरू
- एएमटीजेड, विजाग
- मोमेंटस मोलेक्यूलस प्राइवेट लिमिटेड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद
- पीएस3 लेबोरेट्रीज एलएलपी, कुकट, हैदराबाद
- इनातुरा साइंटिफिक प्रा. लिमिटेड, उप्पल, हैदराबाद
- सीएसआईआर - आईआईटीआर
- सर्वोत्तम केयर लिमिटेड
- बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
- एनबीआई बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- फेनो बायोटेक इंक, यूएसए
- बेलस्टॉक विश्वविद्यालय, पोलैंड,
- लाइफएक्टीवस, तेनचिस्कम और नाईपर हैदराबाद

- ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सनाथानगर, हैदराबाद
- लाइफएक्टिवन्स प्राइवेट लिमिटेड, मेडचल, हैदराबाद
- अपोलो हॉस्पिटल्स एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन (एएचईआरएफ)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआई-एमएसएमई)
- वीलाइन फार्माचैम प्राइवेट लिमिटेड
- लोरेन बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश
- जिस्टर न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- अलमेलो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
- राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली
- आईआईटी हैदराबाद
- डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, हैदराबाद
- केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीसीआरयूएम)
- बोगार प्रयोगशालाएँ
- नोवार्टिस हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड
- एक्स्ट्रोविस प्रा. लिमिटेड
- बायोलोजिकल ई. लिमिटेड
- युनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया (यूएसपी, इंडिया), हैदराबाद
- सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
- कैटनाजारो के विश्वविद्यालय "मैग्ना ग्रैशिया" का स्वास्थ्य विज्ञान विभाग
- डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, हैदराबाद
- भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड

5.3.11 संस्थारन द्वारा आयोजित विभिन्नड कार्यक्रम/कार्यशालाएं

नाईपर हैदराबाद ने छात्रों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया। नाईपर-हैदराबाद में विभिन्न कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं।

नाईपर-हैदराबाद द्वारा आयोजित 9वें दीक्षांत समारोह में सचिव (फार्मा) का संबोधन

नाईपर-हैदराबाद ने 24, जुलाई, 2021 को अपने 9वें ई-दीक्षांत समारोह का आयोजन किया

नाईपर, हैदराबाद में 14 सितंबर, 2021 को हिंदी दिवस का आयोजन किया

नाईपर-हैदराबाद ने दिनांक 23-24 सितंबर, 2021 को 3डी प्रिंटिंग और 3डी बायोप्रिंटिंग पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

नाईपर हैदराबाद ने 18 अक्टूबर, 2021 को इंडस्ट्री कनेक्ट का आयोजन किया

दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हुए नाईपर हैदराबाद के सदस्य

5.4 नाईपर अहमदाबाद

वर्ष 2007 में स्थापित नाईपर अहमदाबाद वर्तमान में अगस्त 2016 से गांधीनगर में 60 एकड़ भूमि स्थल पर चलायमान अस्थाई भवन से कार्य कर रहा है। यह संस्थान इस समय 7 विशिष्टताओं (औषध, औषध विश्लेषण, फार्माकोलोजी एवं विषविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक उत्पादों, चिकित्सा रासायनिकी और चिकित्सा उपकरण) में एमएस एवं पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है और शैक्षणिक वर्ष 2020 से नाईपर-ए ने एमबीए (फार्म) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया है। नाईपर-अहमदाबाद में अंतः विषयी पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक विविधता नवोन्मेषी अनुसंधान भावना को एवं इसके छात्रों का चहुमुखी विकास को बढ़ावा देते हैं। संस्थान की स्थिति औषध उद्योगों, चिकित्सा केन्द्र और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों के साथ एक सहजीवी संपर्क सुनिश्चित करता है। यह संस्थान औषध शिक्षा एवं अनुसंधान को नया रूप देने और औषध और जैवचिकित्सा विज्ञान के नए युग की शुरुआत करने के लिए एक अच्छे शुरूआती मंच के रूप में काम करना चाहता है।

परिसर का विनिर्माण: नाईपर अहमदाबाद के परिसर का विनिर्माण वित्त वर्ष 2020-21 से एचएससीएल, पीएमसी द्वारा उसी के लिए नियुक्त किया गया है। करीब 10 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

5.4.1 उपलब्धियां

राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क-2021 (एनआईआरएफ): नाईपर को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एनआईआरएफ 2021 के अनुसार भारत में सभी फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान में से समस्त भारत में #10 स्थान का रैंक प्रदान किया गया है।

नवाचार उपलब्धियों में संस्थानों की अटल रैंकिंग-2020 (एआरआईआईए): - इस संस्थान को सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित संस्थानों की श्रेणी के तहत बैंड-क (11वीं-25वीं रैंक के बीच) में रखा गया है।

प्रकाशन- संस्थान ने कुल 8094 के उद्धरणों के साथ 636 लेख ख्याति प्राप्त समकक्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं।

पेटेंट: संस्थान ने अब तक 14 पेटेंट दाखिल किए हैं जिनमें नाईपर-अहमदाबाद के संकाय या छात्र अन्वेषक हैं

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: संस्थान ने अब तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के लिए 25 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीएएस रजिस्ट्री संख्या: नाईपर अहमदाबाद में संश्लेषित 15 नए यौगिकों को सीएएस रजिस्ट्री संख्या प्राप्त हुई।

5.4.2 एमएस कार्यक्रम में छात्र

i. नाईपर-अहमदाबाद से 714 एमएस फार्मा छात्रों ने पहले ही स्नातक की परीक्षा पास कर ली है और वे भारत एवं विदेशों के विभिन्न फार्मा उद्योगों में कार्यरत हैं।

ii. वर्तमान में 297 छात्र 8 विशिष्टताओं में अपना एम.एस. (फार्मा) और एमबीए (फार्मा) पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

5.4.3 पीएचडी कार्यकम में छात्र

i. आज की तारीख तक 16 छात्रों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जा चुकी है।

ii. 85 छात्र अपना पीएचडी अध्ययन जारी रखे हुए हैं।

5.4.4 छात्रों का प्लेरसमेंट

इच्छुक छात्रों की 100% नियुक्ति हो चुकी है।

5.4.5 संकाय एवं कर्मचारियों के विवरण

निदेशक के पद के अलावा, निम्नलिखित पदों को भरा गया है:

तालिका-5ढ

(नियमित और संविदा कर्मचारियों की स्थिति)

स्थिति	नियमित	संविदात्मक
संकाय स्थिति	20	1
गैर-संकाय स्थिति	17	7

5.4.6 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका-5ण

(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रु.करोड़ में)

वर्ष	आवंटित बजट अनुमान	आवंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	12.00	12.00	12.00
2019-20	15.00	18.50	18.50
2020-21	36.50	60.50	60.50
2021-22	40.00	25.00	25.00*

*दिनांक 31.12.2021 तक जारी की गई निधि

5.4.7 छात्र

प्रवेश स्थिति के साथ प्रदान की जाने वाली डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष-वार)

तालिका-5त

(विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

मास्टर्स/ डॉक्टरेट	डिग्री एमएस/ पीएचडी	विषय	प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्यास		
			2019-20	2020-21	2021-22
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	13	15	15
डॉक्टरेट	पीएचडी		4	4	4
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	22	22	22
डॉक्टरेट	पीएचडी		4 +2*	5	5
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	चिकित्सा उपकरण	14	15	15
डॉक्टरेट	पीएचडी		1	3	3
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	10	12	12
डॉक्टरेट	पीएचडी		1	3	3
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	22	22	22
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	5*1	5
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टॉक्सीकोलोजी	22	22	22
डॉक्टरेट	पीएचडी		3 + 2*	5	5
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्यूटिक्स	32	22	22
डॉक्टरेट	पीएचडी		3+1*	5	5
एमबीए (फार्म)	एमबीए (फार्म)		20	25	25
कुल			**169**	**186**	**185**

*पीएचडी प्रोजेक्ट सीटें

तालिका-5थ

(वर्षवार विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

डिग्री/एमएस/एमबीए/	विषय	प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्यात			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एमएस	7 विषय	96	107	125	125
पीएचडी	7 विषय	7	12	19 +5*	30+1*
एमबीए (फार्म)		-	-	20	25

*पीएचडी प्रोजेक्ट सीटें

5.4.8 शिक्षक-छात्र अनुपात

वर्तमान में 1 : 18.1 (21 संकाय : 382 छात्र)

5.4.9 नियोजनीयता/प्लेसमेंट स्थिति : पिछले 3 वर्षों की प्लेसमेंट स्थिति : कैम्पस में/कैम्पस से बाहर

तालिका-5द
(नियोजन की वर्षवार स्थिति)

बैच	छात्रों की कुल संख्या	नियोजित नहीं	नियोजित हुए छात्रों की कुल संख्या	उच्चतर अध्ययन के लिए इच्छुचक
2017-19	72	1	46	25
2018-20	96	13	65	18
2019-21	107	2	83	22

5.4.10 शिक्षक : अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग

नाईपर -अहमदाबाद ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बोस्टन, यूएसए, जॉन्स हॉपकिन्सन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर, एम डी, यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोकलॉजी, यूएसए; यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, सिएटल, यूएसए; यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकास्ल, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल साइसेंस एंड फार्मेसी, आस्ट्रेलिया; यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी स्कूल ऑफ फार्मेसी; यूएसए; वेयने स्टेट यूनिवर्सिटी यूज -इन्सपायर्ड बायोमेटेरियल्स एंड इन्टीग्रेटेड नैनो डिलिवरी सिस्टंबम लैबोरेटरी, यूएसए; और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, गेलवे, आयरलैंड के संकाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग स्थापित किया है। इस पहल के अंतर्गत इन विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के अनुसंधान संकायों ने नाईपर-अहमदाबाद के संकाय सदस्यों के साथ भावी अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक भागीदारी स्थापित करने पर सहमति प्रदान की है।

5.4.11 वर्ष 2020-21 के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन

तालिका-5ध
(हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की स्थिति)

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन विवरण	समझौता ज्ञापन तारीख
1	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्रा. लेफ्टिनेंट, स्विट्ज़रलैंड	11-06-2020
2	नोवुगेन फार्मा (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी 3, जालान जुरुरानकांग यू1/21, हिकॉम-ग्लेनमेरी इंडस्ट्रियल पार्क, 40150 शाह आलम, सेलांगोर, मलेशिया	31-08-2020
3	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	04-09-2020
4	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) ब्लॉक 3,4,5 उद्योग भवन सेक्टर -11, गांधीनगर 382011	22-09-2020
5	आईआईटी गांधीनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलाज, गुजरात 382355	12-10-2020
6	इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड दूसरी मंजिल, चिनुभाई सेंटर, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात 380009	09-11-2020
7	एम्स, भोपाल	18-2-2021
8	नेस्ले खाद्य सुरक्षा संस्थान, मानेसर गुरुग्राम, हरियाणा	13-7-2021

5.4.12 अनुसंधान: सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- ट्रांसक्रिप्टोमेनलिसिस के माध्यम से ओएससीसी रोगियों की जेनेटिक प्रोफाइल और बायोमार्कर पहचान
- आणविक तंत्र को विघटित करना जिससे स्वस्थ कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं और मेटास्टेसिस हो जाती हैं
- एमआईआरएनए के माध्यम से डायबेटिक नेफ्रोपैथी में इपिनेटिक मॉडुलेशन
- एक्सोजेनस हायल्युरोनिक एसिड इन्डक्शन का उपयोग कर स्तन कैंसर स्टेम कोशिकाओं का संशोधन
- एंटीकैंसर अणुओं के डिजाइन और सत्यापन के लिए प्रयोगात्मक और कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोणों का संयोजन
- हिस्टियोइन डेसीलेटिसिस (एचडीएसी) को लक्षित करने वाले कैंसर-रोधी यौगिकों पर इंडोल आधारित संरचनात्मक और कार्यात्मक मूल्यांकन
- टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में हिप्पोकैम्पल एसएएचपी मॉडुलेशन का आणविक लक्षण वर्णन
- एजिंग में एसएएचपी की शक्ति में जंक्शन प्रोटीन जोड़ते हुए ईआर-पीएम की भूमिका

औषधीय रसायन विज्ञान:-

- बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए पेप्टाइड्स और पेप्टिडोमिमेटिक्स आधारित नरम सामग्री
- प्रतिवर्ती एंटीकैंसर कोवलेंट इनहिबिटर्स का विकास
- सी-एच बांड सक्रियण के माध्यम से दवा उम्मीदवार (रों) का विनिर्माण
- सीएनएस संबंधित विकार और चोट के लिए लक्षित चिकित्सा

चिकित्सा उपकरण विभाग:-

- चिकित्सा उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में बायोमटेरियल प्लेटफॉर्म
- इंटरवर्टेब्रल डिस्क रिपेयर के लिए बायोइन्जीनियरिंग थ्री-डाइमेंशनल अलाइन्ड स्कापोल्ड
- स्पाइनल कोर्ड रिजेनेरेशन के लिए पॉलिमेरिक कन्ड्यूट
- मस्कुलोस्केलेटल ऊतक पुनर्जनन और रिपेयर के लिए स्मार्ट 3डी स्मार्ट स्कापोल्ड
- ज्वाइंट आर्थोप्लास्टी के लिए ओस्टोकोनैक्टिव और उच्च शक्ति बोन सीमेन्ट्स
- कैंसर थेरेनोस्टिक्सल के लिए उन्नत कार्यनीतियां
- नैदानिक अनुप्रयोगों के लिए पेपर-आधारित माइक्रोफ्लुइडिक्स

प्राकृतिक उत्पाद विभाग:-

- पादप स्रोतों से नए जैव सक्रिय प्राकृतिक उत्पारदों के पृथक्क रण के लिए एलसी-एमएस आधारित डिरेप्लिकेशन कार्यनीति।
- प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण और/या अर्ध-संश्लेषण के लिए सी-एच सक्रियण रणनीति
- पारंपरिक आयुर्वेदिक पॉलीहर्बल योगों के मानकीकरण के लिए क्यू-मार्कर प्रणाली की स्थापना

औषधि विश्लेषण विभाग:-

- ड्रग-एक्सीपिएंट संगतता अध्ययन
- एचपीएलसी, एलसी-एमएस/एमएस और क्यूएनएमआर का उपयोग करके एपीआई और एनसीई का फोर्स्ड डिग्रेडेशन अध्ययन

औषधि विज्ञान और आविष विज्ञान विभाग:-

- इंट्रा-आर्टेरियल मेसेनचाइमल स्टेम सेल ट्रीटमेंट का उपयोग करके इस्केमिक स्ट्रोक में माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटेक्शन
- इस्केमिक स्ट्रोक में काउंटरएक्ट एंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम स्ट्रैस की स्टेम सेल थेरेपी
- सीकेडी में इस्केमिक स्ट्रोक पैथोलोजी का प्रसार: माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का समावेश
- इस्केमिक स्ट्रोक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा में स्टैटिन की भूमिका की खोज

- पीआई3के/एकेटी पाथवे के माध्यम से सेरेब्रल इस्कैमिया में इनोसिन की भूमिका की जांच करना
- पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन में एपेलिन-13 की न्यूरोप्रोटेक्टिव भूमिका
- पार्किंसंस रोग

5.4.13 नाईपर का प्रभाव

नाईपर-अहमदाबाद देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और मानव संसाधन के विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तहत "मेक इन इंडिया" पहल में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। नाईपर-अहमदाबाद ने विकास की कार्यनीति के अभिन्न अंग के रूप में अनुसंधान सहयोग के साथ खुद को देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी फार्मेसी अनुसंधान संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इसने अपनी पहुंच को विस्तार देतु हुए उद्योग, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और मलेशिया के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के साथ-साथ अनुसंधान, फैकल्टी विजिट, सिलेबस अपग्रेडेशन और विनियामक सुधारों के लिए कई उद्योगों और अग्रणी संस्थानों के साथ सहयोग किया है। इसने विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, चर्चाओं का आयोजन किया है जिसमें मास्टर्स के छात्रों, पीएचडी, पोस्ट डॉक्स और शिक्षाविदों एवं उद्योग के शोधकर्ताओं ने भाग लिया। चर्चाएँ वैज्ञानिक रूप से प्रेरणादायक हैं और इसने स्वस्थ क्रॉस वार्ता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।

5.4.14 पुरस्कार/उपलब्धियां

(i) **राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क-2021 (एनआईआरएफ):** संस्थान को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एनआईआरएफ 2021 के अनुसार भारत में सभी फार्मेसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में #10वीं अखिल भारतीय रैंकिंग दी गई है।

(ii) **नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग-2020 (एआरआईआईए):-** संस्थान को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी के तहत बैंड ए (11वीं से 25वीं रैंक के बीच) में रखा गया है।

(iii) **सीएएस रजिस्ट्री संख्या:-** नाईपर अहमदाबाद में संश्लेषित 15 नए यौगिकों को सीएएस रजिस्ट्री संख्या प्राप्त हुई।

5.4.15 पेटेंट

इस संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 6 पेटेंट दाखिल किए।

5.4.16 संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम/कार्यशालाएं

नाईपर अहमदाबाद ने छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, सम्मेलन, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/वेबीनार/प्रशिक्षणों का आयोजन किया। नाईपर अहमदाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की तस्वीरें निम्नानुसार हैं:

दिनांक 14-10-2021 को जन आंदोलन प्रचार-प्रसार का आयोजन किया गया

चिकित्सा लेखन और परियोजना प्रबंधन में कैरियर पर एक कार्यशाला: एक विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से (27-10-2021)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27-10-2020 से 2-11-2020)

संविधान दिवस समारोह (26-11-2021)

5.5 नाईपर, गुवाहाटी

नाईपर, गुवाहाटी ने वर्ष 2008 से अपना कार्य शुरू करते हुए मैंटर संस्थान, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी के अंतर्गत जुलाई, 2017 तक कार्य किया। डॉ. यू.एस.एन. मूर्ति ने 3 नवम्बर, 2016 से संस्थान के निदेशक का कार्यभार संभाला। नाईपर-गुवाहाटी जनवरी, 2020 से चांगसेरी, कामरूप (ग्रामीण), उत्तरी गुवाहाटी, असम स्थित अपने स्वयं के स्थायी परिसर से अपना कार्य कर रहा है।

इस संस्थान के पास सरकार के प्रीमियम वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा पहचाने जाने वाले आठ राष्ट्रीय केंद्र हैं, जिनके नाम हैं:

i. प्रौद्योगिकी विकास हस्तांतरण बोर्ड, डीएसटी द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय फार्माकोइन्जिनियरिंग केंद्र;
ii. बायोनेस्ट इन्क्यूबेशन सेंटर, बीआईआरएसी, डीबीटी;
iii. जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मंत्रालय से जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता केंद्र;
iv. जीएमपी मान्यता प्राप्त पायलट स्केल-अप निष्कर्षण सुविधाकेन्द्र, डीबीटी;
v. टीआईईएस, वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में हर्बल उद्योग के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन

और मूल्यवर्धन केंद्र, और

vi. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से जीएलपी मान्यताप्राप्त पशु घर सुविधाकेन्द्र

vii. एमईआईटीवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से औषध डिजाइन के लिए उन्नत केंद्र, और

viii. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) गाजियाबाद से फार्माकोविजिलेंस सेंटर, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय।

5.5.1 उपलब्धियां

i. पीएचडी-60 (नामांकित), डिग्री से सम्मानित-13 (संस्थान के प्रारंभ से)

ii. कुल एम.एस. (फार्मा) (संस्थान के प्रारंभ से)

पंजीकृत छात्रों की संख्या-563

स्नातक-389 छात्र वर्तमान में अपना पीजी पाठ्यक्रम कर रहे हैं

iii. नाईपर-जी के प्रत्येक विभाग के लगभग 100% छात्रों ने विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों जैसे डॉ रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, मैकलियोड्स, जीवीके-बायोसाइंस, सिनजीन आदि में ऑन/ऑफ कैम्पस नियोजन पद्धतियों के माध्यम से नौकरियां हासिल की हैं।

iv. **प्रकाशन:** संस्थान के प्रारम्भ से उत्कृष्ट समीक्षित अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 303 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं जिनमें से 78 लेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में वर्ष 2020-21 में प्रकाशित हुए

v. संस्थान के पास 13 पेटेंट्स हैं जिनमें 02 डिजाइन पेटेंट और 02 कॉपीराईट है। 06 पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा 2020-21 में प्रकाशित हुए

5.5.2. संकाय और स्टाफ के ब्यौरे

प्रशासनिक स्टाफ	:	20
बहुकार्य स्टाफ	:	13
शैक्षणिक स्टाफ		
एसोसिएट प्रोफेसर	:	06
सहायक प्रोफेसर	:	10+2*
अनुसंधान सहयोगी	:	04
तकनीकी स्टाफ	:	06

*रामलिंगास्वामी फेलो

5.5.3 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका-5न
(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	33.50	33.50	33.50
2019-20	36.90	43.90	43.90
2020-21	34.45	79.45	79.45
2021-22	38.70	38.70	*38.70

*दिनांक 31.12.2021 तक जारी निधि

5.5.4 छात्र

उपलब्ध डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष के साथ)

तालिका-5प

(विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

मास्टर्स/ डॉक्टोरल	डिग्री एमएस/ एमबीए/एम-टेक /पीएच.डी	विषय	वर्ष			
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	15	15	15	18
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	10	10	10	10
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्मेसी प्रैक्टिस	10	9	10	12
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्मास्यूटिक्स	15	18	18	20
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	15	18	19	25
मास्टर्स	एम फार्मा	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी (फार्मूलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	11	12
मास्टर्स	एम फार्मा	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	11	12
मास्टर्स	एम टैक	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	9	16
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	2+2*	1+2*	2	3
डॉक्टोरल	पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	1	0	2	3
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	1	1	1+1*	3
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्मास्यूटिक्स	2*	1+3*	4+1*	7
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण	1*	1+1*	2+1*	5
डॉक्टोरल	पीएचडी	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	2	4

5.5.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

शिक्षक: छात्र अनुपात : 1:11.8

5.5.6 रोजगार/नियोजन की स्थिति

संस्थान के सभी छात्रों को वर्ष 2020-21 में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान विभिन्न प्रीमियम उद्योगों/कंपनियों में

सफलतापूर्वक नियोजन मिला। प्रत्येक विभाग में नाईपर-जी के लगभग 100% छात्रों को ऑन/ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मोड के माध्यम से डॉ रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, मैकलियोड्स, जीवीके-बायोसाइंस, सिनजीन आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों में सफलतापूर्वक स्थान दिया गया।

5.5.7 अनुसंधान

जैव प्रौद्योगिकी

बॉयोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंग/सिंथेटिक जीव विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करके बॉयोफार्मास्यूटिकल का विकास -

i. ऑनकोजेनिक एमआरएनए क्लोविंग डीओक्सीरिबोजिम्स
ii. कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा रिरूटिंग के नए तरीकों का विकास
iii. ओंकोजेन के रिबोस्विच मध्यस्थ जीन विनियमन
iv. यादृच्छिक प्रोटीन कोडिंग क्रम और एप्टामर आधारित चिकित्सा और नैदानिक उपकरण का उत्पादन

फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी:

i. आणविक औषध विज्ञान
ii. कैंसर लक्षित दवा वितरण प्रणाली का विकास
iii. सूजन, गठिया, मधुमेह, कैंसर और हेपाटोप्रोटेक्टिव गतिविधियों के क्षेत्र में नए यौगिकों की तलाश में भारतीय जैव विविधता और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की जांच
iv. सूजन और कैंसर प्रेरित हड्डियों के विकारों के उपचार के लिए आरएएनकेएल को लक्षित करना
v. एंटी पार्किंसंस और एंटीडिप्रेसेंट प्रभावों के लिए एनसीई और उत्तर-पूर्व संयंत्र उत्पादों की स्क्रीनिंग
vi. पूर्वोत्तर भारत से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादों के माध्यम से दवा प्रेरित विषाक्तता के शमन पर अध्ययन

फार्मेसी प्रैक्टिस:

i. अपस्मार रोधी और मनोरोग प्रतिरोधी औषध के लिए दवा उपयोग के तरीकों का अध्ययन
ii. पहली पंक्ति पर पीएलएचआईवी और दूसरी पंक्ति एंटीरिट्रोवायरल पथ्य में जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर लिपोडिस्ट्रॉफी का प्रभाव
iii. **हेमोविजिलांस :** सुरक्षित रक्त आधान प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण

फार्मास्यूटिक्स :

(i) बीसीएस-द्वितीय-चतुर्थ दवाओं के लिए खुराक प्रपत्र डिजाइन, विकास, अनुकूलन और मूल्यांकन
(ii) घातक रोगों और अन्य जानलेवा बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सूक्ष्म और नैनोथेराग्नोसिस अवधारणाएं
(iii) मानव शरीर में प्रत्यारोपित या सम्मिलित चिकित्सा उपकरणों की सतहों से बायोफिल्म-उत्पादक सूक्ष्मजीवों का उन्मूलन
(iv) लिगैंड आधारित लिपिड/बहुलक-मध्यस्थ नैनोआर्किटेक्टोनिक्स
(v) उपेक्षित रोगों से लड़ने के लिए फार्माकोइंजीनियर्ड डिलीवरी उपकरण
(vi) फार्मास्यूटिकल 3डी और 4डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
(vii) फ्यूज्ड-फिलामेंट्स अनुप्रयोगों के लिए एक्सट्रूज़न आधारित बायोफिलामेंट्स प्रोसेसिंग
(viii) ट्रांसलेशनल अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास

फार्मास्यूटिकल विश्लेषण :

i. जैव उपलब्धटता, आईवीआईवीसी एवं आईवीआईवीई विश्लेषण
ii. एचपीएलसी, यूपीएल सी, एलसी-एमएस/एमएस का प्रयोग करके विश्लेषणात्मक (आईसीएच दिशानिर्देश) एवं जैव विश्लेषणात्मक (एफडीए उद्योग दिशानिर्देश) विधि विकास एवं विधिमान्याकरण
iii. सम्मिश्रणों एवं डिग्रेडेशन अध्ययनों की अल्पकालिक/त्वरित, मध्यकालिक और दीर्घकालिक स्थायित्व जांच

iv. फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सीकोकाइनेटिक, मेटाबॉलिक तथा इम्प्यूरीटी प्रोफाइलिंग

5.5.8 छात्रों का नामांकन

पीएचडी छात्रों की वर्तमान संख्या: 46

(फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी-13; बायोटेक्नोलॉजी-07; फार्मेसी प्रैक्टिस-07; फार्मास्यूटिक्स-11; फार्मास्यूटिकल विश्लेषण-06 और औषधीय रसायन शास्त्र-2)

स्नातकोत्तर छात्रों की वर्तमान संख्या: 170

(फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी-30; बायोटेक्नोलॉजी-18; फार्मेसी प्रैक्टिस-18; फार्मास्यूटिक्स-36 और फार्मास्यूटिकल विश्लेषण-37; औषधीय रसायन शास्त्र-11; औषध प्रौद्योगिकी (फॉर्मूलेशन-11 और चिकित्सा उपकरण-09)

5.5.9 पेटेंट और व्यवसायीकरण

संस्थान में कुल 13 पेटेंट और 2 कॉपीराइट है, जिनमें से 2 डिजाइन पेटेंट है, 02 पेटेंट और 01 डिजाइन पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया।

5.5.10 सहयोग

नाईपर-जी ने 36 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाईपर, गुवाहाटी ने कई अग्रणी संस्थानों जैसे सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ, एम्स-बीबीनगर, तेलंगाना, एम्स-जोधपुर, आईएसबीडी-मणिपुर, एएमटीजेड-विजाग, एपी, आदि के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

5.5.11 नाईपर के प्रभाव

नाईपर-गुवाहाटी की स्थापना से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने को एक ठोस प्रोत्साहन मिला है। नाईपर-गुवाहाटी के अनुसंधान के प्रयासों द्वारा विभिन्न रोगों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थानीय जड़ी बूटियों के औषधीय मूल्य पर अध्ययन को पुनर्जीवित किया गया है। नाईपर-गुवाहाटी ने एनईआर में उद्यमिता संस्कृति का संवर्धन करने और बढ़ावा देने के लिए कई आभासी/भौतिक सम्मेलन, बैठक, कार्यशाला, कौशल विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन किया है। यह संस्थान एनईआर के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा आदि के पारंपरिक चिकित्सकों और संभावित उद्यमियों को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समर्थन कर रहा है।

नाईपर-गुवाहाटी के नए शामिल हुए संकाय सदस्यों को वर्ष 2020-21 में विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों जैसे आईसीएमआर, एसईआरबी, डीएसटी, बीआईआरएसी-एनईआर योजना, आदि से कई अतिरिक्त वित्त पोषित परियोजनाओं से सम्मानित किया गया है।

5.5.12 एम.एस/एम. फार्मा. डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या।

तालिका-5फ

(एम.एस./एम. फार्मा डिग्री प्राप्त छात्रों की वर्षवार स्थिति)

क्र.सं.	बैच	नामांकित छात्रों की संख्या	डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
1	2015-17	26	26
2	2016-18	35	35
3	2017-19	39	39
4	2018-20	65	65
5	2019-21	70	70

कुल		170	170

कुछ तस्वीरें

नाईपर-गुवाहाटी ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली, भारत को अपनी संश्लेषित और मान्य पहली संदर्भ मानक सामग्री सौंपी।

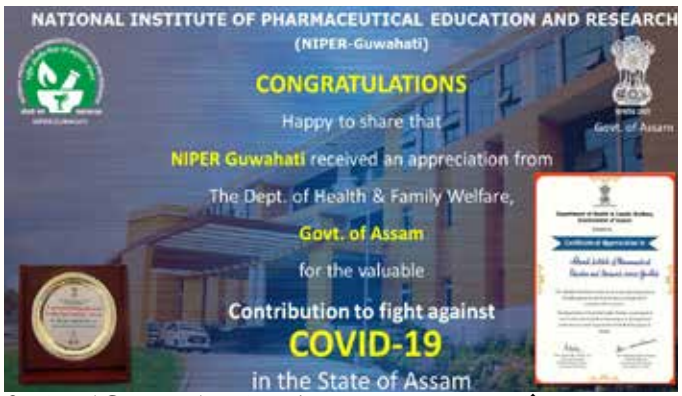

नाईपर-गुवाहाटी ने कोविड प्रकोप के दौरान असम राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया

आपसी गैर-प्रकटीकरण समझौते के लिए हस्ताक्षरित "ए फेस प्रोटेक्टिंग डिवाइस" डिजाइन और पेटेंट कराया गया, और प्रौद्योगिकी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी , पुणे, महाराष्ट्र (एचएएल, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक उद्यम) को हस्तांतरित की जाती है।

नाईपर-जी ने अपने नवाचारों पर अपनी बड़े-एनईआर परियोजनाओं के रोलआउट के लिए एनईआर के 04 संभावित नवप्रवर्तकों के साथ समझौता ज्ञापन किया

5.6 नाईपर-रायबरेली

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। यह संस्थान 150 नामांकित विद्यार्थियों के साथ औषधीय रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एवं बायोटेक्नोलोजी में डॉक्टोरल एवं मास्टर्स कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस समय यह संस्थान लखनऊ स्थित अपने ट्रांजिट परिसर से कार्य कर रहा है, जिसमें इसके परिसर के भीतर एक विश्व स्तरीय केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा केन्द्र और पूर्व नैदानिक अध्ययन करने के लिए एक पशुघर विद्यमान है।

5.6.1. उपलब्धियां

- नाईपर-रायबरेली में फार्मासूटिक्स प्रभाग ने मनोविकार रोधी और क्षयरोग रोधी दवाओं के बेहतर वितरण के लिए नैनो-आधारित दवा-वितरण प्रणाली के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।
- इस संस्थान ने वर्ष 2020-21 में 16 पेटेंट और एक कॉपीराइट दायर किया है।
- संस्थान के विषयगत क्षेत्रों में शोध के लिए संस्थान को लगभग 1.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शोध अनुदान प्राप्त हुआ।
- अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में पिछले 3 वर्षों में लगभग 150 से अधिक प्रकाशन (वर्तमान वर्ष में 74 प्रकाशन)।
- परिष्कृत उपरकण जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर), एलसी-एमएस (क्यूटीओएफ-एचआरएमएस), एचपीएलसी, एफटी-आईआर, फ्लो-साइटोमेट्री, एनिमल इमेजिंग सिस्टम, डीएससी, कन्फोकल सिस्टम इत्यादि को हाउसिंग करते हुए केन्द्रीय उपकरण सुविधा सृजित की गई।

5.6.2 शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ

प्रशासनिक स्टाफ	: 05
मल्टी-टास्क स्टाफ	: 13
शैक्षणिक स्टाफ :	
एसोसिएट प्रोफेसर	: 05
सहायक प्रोफेसर	: 11
रिसर्च एसोसिएट	: 01
तकनीकी स्टाफ	: 03

नियमित स्टाफ की भर्ती का दूसरा चरण चल रहा है और पदों को जल्द ही भरे जाने की संभावना है।

5.6.3 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल निधि आवंटन

तालिका-5ब
(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	12.00	15.00	15.00
2019-20	16.00	17.01	17.01
2020-21	22.00	28.00	28.00
2021-22	26.00	26.00	*17.00

* दिनांक 31.12.2021 तक जारी निधि।

5.6.4 छात्र

तालिका-5ब

(प्रवेश के साथ प्रदान की जाने वाली डिग्री/कार्यक्रमों और विषयों की वर्ष-वार स्थिति)

वर्ष	एमएस (फार्मा) प्रवेश पूर्ण		पीएचडी प्रवेश पूर्ण	
2017-19	36	36	05	02
2018-20	56	56	06	जारी
2019-21	62	60	06	जारी
2020-22	74	जारी	06	जारी
2021-23	90	जारी	18	जारी

5.6.5 शिक्षकः छात्र अनुपात

वर्तमान - 1:13

5.6.6 नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति.

तालिका-5म

(वर्षवार नियोजन की स्थिति)

वर्ष	**एम.एस. फार्मा**	
	छात्रों की संख्या	नियोजन (%में)
2015-17	36	25
2016-18	35	100
2017-19	36	98
2018-20	58	90
2019-21	60	75

5.6.7 पुरस्कार / शिक्षक

तालिका-5य

(शिक्षकों द्वारा प्राप्त पुरस्कार)

नाम	**अनुशासन**	**मान्यता**
डॉ. गोपाल खटीक	सहायक प्रोफेसर औषधीय रसायन शास्त्र	एआईसीटीई, सीएसआईआर द्वारा आयोजित और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, सरकार भारत द्वारा समर्थित "कोविड-19 अणुओं के विकास के लिए ड्रग डिस्कवरी चैलेंज/ हैकथॉन" विशेषज्ञ के रूप में चयनित।
डॉ. राकेश के. सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी	एआईसीटीई, सीएसआईआर द्वारा आयोजित और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित "कोविड -19 अणुओं के विकास के लिए ड्रग डिस्कवरी चैलेंज/हैकथॉन" विशेषज्ञ के रूप में चयनित।
डॉ. अनूप कुमार	सहायक प्रोफेसर (अनुबंध) फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी	एआईसीटीई, सीएसआईआर द्वारा आयोजित और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, सरकार भारत द्वारा समर्थित "कोविड-19 अणुओं के विकास के लिए ड्रग डिस्कवरी चैलेंज/हैकथॉन" विशेषज्ञ के रूप में चयनित।

डॉ. कीर्ति जैन	सहायक प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स	वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित "आईसीएमआर - शकुंतला अमीर चंद पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। [अधिसूचना संख्या 3/1/3/आईसीएमआर पुरस्कार (3)/2019-एचआरडी; दिनांक 29.12.2020 द्वारा]
आशिमा ठाकुर	पीएचडी छात्र औषधीय रसायन शास्त्र	ट्रांसलेशनल रिसर्च एवं ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर 12वें नाईपर-आर ई-संगोष्ठी में **सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति (पहला स्थान) पुरस्कार** प्रदान किया गया, दिनांक 15-16 फरवरी, 2021
सुमाधुरा बोमराजु फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी	पीएचडी छात्र	ट्रांसलेशनल रिसर्च एवं ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर 12वें नाईपर-आर ई-संगोष्ठी सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति (दूसरा स्थान) पुरस्कार प्रदान किया गया, दिनांक 15-16 फरवरी, 2021
श्रियांशु श्रीवास्तव	एमएस (फार्मा.) छात्र	ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर 12वें नाईपर-आर ई-संगोष्ठी में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर प्रस्तुति (पहला स्थान) पुरस्कार प्रदान किया गया, दिनांक फरवरी 15-16, 2021

5.6.8 अनुसंधान

(क) सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र:

- न्यूरोडिजनरेटिव रोग
- भारी धातु विषाक्ता अध्ययन
- जापानी एन्सेफेलाइटिस
- क्षयरोग
- नैनो सम्मिश्रणों का प्रयोग करके औषधियों का विकास एवं मूल्यांकन

(ख) हरित एवं पर्यावरण-हितैषी सिंथेटिक तरीकों का विकास

(ग) परियोजनाएं-चल रही : 09, मूल्य 2.40 करोड़ रुपये।

5.6.9 नाईपर का प्रभाव

नाईपर-रायबरेली आधुनिक प्रयोगशालाओं, अत्यधिक परिष्कृत उपकरण के साथ विशेष रूप से मध्य भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान दोनों में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है। इसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और औषध उद्योग ने अपने छात्रों को लघु अवधि और दीर्घकालिक आधार पर प्रशिक्षण देने के अलावा इसके साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है।

संस्थान ने अपने तात्कालिक महत्व के क्षेत्रों जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस, तपेदिक और न्यूरोडीजनरेटिव रोगों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगी परियोजनाएं/काम शुरू किया है। दवा की खोज हेतु निर्बाध नमूना विश्लेषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। संस्थान भारतीय औषध उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन भी प्रदान कर रहे हैं।

5.6.10 संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम/कार्यशालाएं

कोविड-19 महामारी जागरूकता अभियान

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2021)

संविधान दिवस गतिविधियां

डॉ. यूएसएन मूर्ति ने भारतीय फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से नाईपर-आर में आयोजित किए जा रहे युवा फार्माकोलॉजिस्ट संगोष्ठी में फार्माकोलॉजी क्षेत्र के अग्रणी, युवा फार्माकोलॉजिस्ट और डेल इगेट्स का स्वागत किया। उन्होंने वैक्सीन अनुसंधान में सामुदायिक फार्मेसी, सामाजिक औषध विज्ञान और पशु अध्ययन की भूमिका के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित युवा फार्माकोलॉजिस्ट संगोष्ठी

औषध विज्ञान में रियोमीटर के अनुप्रयोग" 22 जून, 2021

जर्मन डॉ. क्रिस्टोफर गेहल, रियोलॉजी और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों की मूल बातें पर व्याख्यान देते हुए

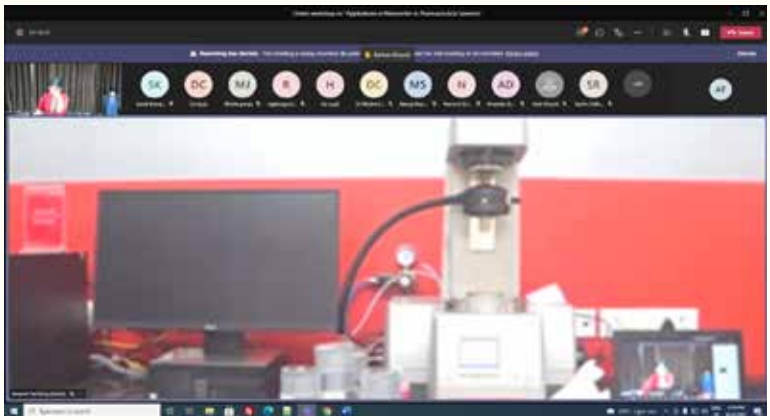

रियोमीटर पर नमूना विश्लेषण का प्रशिक्षण और लाइव प्रदर्शन

5.7 नाईपर, कोलकाता

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (नाईपर-कोलकाता) की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और वर्तमान में यह औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और शिक्षण, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के माध्यम से भारत में औषध उद्योग के विकास में योगदान करने के लिए 'चुनीलाल भवन', मानिकतला, कोलकाता में कार्य कर रहा है। वर्तमान में, शिक्षण और अनुसंधान इस संस्थान का मुख्य कार्य है और अधिभावी लक्ष्य है।

5.7.1. उपलब्धियां

वर्ष 2020-21 में 31 शोध पत्र प्रकाशित हुए, 1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्थापना से आज तक, 508 अत्यधिक कुशल एम.एस. (फार्मा.) छात्रों ने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है और 4 छात्रों को पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित किया गया है।

5.7.2. शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ

नाईपर कोलकाता में 12 शैक्षणिक और 13 गैर-शैक्षणिक नियमित कर्मचारी हैं। दो शिक्षक संविदा पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 19 कार्यालय के लिए आउटसोर्स/संविदात्मक गैर-शिक्षण कर्मचारी हैं।

5.7.3. पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका- 5कक

(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	12.00	12.00	12.00
2019-20	16.00	18.00	18.00
2020-21	23.00	34.82	34.82
2021-22	27.64	27.64	27.64*

* दिनांक 31.12.2021 तक जारी की गई निधि।

5.7.4 छात्र

प्रवेश की स्थिति के साथ पेश किए गए डिग्री/कार्यक्रम और विषय:

तालिका-5कख
(वर्षवार विभिन्न विषयों में प्रवेश की स्थिति)

स्तर	डिग्री	विषय	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या			
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मास्टर्स	एम.एस. (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	08	08	15	16
		प्राकृतिक उत्पाद	08	06	06	09
		फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स	03	04	03	07
		फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी	08	13	13	17
		दुर्लभ रोग	-	-	-	-
		फार्मास्यूटिक्स	-	-	13	18
		चिकित्सा उपकरण	-	-	-	11
डॉक्टरेट	पी.एचडी	औषधीय रसायन शास्त्र	-	-	03	04
		प्राकृतिक उत्पाद	01	-	-	02
		फार्माकोइन्फोर्मेटिक्स	-	-	-	-
		फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी	-	01	03	03
		फार्मास्यूटिक्स	-	-	02	03

5.7.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

वर्तमान में-1:10

संस्थान की अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों को नियमित संकाय और अतिथि संकाय द्वारा सशक्त किया जाता है।

5.7.6 नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति

स्थापना के बाद से बड़ी संख्या में फार्मा कंपनियां छात्रों की भर्ती के लिए नाईपर-कोलकाता आईं। अधिकांश छात्रों को उद्योगों, कालेजों तथा शोध संस्थानों में ले लिया गया है। कई छात्र देश में और विदेशों में उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं। नौकरी के लिए इन छात्रों के विकल्पों के अनुसार कंपनियों में अथवा शिक्षण संस्थानों एवं उच्चतर अध्ययन के लिए इनका नियोजन किया गया।

तालिका-कग
(नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति)

मास्टर्स- एम.एस. (फार्मा.)		
वर्ष (बैच)	**छात्रों की कुल संख्यां**	**नियोजित छात्रों की संख्या**
2016-2018	42	36
2017-2019	44	32
2018-2020	27	19
2019-2021	31	24
कुल	**144**	**111**
डॉक्टरेट : पी.एचडी.		
2018-2022	01	01 अध्ययनरत
2019-2023	01	01 अध्ययनरत
2020-2024	08	08 अध्ययनरत
2021-2025	12	12 अध्ययनरत
कुल	**22**	**22 अध्ययनरत और 4 नियोजित**

5.7.7 संकाय की मान्यता

नाईपर कोलकाता के संकाय में नियमित संकाय, डीएसटी प्रेरित संकाय और अन्य अतिथि संकाय भी शामिल हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता, बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, एनआईसीईडी, एआईआईएच और पीएच और एसएसकेएम अस्पताल, टीसीजी लाइफ साइंसेज और वे संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को संभालने के लिए अपने स्वयं के क्षेत्रों में अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं, जो डीबीटी, नई दिल्ली, डब्ल्यूबी राज्य डीबीटी, कोलकाता, एसईआरबी, नई दिल्ली, सीसीआरएच, नई दिल्ली, सीएमईआरआई, नई दिल्ली से अनुसंधान अनुदान सहित विभिन्न फंडिंग एजेंसियों से अनुसंधान निधि प्राप्त करके और सशक्त होता है। वे सभी अपने शोध कार्य को उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित करने में शामिल हैं।

दुर्लभ बीमारियों के लिए एआईआईएचपीएच, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता अपोलो अस्पताल, मेडिका सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता, ड्रग्स कंट्रोलर, कोलकाता, सीएसआईआर-आईआईसीबी आदि के 16 अतिथि संकाय हैं।

5.7.8 अनुसंधान

- नई दवा वितरण प्रणाली और 3डी बायोप्रिंटिंग
- चिकित्सा उपकरणों के लिए जैव सामग्री अनुकूलन
- बायोसेंसर विकास
- खुराक रूपों का उन्नत निर्माण
- चिकित्सीय एजेंट के रूप में न्यूक्लियोसाइड
- स्फिंगोसिन अवरोधकों का विकास
- एपीआई संश्लेषण के लिए ग्रीन केमिस्ट्री और फ्लो केमिस्ट्री
- बायोफिल्म और कोरम संवेदन को लक्षित करना।
- डीएनए आधारित चिकित्सीय और नैदानिक उपकरणों का विकास।

- संरचनात्मक जैव सूचना विज्ञान: संक्रामक रोगों और चयापचय संबंधी विकारों के लिए नई दवा की खोज/पुनर्प्रयोजन
- एंटी-माइक्रोबियल एजेंटों की कम्प्यूटेशनल डिजाइनिंग।
- छोटे अणुओं के उत्पादन के लिए मेटाबोलिक बायो-इंजीनियरिंग
- फाइटोफार्मास्युटिकल्स और हर्बल फॉर्मूलेशन की ट्रांसक्रिपटॉमिक्स और प्रोटिओमिक प्रोफाइलिंग
- मधुमेह मध्यस्थता गैर-मादक स्टीटोहेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा: औषधीय और जैव रासायनिक लक्षण वर्णन।
- मधुमेह से जुड़ी तंत्रिका संबंधी जटिलताएं
- प्रतिरक्षा जैव प्रौद्योगिकी में जीनोम संपादन
- पादप रसायन; रसायन परिवर्तन: हर्बल उत्पाद विश्लेषण
- श्वसन रोगों में हर्बल दवाओं का नेटवर्क औषध विज्ञान

सर्जिकल ड्रेसिंग और ड्रग एल्यूटिंग इम्प्लांट्स के लिए औषध टेस्टिंग लैब (डीटीएल) सुविधा की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

5.7.9 नवाचार/ज्ञान अंतरण/हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

नाईपर-कोलकाता अपने उत्पाद विकास का समर्थन करने वाली कई क्षेत्रीय औषध और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नाईपर-कोलकाता ने मेसर्स बायो ग्रीन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के बायोविन उत्पादों के लिए कम्प्यूटेशनल मशीन द्वारा उत्पाद विकसित किया है/वैज्ञानिक डेटा प्रदान किया है, और मैसर्स इनवेंट्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के क्लोरीन डाइऑक्साइड गैसीय कीटाणुशोधन उत्पाद का मूल्यांकन किया है और वर्तमान में इसका ओरनिस्टोप के व्यापार नाम से विपणन किया जाता है जो व्यापक रूप से बैक्टीरिया, कवक और बीजाणुओं के उन्मूलन के लिए उपयोग किया जाता है।

नाईपर-के ने विथेफेरिन डेरिवेटिव्स के लिए मैसर्स नैट्रियन आईएनसी यूएसए कोलकाता को परामर्श सेवा प्रदान की है। स्वदेशी वेंटिलेटर मेसर्स ब्रॉडलाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और सीएसआईआर-सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुडी द्वारा नाईपर-कोलकाता के सहयोग से विकसित किया गया है, सरकारी राजाजी अस्पताल, मदुरई और वुडलैंड्स अस्पताल, कोलकाता (मदुरई मेडिकल कॉलेज, मदुरई और तमिलनाडु से संबद्ध अस्पताल) में क्लिनिकल परीक्षण अध्ययन के तहत है।

अनुसंधान कार्य को गति प्रदान करने हेतु शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन किए गए। संस्थान ने कुल 18 एमओयू साइन किए हैं। इस वर्ष इसने टेलर और फ्रांसिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.7.10 नाईपर का प्रभाव

(i) कुल 508 अत्यधिक कुशल छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की
(ii) 4 अध्येताओं को पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया है
(iii) 339 छात्रों को कंपनियों/संस्थानों में काम पर लगाया गया है
(iv) 235 शोध पत्रों को प्रकाशित किया गया
(v) नाईपर कोलकाता में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विवो एनिमल इमेजिंग, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, 3डी प्रिंटिंग और फ्लो रिएक्टर में बीएसएल-2 सुविधा स्थापित की गई है।
(vi) वर्तमान में संस्थान को विभिन्न राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से 3.9 करोड़ रुपये की अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
(vii) नाईपर-कोलकाता ने कम्प्यूटेशनल मशीन द्वारा मेसर्स बायो ग्रीन रेमेडीज प्रा. लिमिटेड हैदराबाद के बायोविन उत्पादों के लिए उत्पाद विकसित किया है/वैज्ञानिक डेटा प्रदान किया है।
(viii) मेसर्स बायो ग्रीन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के नाम पर वैज्ञानिक

कुर्सी को नाईपर कोलकाता द्वारा बनाया गया है।

(ix) नाईपर-कोलकाता ने एपीआई में फ्लो रिएक्शन एप्लीकेशन की अवधारणा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार एक लाख रुपये के साथ श्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के नाम पर फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी अवार्ड" एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है।

(x) मैसर्स इन्वेंट्ज लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा क्लोरीन डाइऑक्साइड गैसीय कीटाणुशोधन उत्पाद का मूल्यांकन और वर्तमान में इसका विपणन ओर्निस्टोप के व्यापार नाम में नाईपर कोलकाता द्वारा किया गया है।

(xi) पेटेंट की संख्या: एक

5.7.11 नाईपर का संस्था नेतृत्व प्रभाव

नाईपर कोलकाता विभिन्न शोध परियोजनाओं में मदद करने के लिए विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों तक पहुंच रहा है। वर्तमान में इसके पास 26 आउटरीच पार्टनर हैं।

नाईपर कोलकाता एएमटीजेड-विशाखापत्तनम के सहयोग से कोविड संकट के दौरान जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने में शामिल है।

नाईपर कोलकाता ने संक्रामक रोग, चयापचय संबंधी विकारों और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों से निपटने के लिए नई रणनीति विकसित करने की दिशा में एक प्रमुख शोध अभियान चलाया है।

संस्थान ने मार्च-अक्टूबर, 2021 के दौरान वर्चुअल मोड द्वारा बारह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयोजनों की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं।

5.7.12 नाईपर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम

आजादी का अमृत महोत्सव: फार्मा @ 75 अवसर

अध्यक्ष, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, लोकसभा सांसद द्वारा औषधि और चिकित्सा उपकरण परीक्षण सुविधा का उद्घाटन।

नाईपर कोलकाता का 9वां दीक्षांत समारोह

संसदीय स्थायी समिति का नाईपर कोलकाता का दौरा

5.8. नाईपर, हाजीपुर

नाईपर-हाजीपुर ने 2007 में पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आरएमआरआईएमएस) संस्थान के संरक्षण मे दिनांक 31.10.2018 तक काम किया। इसके स्वयं के पहले निदेशक ने दिनांक 01.11.2018 से कार्यभार ग्रहण किया, और संस्थान अग्रणी बनने का लक्ष्य प्राप्त करने में लगा हुआ

है। यह पांच विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर (एमएस) फार्मेसी शिक्षा और डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) प्रदान करता है, अर्थात्

(i) जैव प्रौद्योगिकी में एमएस और पीएचडी।

(ii) फार्मेसी प्रैक्टिस में एमएस और पीएचडी

(iii) फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में एम.एस. और पीएचडी

(iv) एम.एस. और फार्मास्युटिकल विश्लेषण में पीएचडी (2021-22 से) और

(v) जैव प्रौद्योगिकी 18, फार्मेसी प्रैक्टिस 16, फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी 17, फार्मास्युटिकल एनालिसिस 10 और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फार्मास्यूटिक्स 11 में वार्षिक प्रवेश के साथ फार्मास्यूटिक्स में एम.एस. और पीएचडी (2021-22 से)।

5.8.1 उपलब्धियां

स्थापना के बाद से अभी तक कुल 440 छात्र (एम.फार्मा-424 और पीएचडी-16) उत्तीर्ण हुए हैं, 83 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और अब तक 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन में से पांच समझौता ज्ञापन पर इस शैक्षणिक वर्ष में हस्ताक्षर किए गए हैं। नवम्बर, 2020 में एक भारतीय पेटेंट दाखिल किया गया।

5.8.2 संकाय और कर्मचारी

संकाय और कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है

शैक्षणिक : निदेशक और 09 (नियमित)

गैर-शैक्षणिक : 06 (नियमित) और 03 (अनुबंध पर)

5.8.3 पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निधि आबंटन

तालिका-5कघ
(वर्षवार निधि का आबंटन)

(रु. करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2018-19	9.50	9.50	9.50
2019-20	10.50	10.50	5.00
2020-21	15.00	26.00	26.00
2021-22	21.00	21.00	21.00*

* दिनांक 31.12.2021 तक जारी निधि

5.8.4 छात्र

छात्रों को सभी नाईपरों द्वारा संचालित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। तीन मौजूदा विभागों के प्रत्येक विभाग में स्नाकोत्तर के लिए स्वीकृत सीट का इनटेक जैव प्रौद्योगिकी 18, फार्मेसी प्रैक्टिस 16, फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी 16, फार्मास्युटिकल एनालिसिस 10 और फार्मास्यूटिक्स 11 और प्रत्येक विभाग में पीएचडी के लिए जैव प्रौद्योगिकी 04, फार्मेसी प्रैक्टिस 04, फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी 04, फार्मास्युटिकल एनालिसिस 02 और फार्मास्यूटिक्स 01 है।

तालिका-5कङ
(प्रवेश दिए गए छात्रों की स्थिति)

छात्र	पुरुष	महिला	सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा	ईडब्ल्यूएस + पीएच	कुल
पीजी-II (वर्तमान) (बैच 2020-22)	29	22	21	14	7	3	5+1	51
पीजी-I (वर्तमान) (बैच 2021-23)	40	31	15	28	12	04	08+04	71
पीएच.डी (रोल पर)	15	10	11	05	06	2	00+01	25

5.8.5 शिक्षक-छात्र अनुपात

वर्तमान में-1:10

5.8.6 नियोजनता/नियोजन की स्थिति

(नाईपर, हाजीपुर एम.एस. छात्रों का नियोजन ब्यौरा)

तालिका-5कच
(नाईपर, हाजीपुर एम.एस. छात्रों का नियोजन ब्यौरा)

बैच वर्ष	छात्रों की कुल संख्या	नियोजन		% नियोजन (कुल)
		उद्योग	उच्चतर शिक्षा	
2017-19	32	21	04	78%
2018-20	36	05	07	33%
2019-21	42	11	17	67%

तालिका-कछ
(नाईपर, हाजीपुर पीएचडी छात्रों का नियोजन ब्यौरा)

बैच वर्ष	छात्रों की कुल संख्या	नियोजन		% नियोजन (कुल)
		उद्योग	उच्चतर शिक्षा	
2013-18	2	0	2	100%
2014-19	1	0	1	100%
2015-20	3	2	--	67%

5.8.7 अनुसंधान

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप: जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- बीमारियों का पता लगाने और निदान के लिए एक बायोसेंसर के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग।
- ऐसे समाधान तैयार करना जो स्नायविक रोगों के उपचार के लिए सूक्ष्म और नैनोस्केल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं।

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप: फार्मेसी पद्धति विभाग

- औषध सुरक्षा अध्ययन जैसे डीयूई/डीयूआर, क्लिनिकल सुविधाओं में ड्रग इंटरैक्शन/फार्माकोइकॉनॉमिक्स

अध्ययन

- एचआईवी, तपेदिक और कैंसर जैसे संक्रामक रोगों से संबंधित फार्माकोविजिलेंस और मैटरियोविजिलेंस गतिविधि के साथ नैदानिक प्रभावकारिता और सुरक्षा अध्ययन। इसके अतिरिक्त आणविक निष्कर्षों को एक्सट्रपलेशन करने के लिए

विभागीय अनुसंधान गतिविधियाँ: फार्माकोलोजी एवं टोक्सीकोलोजी विभाग

- मनोदशा को उलटने और उम्र बढ़ने, अल्जाइमर रोग, और कैंसर या कीमोथेरेपी-प्रेरित मस्तिष्क विकारों के लिए फ़ार्माकोलॉजिकल, आनुवंशिक और स्टेम सेल-आधारित हस्तक्षेपों का विकास करना
- स्नायविक विकारों, कैंसर, मधुमेह और संक्रामक रोगों का पता लगाने, रोग का निदान करने और चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए सरल, किफ़ायती और उपयोग में आसान बायोमार्कर की पहचान करना।

5.8.8 प्रभाव एवं उपलब्धियां

इस संस्थान ने सफलतापूर्वक तीन विषयों में 424 पीजी और 16 पीएचडी छात्र प्रस्तुत किए हैं जो या तो विभिन्न औषध उद्योगों में कार्यरत हैं या दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों या विश्वविद्यालयों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नाईपर हाजीपुर के कई पूर्व छात्र विभिन्न संस्थानों में संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं। फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी प्रयोगशाला को अक्तूबर, 2020 में स्थापित किया गया। इस वर्ष पशु घर को सीपीसीएसईए अनुमोदन प्राप्त हुआ।

कुछ फोटोग्राफ

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम)
विचार@75
नवाचार शांति और एकता

अर्थव्यवस्था@75

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित कार्यक्रम

विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान ली गई तस्वीर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन

अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

6.3 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

6.4 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

6.5 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

6.7 औषध पीएसयू को बंद करने और कार्यनीतिक बिक्री

अध्याय 6

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

6.1 पृष्ठभूमि

विभाग के तत्वावधान में पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड (बीसीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) एवं राजस्थाएन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) हैं।

अप्रैल, 2016 में, मंत्रिमण्डल ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की देनदारियों को पूरा करने के लिए इसकी अधिशेष और खाली भूमि के हिस्से की बिक्री के प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग एवं जहाज रानी मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की सभी औषध कंपनियों की स्थिति की विस्तार से जांच कर सकते हैं और भविष्य की कार्रवाई का सुझाव दे सकते हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, मंत्रियों ने दिसंबर, 2016 में सिफारिश की:

i. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) एवं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) और बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की देनदारियों को चुकाने के लिए यथावश्यक मात्रा में इनकी अधिकतम अधिशेष भूमि की बिक्री खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को की जाए और इनकी बकाया देनदारियों को बिक्री लाभ से निपटान किया जाए। इन पीएसयू को बंद किए जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (डीआईपीएएम) भी कार्यान्वित किया जाए। शेष भूमि का प्रबंधन निवेश विभाग एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और लोक उद्यम विभाग के यथा संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) में निहित किया जाए।

ii. देनदारियों को चुकाने, तुलनपत्र को निर्बाध करने और वीआरएस/वीएसएस को प्रभावी करने के पश्चात, विभाग आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद कर दिए जाए और एचएएल एवं बीसीपीएल की कार्यनीतिक बिक्री की जाए।

iii. पीएसयू को बंद करने का निर्णय लेते समय यह विभाग यथाव्यवहार्यता अनुसार निजी भागीदारी के लिए एचएएल और आईडीपीएल की अनुषंगी कंपनियों को अलग करने की संभावना की भी खोज करे।

मंत्रिमंडल ने मंत्रियों की सिफारिशों पर विचार किया और दिनांक 28.12.2016 को हुई इसकी बैठक में इसे अनुमोदित किया।

विभाग/पीएसयू ने पीएसयू की अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित की, परंतु कोई भी बोलियां प्राप्त नहीं हुई, चूंकि बोली को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार सरकारी एजेंसियों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। चूंकि जमीन बेची नहीं जा सकी, इसलिए पीएसयू की देनदारियों को पूरा नहीं किया जा सका और उनके बंद करने/कार्यनीतिक बिक्री के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। इस मामले को फिर से मंत्रिमंडल के सामने रखा गया, जिसने दिनांक 17.07.2019 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया:

(i) सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि की बिक्री के दिनांक 28.12.2016 के पूर्ववर्ती निर्णय को संशोधित करना और दिनांक 14.06.2018 के डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की अनुमति देना;

(ii) संपत्तियों की बिक्री और बकाया देनदारियों को निपटान सहित चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने/कार्यनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन करना।

फार्मा पीएसयू की देनदारियों और परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने दिनांक 27.05.2021 को एक बैठक आयोजित की। एचएएल और आरडीपीएल

के सेवानिवृत्त लोगों के लंबित बकाया और भूमि की बिक्री/हस्तांतरण के प्रस्तावों, जिनमें केवल सरकारी संस्थाओं को हस्तांतरण किया जाना शामिल था, को देखते हुए समिति ने निम्नलिखित को मंजूरी दी:

(क) कर्मचारियों की लम्बित बकाया राशि को चुकाने के लिए 2021-22 के अनुपूरक बजट में ऋण के रूप में 139 करोड़ रुपए- एचएएल के लिए 118.00 करोड़ और आरडीपीएल के लिए 21.00 करोड़ रुपए- की बजटीय सहायता।

(ख) उत्तराखंड सरकार को 1.01 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि सहित ऋषिकेश में आईडीपीएल की 833.38 एकड़ लीजहोल्ड भूमि की वापसी और अन्य स्थानों पर परिसंपत्ति की बिक्री से यूपीसीएल को बिजली बकाया की 46.39 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध धनराशि का भुगतान।

(ग) भारत सरकार का आईडीपीएल को ऋण / नाईपर, हैदराबाद को अनुमानित अनुदान के समक्ष पुस्तिका समायोजन करते हुए आईडीपीएल प्लांट साइट-I, हैदराबाद में से 50 एकड़ भूमि का नाईपर को हस्तांतरण।

(घ) 345.24 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर नाईपर कोलकाता को नियमित परिसर स्थापित करने के लिए पानीहाटी, कोलकाता में बीसीपीएल की 20.55 एकड़ भूमि का हस्तांतरण और अर्जित ब्याज के साथ 193.71 करोड़ रुपए के बीसीपीएल को दिए गए भारत सरकार के सभी ऋणों की माफी।

(ङ) पुणे में एचएएल की 3.5 एकड़ भूमि की ईपीएफओ को 42.00 करोड़ रुपए के निर्धारित मूल्य पर बिक्री।

पृथक रूप से, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 1.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में केएपीएल में भारत सरकार की 100% इक्विटी के 'सैद्धांतिक' रूप से रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता प्रदान करना, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

आरडीपीएल- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरडीपीएल को आरडीपीएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और अन्य अनुलाभों के भुगतान के लिए 21.00 करोड़ (केवल इक्कीस करोड़ रुपये) की निर्मुक्ति।

एचएएल- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचएएल को ईपीएफओ को भुगतान (ब्याज राशि) जारी करने के लिए 76.00 करोड़ रुपये (केवल छिहत्तर करोड़ रुपये) की निर्मुक्ति।

एचएएल- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचएएल को चिकित्सा दावों, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, एचएएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों/वीआर कर्मचारियों के एलटीसी दावों के भुगतान के लिए 42.00 करोड़ (बयालीस करोड़ रुपये मात्र) की निर्मुक्ति।

आईडीपीएल- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईडीपीएल को ऋण के रूप में आईडीपीएल के एक संयुक्त उद्यम ओडीसीएल के लिए नियमित कर्मचारियों के वीआरएस के लिए 70 लाख रुपये (सत्तर लाख रुपये मात्र) की निर्मुक्ति।

सभी पीएसयू की मूलभूत जानकारी:-

तालिका-6क
सभी पीएसयू की मूलभूत जानकारी
(दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार)

	एचएएल	आईडीपीएल	आरडीपीएल	बीसीपीएल	केएपीएल
स्थापित	1954	1961	1978	1981	1981
श्रेणीकरण/स्थिति	रूग्ण, रणनीतिक विनिवेश के अधीन	बंद होने के अधीन	बंद होने के अधीन	लाभ अर्जक, रणनीतिक विनिवेश के अधीन	मिनिरत्न श्रेणी-I, रणनीतिक विनिवेश के अधीन
निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)	-626.55	-8076	-63.72	-40.24	236.17
कारोबार (करोड़ रुपए में)	73.63	-	शून्य	54.45	364.96

ऑपरेटिंग लाभ/ हानि (करोड़ रुपए में)	-5.25	-28	-12.60	12.58	25.46
देनदारियां (करोड़ रुपए में)	920.71	-7873.96	114.16	225.85	84.34
कुल भूमि (एकड़ में)	263.57	1816.13	9.35	71.57	39.48
पट्टाधारिता (एकड़ में)	-	833.38	-	1.10	-
फ्रीहोल्ड (एकड़ में)	263.57	982.75	9.35	70.47	39.48

आईडीपीएल और आरडीपीएल के संबध में सूचना अक्तूबर, 2021 के अनुसार

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)

6.2.1 पृष्ठभूमि

आईडीपीएल को 5 अप्रैल 1961 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय डूंडाहेड़ा, गुड़गांव में अवस्थित है। आईडीपीएल के तीन मुख्य संयंत्र ऋषिकेश (उत्तराखंड), गुरुग्राम (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) में हैं। इसकी शत प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनी हैं नामत:, आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चेन्नै (तमिलनाडु) और बिहार ड्रग्स एवं ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर (बिहार)। अक्तूबर, 2018 और नवम्बर, 1996 से इसका कोई उत्पादन कार्यकलाप नहीं है। संयुक्त उद्यम, उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) में उत्पादन गतिविधियों को भी रोक दिया गया है।

6.2.2 वर्तमान स्थिति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 28.12.2016 के बंद किए जाने के निर्णय के मद्देनजर अब सभी इकाइयां बंद हैं। औषध पीएसयू की देनदारियों और परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने के लिए मंत्रियों की समिति ने दिनांक 27.05.2021 को एक बैठक की, और निम्नानुसार अनुमोदन किए:

(क) उत्तराखंड सरकार को 1.01 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि सहित ऋषिकेश में आईडीपीएल की 833.38 एकड़ लीजहोल्ड भूमि की वापसी और अन्य स्थानों पर परिसंपत्ति की बिक्री से यूपीसीएल को बिजली बकाया की 46.39 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध धनराशि का भुगतान।

(ख) भारत सरकार का आईडीपीएल को ऋण / नाईपर, हैदराबाद को अनुमानित अनुदान के समक्ष पुस्तिका समायोजन करते हुए आईडीपीएल प्लांट साइट-I, हैदराबाद में से 50 एकड़ भूमि का नाईपर को हस्तांतरण।

(ग) समिति ने आगे पाया कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स एनबीसीसी द्वारा और इसके पश्चात् डीआईपीएएम द्वारा भी किए गए संपत्ति के मूल्यांकन के अलावा, वास्तविक न्यूनतम कीमतों पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अलग मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं के लिए समान रूप से प्रतिस्पर्धी बोली खोलने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

वर्तमान में, कंपनी में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है क्योंकि आईडीपीएल के सभी नियमित कर्मचारियों को दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वीआरएस प्रदान किया जा चुका है। दो सहायक कंपनियों सहित कंपनी में 76 संविदात्मक कर्मचारी हैं।

6.3 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्सक लिमिटेड (एचएएल)

6.3.1 पृष्ठभूमि

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है, जो जीवन रक्षक दवाईयों के निर्माण तथा विपणन के कार्य में लगी है। डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ की सहायता से इसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। एचएएल पेनिसिलन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन आदि जैसी एंटीबायोटिक्स बल्क औषधि का निर्माण करने वाली पहली कम्पनी है।

एचएएल को दो नए दुर्लभ अणुओं हैमाइसिन और एरोफुन्गिन का आविष्कार करने का गौरव प्राप्त है।

वर्तमान में, एचएएल वापिस उत्पादक और कुशल कार्य पद्ति पर जा रहा है और देश के लिए टर्नओवर और लाभप्रदता बढाने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

6.3.2 समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदर्शन मूल्यांकन

एचएएल ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के साथ वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के लेखा परीक्षित परिणामों के आधार पर, एचएएल को वर्ष 2020-21 के लिए "अच्छा" समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त होने की संभावना है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2019-20 में भी कंपनी को समझौता ज्ञापन में "अच्छा" दर्जा दिया गया है।

6.3.3 कंपनी अभिशासन

एचएएल विधिक, नैतिक और पारदर्शी तरीके से कारोबार करने के लिए अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन पद्धतियों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020-21 के दौरान, सीपीएसयू के लिए डीपीई द्वारा जारी कंपनी नियंत्रण पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एचएएल को "उत्कृष्ट" रेटिंग मिली है। वर्ष 2019-20 के दौरान भी एचएएल को इस श्रेणी में "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई थी।

6.3.4 उपलब्ध सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण

एचएएल की विनिर्माण सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं

क. **बल्क संयंत्र:** एचएएल के पास अपने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सॉल्वेंट रिकवरी और संबद्ध उपयोगिताओं जैसे भाप, ठंडा पानी, कूलिंग टावर वॉटर, कांप्रेस्ड एयर आदि के साथ 19X92एम3 किण्वक (फर्मेन्टर) सहित किण्वन (फर्मेन्टेशन) आधारित विनिर्माण सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं का उपयोग पहले पेनिसिलिन-जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जैसे किण्वन (फर्मेन्टेशन) आधारित विनिर्माण के लिए किया जाता था।

ख. **फॉर्मूलेशन सुविधा:** वर्तमान में एचएएल फार्मा और कृषि बाजार की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए फार्मा फार्मूलेशन और कृषि फार्मूले के फार्मूलेशन पर जोर दे रहा है। एचएएल के फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक के रूप जैसे इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वीनस उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि शामिल हैं।

इस समय इसकी फार्मा ओर एग्रो-केम सहित विनिर्माण फार्मूलेशन क्षमताएं निम्नानुसार हैं:-

तालिका - 6ख
(विनिर्माण क्षमता की स्थिति)

क्र.सं.	उत्पादन सुविधाएं	क्षमताएं (मौजूदा) संख्या लाखों में/प्रति वर्ष
क.	**फार्मा संयंत्र**	
1	**पाउडर इंजेक्टेबल**	
	क. सेफेलोसपोरिन	450
	ख. पेनिसिलिन	450

2	**टेबलेट**	
	क. पेनिसिलिन	1200
	ख. नॉन-पेनिसिलिन	2400
3	**पेनिसिलिन केपसूल**	**2500**
4	**आई. वी. फ्लूड**	**120**
5	**लिक्विड सिरप एंड एक्सटर्नल प्रिप्रेशन**	**24**
ख	**एग्रो-केम संयंत्र**	
1	एग्रो केम (एस्ट्रेप्टोसाइक्लीन)	100
2	हुमोर फार्मूलेशन	210 केएल*
3	ओजोटोमील	0.810 टन
4	फोसफमिल	50 केएल*
ग	**एल्कोहलिक हैंड डिसइंफेक्टेंट (एएचडी)**	**12**

*इन उत्पादों की क्षमता को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है चूंकि एचएएल के पास बढ़ाने योग्य फरमेंटेशन सुविधा हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, एचएएल ने निम्नलिखित कृषि उत्पादों का समेकित विनिर्माण किया है जो पिछले 8 से 10 वर्षों से बंद थे-

- एलोफुन्गिन
- हुमयेर
- फोस्फोमिल
- एजेटोमिल

6.3.5 अनुसंधान और विकास

एचएएल का अनुसंधान और विकास विभाग नार्कोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किटों, प्रिकर्सर कैमिकल्स डिटेक्शन किटों और केटामाइन डिटेक्शन किटों को नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने में लगा हुआ है। एचएएल देश में इस उत्पाद का एकमात्र अनन्य विनिर्माता है।

6.3.6 कंपनी की वर्तमान स्थिति

दिनांक 28.12.2016 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में, खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की अधिशेष भूमि को सरकारी एजेंसियों को बेचने और इस बिक्री से बकाया देनदारियों को चुकाने का निर्णय लिया गया।

यह निर्णय लिया गया कि देनदारियों को पूरा करने के बाद, एचएएल को रणनीतिक बिक्री के लिए रखा जाएगा। एचएएल ने सरकारी एजेंसी मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए गंभीर प्रयास किए लेकिन कई बार टेंडर जारी करने के बावजूद खरीदार नहीं मिल सके। इस बीच, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 14.06.2018 को सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि के निपटान के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

चूंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के माध्यम से धन सृजित नहीं किया जा सका, अतः एचएएल के कर्मचारियों

को मई 2017 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका और वीआरएस योजना जून 2019 तक जारी नहीं की जा सकी।

इसके बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 17.07.2019 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

(i) सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि की बिक्री किए जाने संबंधी दिनांक 28.12.2016 के पहले के निर्णय को संशोधित करना और इसके बजाय डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की अनुमति देना; तथा

(ii) जून, 2019 तक बकाया वेतन की देनदारियों को पूरा करने और 500 कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए 280.15 करोड़ रुपए के ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करना।

(iii) परिसंपत्तियों की बिक्री और बकाया देनदारियों की निपटान सहित सार्वजनिक क्षेत्र के औषध उपक्रमों को बंद करने/रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन।

6.3.7 कंपनी की भूमि परिसम्पत्तियों की बिक्री

एचएएल के पास 263 एकड़ जमीन है, जिसमें से मंत्रिमंडल ने इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए 87.7 एकड़ भूमि की बिक्री करने को मंजूरी दी है। कंपनी ने भूमि की बिक्री के लिए एनबीसीसी के साथ भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में दिनांक 26.10.2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने एचएएल की अधिशेष भूमि और इसकी दो सहायक कंपनियों अर्थात् एमएपीएल, नागपुर और एमएसडीपीएल, मणिपुर की सभी संपत्तियों का विवरण एनबीसीसी को प्रस्तुत किया है। एनबीसीसी ने मूल्यांकन रिपोर्ट सौंप दी है।

पिछले तीन वर्षों के उत्पादन, बिक्री टर्नओवर और निवल लाभ/हानि का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-6ग
(वर्षवार एचएएल की वित्तीय स्थिति)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 31.12.2021 की स्थिति के अंतिम
उत्पादन	11.36	37.44	54.51	43.05	78.80	57.80
टर्नओवर	14.78	35.57	63.17	58.56	89.56	73.63
शुद्ध लाभ (हानि)	(78.24)	208.32*	(71.10)	(138.30)**	(38.26)	-5.25 (प्रचालन लाभ/हानि) ब्याज और ब्याज एवं मूल्यहास से पहले

*भारत सरकार के ऋण एवं उसके ब्याज की माफी के कारण

** वर्ष 2019-20 के दौरान, 72.42 करोड़ रूपये है जो 65.88 करोड़ रूपये के कर्मचारियों पृथककरण लागत (वीआरएस) के कारण बढ़ा है, इसलिए कुल शुद्ध हानि 138.30 करोड़ रूपये है।

तालिका - 6 घ
(वर्षवार एचएएल की वित्तीय स्थिति)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अप्रैल-सितंबर-21 (अनंतिम)	अप्रैल-21-मार्च-22 (अनंतिम/अनुमान)
उत्पादन का मूल्य	48.70	101.15
बिक्री(शुद्ध)	53.01	110.00
लाभ/हानि +/(-)	(11.31)	(23.27)

एग्रोवेट कंपनी के समग्र कारोबार में एक प्रमुख तरीके से योगदान करना जारी रखे हुए है। यह पायलट प्लांट (ऑरियोफुंगिन और हमौर के विनिर्माण के लिए) और आईवीएफ प्लांट (बड़ी मात्रा में पैरेंट्रल के निर्माण के लिए) सहित विभिन्न संयंत्रों की उत्पादन कार्यकलापों को फिर से शुरू करने के कारण संभव हुआ है। आईवीएफ प्लांट करीब साढ़े चार साल बाद फिर से शुरू हुआ।

6.3.8 वर्ष 2021-22 के दौरान एचएएल को मिले पुरस्कार

इस वर्ष के दौरान, एचएएल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

(i) पुणे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्डस 2021 (जुलाई 2021)

(ii) सीईओ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 (अगस्त 2021)

पुणे बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स 2021 की मेजबानी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस और स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री ग्रुप ने की। एचएएल ने स्वयं को उत्पादक और कुशल कार्यकलापों की ओर उन्मुख करने और कंपनी के लिए संवर्धित कारोबार और लाभप्रदता हासिल करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।

वर्ष के सीईओ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सुश्री नीरजा सराफ, प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के बिक्री कारोबार को वर्ष 2016-17 में मात्र 10.73 करोड़ रुपए से एक सम्मानजनक स्तर तक अर्थात् वर्ष 2020-21 में 89.58 करोड़ रूपये तक बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, वर्ल्ड सीएसआर डे, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और अन्य द्वारा आयोजित और समर्थित किया गया था।

6.3.9 अब तक कार्यान्वित परियोजनाएं

एचएएल ने नई सेफलोस्पोरिन पावर इंजेक्टेबल सुविधाकेन्द्र का संस्थापन कार्य पूरा कर लिया है। इस सुविधाकेन्द्र को जुलाई 2010 में डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणीकरण के साथ मान्यता दी गई थी। बेटालैक्टम और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उन्नयन पूरा हो गया है और यह डब्ल्यूएचओ-जीएमपी निरीक्षण के लिए तैयार हैं। निकट भविष्य में नॉन-पेरेन्टल सुविधाकेन्द्र को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी अनुपालन के अनुरूप अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है।

योजनाबद्ध नई परियोजनाएं:

एचएएल कंपनी के लिए और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के उन्नयन की योजना बना रहा है:

- लगभग 50 से 60 टन प्रति माह की प्रारंभिक क्षमता के साथ बल्क एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी की सुविधा।
- एपीआई मेरोपेनेम और टेल्मिसर्टन के लिए सुविधा।
- अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट (एएचडी) के लिए सुविधा का उन्नयन, ऐसी सुविधा वाला एकमात्र सीपीएसयू।
- 1 मेगावाट के बराबर बिजली उत्पादन के लिए रूफटॉप सोलर पैनल।

1 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, एचएएल में कर्मचारियों की संख्या 436 थी। एचएएल ने वीआरएस के माध्यम से 385 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है और यह 150 से 200 अन्य कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया में है, जिससे वेतन का बोझ कम होगा और उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

इन बल्क एपीआई के विनिर्माण से माननीय प्रधानमंत्री की बल्क औषधि/एपीआई संबंधी 'मेक इन इंडिया' पहल को भी सहयोग प्राप्त होगा।

6.3.10 विपणन के लिए रणनीति

एचएएल की बिक्री इस समय काफी हद तक पीपीपी मॉडल वाली संस्थागत बिक्री पर निर्भर है। पीपीपी कारोबार पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जाएगी:-

- उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन करने के लिए वितरकों, सी एंड एफ एजेंटों और शाखाओं के सुस्थापित वितरण नेटवर्क के माध्यम से व्यापार बिक्री को बढ़ाना।
- उच्च मूल्य और उच्च मार्जिन वाले नए उत्पादों को शामिल करना और उन उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना जो अपने जीवन चक्र के अंत में हैं।
- मौजूदा उच्च मार्जिन वाले उत्पादों की बिक्री बढ़ाना।
- लागत में कमी के साथ संस्थागत व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी होना।
- उच्च क्षमता और बेहतर मार्जिन वाले एग्रो वेट व्यवसाय का विस्तार करना।
- बढ़ते निर्यात बाजारों पर कब्जा करना क्योंकि विनिर्माण सुविधाएं डब्ल्यूएचओ-जीएमपी के अनुरूप होंगी।

6.3.11 जनशक्ति का युक्तिकरण

31 मार्च, 2019 को कंपनी में 918 कर्मचारी थे। 1 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 436 है।

कंपनी में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और चिकित्सा योजनाएं भी लागू हैं।

वर्ष 2020-21-22 के दौरान, सीजीएमपी, परियोजना प्रबंधन, निविदा खरीद और अनुबंध प्रबंधन आदि विषयों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए। इन आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 63 कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.3.12 नॉन-कोर क्षेत्र के संचालन की आउटसोर्सिंग

एचएएल इस समय कैंटीन और अस्पताल जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों को स्वंय संचालित कर रहा है। बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए इन कार्यों को आउटसोर्स करने की योजना है।

<u>कंपनी की कॉलोनी और फैक्टरी अवसंरचना का वाणिज्यिक समपुयोजन कॉलोनी</u>

क. कॉलोनी क्षेत्र लगभग 100 एकड़ है और लगभग 900 क्वार्टर हैं। वर्तमान में लगभग 30 से 40% ऑक्यूपैंसी है। आवश्यक जनशक्ति की संख्या को ध्यान में रखते हुए, क्वार्टरों की ऑक्यूपैंसी को और कम किया जाएगा।

ख. कॉलोनी में खाली क्वार्टरों और खाली भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया जा सकता है और इससे भविष्य में कंपनी को आत्मनिर्भरता के लिए आवर्ती राजस्व प्राप्त हो सकता है।

<u>फ़ैक्टरी</u>

क. सभी बल्क संयंत्र और उपयोगिता संयंत्र निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता है।

6.3.13 कुशल कार्यचालन के लिए ईआरपी प्रणाली

(क) स्टोर में प्राप्ति, उत्पादन जारी करना, उत्पाद के लिए कच्चे माल के साथ-साथ पैकेजिंग सामग्री की खपत, विपणन और वितरण के लिए उत्पादन की मात्रा, टाइम-ऑफिस सहित कार्मिकों सहित सभी प्रणालियों को ईआरपी सिस्टम का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

(ख) यह प्रणाली तत्काल अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगी और इस प्रकार इन्वेंटरी, खपत और जनशक्ति को कम किए जाने की कुशल निगरानी की जा सकती है।

6.3.14 लागत में कटौती के उपाय

(क) मानक खपत मानदंडों के संबंध में 'ए' श्रेणी के कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री की नियमित निगरानी की प्रणाली शुरू की जा रही है।

(ख) ब्याज बोझ को कम करने और निधि प्रबंधन पर नियंत्रण करने के लिए धन का उपयोग।

(ग) संचालन के सभी क्षेत्रों में लागत में कटौती के उपायों को सख्ती से लागू किया जाता है।

(घ) उपलब्ध जनशक्ति का इष्टतम उपयोग किया जाता है।

6.3.15 वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों/ दिवसों का आयोजन

26 जनवरी, गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में मनाया जाता है। कंपनी में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों का अभिनंदन, अपनी सेवा के दौरान कुछ खास हासिल करने वाले कर्मचारियों को अनुकरणीय पुरस्कार प्रदान करना जैसे विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं।

19 फरवरी को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। समारोह के दौरान श्री शिव स्मारक प्रतिष्ठान द्वारा ज्ञानी वक्ता के भाषण का आयोजन किया जाता है।

कंपनी में 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सुरक्षा बिल कंपनी के पूरे परिसर में प्रदर्शित किए जाते हैं और विभिन्न सुरक्षा उपकरणों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है।

14 अप्रैल को भारतरत्न डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर की जयंती एच.ए. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ द्वारा एच.ए. आवासीय कॉलोनी में मनाई जाती है।

एच.ए. आवासीय कॉलोनी में कार्यरत बौद्ध जन मंडल, जो कंपनी के कर्मचारियों का संघ है, द्वारा बौद्ध जयंती मनाई जाती है।

21 मई को कंपनी में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की जाती है और कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा शपथ ली जाती है।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में मनाया जाता है। कंपनी में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों का अभिनंदन जैसे विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छता पखवाड़ा महात्मा गांधी के जन्मदिन अर्थात् 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कंपनी के सभी कर्मचारी अभियान में हिस्सा लेते हैं और आसपास की सफाई करते हैं।

सतर्कता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाता है। वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

25 नवंबर को 'सांप्रदायिक सद्भाव' के लिए मनाया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों से स्वैच्छिक धन जुटाया जाता है और राष्ट्र के आतंकवाद प्रभावित बच्चों की परिचर्या के लिए दान के रूप में उपयुक्त सरकारी निकाय को भेजा जाता है।

26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कर्मचारियों द्वारा भारत की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाता है।

एचएएल - सेफालोस्पोरिन संयंत्र के भवन का सामने का दृश्य

एचएएल द्वारा प्राप्त पुरस्कार

श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर समारोह

भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समारोह

हिंदुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड में स्वतंत्रता दिवस समारोह

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित कार्यक्रम

सतर्कता सप्ताह का आयोजन

6.4 कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु (केएपीएल)

6.4.1 पृष्ठभूमि

केएपीएल लाभ अर्जन करने वाली एक संयुक्त क्षेत्र (भारत सरकार का 59 प्रतिशत शेयर और कर्नाटक इंडिस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार का 41 प्रतिशत शेयर) की कम्पनी है जिसे वर्ष 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी का मूल उद्देश्य सरकार के अस्पतालों और अन्य संस्थाओं तथा साथ ही प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाना था। इस कंपनी के पास ड्राई पाउडर इन्जेक्टेबल, लिक्विड इन्जेक्टेबल, गोलियों, कैप्सूलों, ड्राई सिरप और सस्पेंशन्स के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं। आज की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 13.49 करोड़ रुपए है। बेंगलोर प्लांट में फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है और कोटूर, धारवाड़, कर्नाटक में आयुर्वेदिक उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है

6.4.2 उत्पादन एवं बिक्री निष्पादन

तालिका - 6ङ
(उत्पादन एवं बिक्री के वर्षवार विवरण)

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2016-2017	405.51	386.27
2017-2018	366.82	353.83
2018-2019	388.63	360.36
2019-2020	489.57	437.08
2020-2021	319.90	328.67
2021-2022 (31 दिसम्बर, 2021 तक)	355.68	363.16

6.4.3 विगत उपलब्धियां

- मिनी रत्न सीपीएसई
- आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस), आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस) और आईएसओ 45001:2018 (ओएसएचएएस)
- पीआईसी/एस प्रमाणन

लोकप्रिय ब्रांड

फार्मा - व्यापार

तालिका 6च
(फार्मा व्यापार का उत्पाद-वार बाजार मूल्य)

(रूपये करोड़ में)

सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एनएलईएम	एकाधिकार	बाजार मूल्य
1	ग्रेनिल	माइग्रेन रोधी	नहीं	नहीं	6.58
3	साइफोलैक	प्री एवं प्रोबायोटिक्स	नहीं	नहीं	2.64
4	रैम्सी समूह	खांसी एवं सर्दी	नहीं	नहीं	1.42
5	जिन्फे समूह	हेमैटिनिक	हां	नहीं	1.07
6	वेरक्लेव समूह	एंटीबायोटिक	नहीं	नहीं	1.18
7	पॉप-ई	प्लेटलेट बूस्टर	नहीं	नहीं	1.34

एग्रोवेट :

तालिका 6छ
(एग्रोवेट का उत्पाद-वार बाजार मूल्य)

(रूपये करोड़ में)

सं.	उत्पाद	थेरेपी खण्ड	एनएलईएम	एकाधिकार	बाजार मूल्य
1	के-साइलाइन	कीटनाशक	नहीं	नहीं	4.67
2	कल्विमिन समूह	पशु आहार संपूरक	नहीं	नहीं	4.78
3	के-लाइव	हेपाटो-प्रोटेक्टिव	नहीं	नहीं	3.01
4	के-साइथ्रिन	खनिज मिश्रण	नहीं	नहीं	2.71
5	पेंसबॉयोटिक एमडी/डीएस ज़ेनटाबायोटिक्स, के-फ्लोक्स	एंटीबॉयोटिक	नहीं	नहीं	8.05
6	फ्लुवेट	एक्टो-पैरासाइटिकाइड	नहीं	नहीं	1.55

6.4.4 वितरण नेटवर्क

औषध

यह कम्पनी निजी चिकित्सा व्यवसायियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास के साथ खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपने प्रचालन का विस्तार कर रही है। इस दिशा में कम्पनी समय-समय पर विभिन्न उपचारात्मक क्षेत्रों में नए उत्पाद शुरू करती रही है। इसका घरेलू प्रचालन बेहद समर्पित पेशेवर क्षेत्रबल वाली जनशक्ति के साथ देश भर में फैला है जो एक सुनियोजित वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित है जिससे केएपीएल की उपस्थिति बड़े एवं साथ ही छोटे बाजारों में सुनिश्चित हो जाती है।

केएपीएल की शाखाएं सभी राज्य मुख्यालयों में स्थित हैं। इस कंपनी का बड़े शहरों में लगभग 20 शाखाओं के साथ एक उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क है जो चैनल विपणन के माध्यम से संबंधित राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनुमोदित स्टॉकिस्टों के माध्यम से इस व्यापार क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं, नर्सिंग होम एवं दवाई देने वाले चिकित्सकों और दर अनुबंध (आरसी) और गैर-दर अनुबंध (एनआरसी) क्षेत्र के संस्थाओं को सीधे आपूर्ति की जाती है।

विपणन:

औषध

यह कंपनी मुख्य रूप से नुस्खा लिखने वाले चिकित्सा व्यवसायियों और ग्राहकों पर आधारित प्रेस्क्रिपशन बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी फार्मा कम्पनियों का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह कंपनी संस्थागत कारोबार संबंधी पीपीपी नीति पर भी निर्भर है, जहां ध्यान सरकारी अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों, कॉर्पोरेट, पीएसयू अस्पताल, रक्षा और बीमा पर है। इसमें इस व्यापार क्षेत्र में विस्तार करने और सीपीएसयू अस्पताल और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मात्रा में भी वृद्धि करने की क्षमता है।

एग्रोवेट

यह कंपनी, कृषि उत्पाद डीलर और कृषि विभाग/कृषि उत्पादों के लिए बागवानी पर जोर दे रही है। पशु चिकित्सा उत्पादों को पशु चिकित्सा व्यवसायी, किसानों, सभी राज्यों के पशु चिकित्सा विभाग तथा पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए दुग्ध यूनियनों और खाद्य अनुपूरकों पर जोर दिया जा रहा है।

नये उत्पाद (औषध एवं एग्रोवेट)

तालिका - 6ज
(उत्पादों की श्रेणीवार सूची)

क्र.सं.	उत्पाद	उपचारात्मक श्रेणी
औषध		
क	के-पुरेब हैंड सैनिटाइजर और हैंड जैल	हैंड सैनिटाइजर
ख	डी3 एलएक्स च्यूएबल टैब	विटामिन और पोषक सप्लीमैंट
ग	अंतफ टैब और सिरप	एंटासिड
घ	डायकॉन टैब और सिरप	एंटी-डायरिया
ङ	एक्सोल टैब और सिरप	हेपेटोप्रोटेक्टिव
च	वास्ट सिरप	एंटी-कफ
छ	एसआईपी एन फिट ग्रैन्यूल्स	इम्यूनोमॉड्यूलेटर
एग्रोवेट		
क	फेनज़ोल - 3.1 ग्राम बोलुस	एन्थेलमिनिटिक ओरल

ख	सीएएल के जेल 300 एमएल	अनीमल फीड सप्लीमैंट
ग	इवेरमेक इन्जे. 100 मिली	एन्डेक्टीसाइड पैरेंट्रल

वर्तमान में कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का निर्माण और विपणन कर रही है।

6.4.5 निर्यात

केएपीएल उत्पादों को वर्तमान में मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बोत्सवाना, भूटान, केन्या, नामीबिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, सूडान, श्रीलंका, यूगांडा, उज्बेकिस्तान, यमन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे आदि सहित लगभग 16 विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। इसके पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन ड्राई पाउडर पैरेन्टेरल सुविधाएं और साथ ही लिक्विड इंजेक्शन विनिर्माण सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय जीएमपी मानदंडों के अनुरूप हैं और पीआईसी (मलेशिया), एमसीएजेड (जिम्बाब्वे), एनडीए (युगांडा) द्वारा अनुमोदित हैं।

ऑक्सीटोसिन के विनिर्माण पर वर्तमान स्थिति

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य सरकारी संस्थानों को उनके आदेश के अनुसार ऑक्सीटोसिन का विनिर्माण और आपूर्ति कर रहा है।

6.4.6 माननीय मंत्री श्री भगवंत खुबा का दौरा

श्री भगवंत खुबा, माननीय राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का दिनांक 14.08.2021 को केएपीएल संयंत्र के दौरे के दौरान श्री सुनील कुमार कैमल, प्रबंध निदेशक उनका स्वागत करते हुए।

श्री भगवंत खुबा, माननीय राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा दौरे के दौरान ली गई तस्वीर

6.5 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूकटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

6.5.1 पृष्ठंभूमि

बीसीपीएल की स्थापना आचार्य प्रफुल्लचंद्र रॉय द्वारा जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान थे, वर्ष 1901 में की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 1977 में इसके प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया। बाद में कंपनी को वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किया था तथा वर्ष 1981 में कंपनी अधिनियम के अधीन बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के नाम से पंजीकृत किया। कंपनी को वर्ष 1992 में रूग्ण घोषित किया गया था और वर्ष 1995 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा पुनरुद्धार के लिए योजना को मंजूरी दी गई थी।

6.5.2 कारोबार संचालन

बीसीपीएल एक कोलकाता-आधारित कम्पनी है और यह औद्योगिक रसायन (फेरिक फिटकरी), दवाओं एवं औषधों और डिस्इन्फैक्टैंट जैसे फिनायल, नेफथलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फर्श क्लीनर के व्यवसाय से जुड़ी है। बंगाल कैमिकल्स का एक प्रतिष्ठित ब्रांड कैंथेरीडीन केश तेल का विनिर्माण मनिकतला इकाई में किया जा रहा है।

विनिर्माण स्थल: इस समय बीसीपीएल के चार कारखाने पश्चिम बंगाल में मानिकतला (कोलकाता) एवं पश्चिम बंगाल में पानीहाटी, मुंबई और कानपुर में हैं।

मानिकतला इकाई: इस इकाई की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी और यह इकाई मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स सम्मिश्रणों का उत्पादन करती है जिनमें ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां शामिल हैं। गोलियों, कैप्सूलों, मलहम और कॉस्मेटिक सेक्शन में व्यावसायिक उत्पादन पूर्ण रुप से हो रहा है। यह कैंथरिडाइन हेयर ऑयल का भी उत्पादन करता है। 02 अगस्त, 2020 को, कंपनी ने अपना हैंड सैनिटाइज़र "बेनसनी+" लॉन्च किया, जो कि वर्तमान महामारी परिदृश्य में कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है।

पानीहाटी इकाई: इस इकाई की स्थापना वर्ष 1920 में की गई तथा यह इकाई मुख्य रूप से औद्योगिक रसायनों एवं घरेलू उत्पोदों का उत्पादन करता है, जिसमें फिनायल, नेफथलीन बॉल्स और अन्य कीटाणुनाशक, रसायन शामिल हैं। वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान, बीसीपीएल ने 30,000 बोतल के औसत दैनिक उत्पादन के रूप में एक ही दिन (26 सितंबर, 2020) में 450 मिलीलीटर फेनोल की 60,680 बोतलों के विनिर्माण का एक सर्वकालिक रिकॉर्ड छुआ।

मुंबई इकाई: मुंबई इकाई की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी और इसके अलावा अतिरिक्त स्रोत से राजस्व सृजित करने के लिए विकसित किए गए वाणिज्यिक स्थलों को अन्य पक्षों को पट्टे पर दे दिया गया है।

कानपुर इकाई: कानपुर यूनिट की स्थापना वर्ष 1949 में की गई तथा यह मुख्य रूप से अत्याधिक विकारों के लिए गोलियों का उत्पादन करती है।

पूर्व की उपलब्धियां: इस कम्पनी ने अपने मुश्किल दौर के दौरान भी घरेलू उत्पादों में अपनी ब्रांड स्थिति को बरकरार रखा है और अब इन ब्रांडों को पूंजीकृत करने के लिए सक्षम है।

6.5.3 रूग्णता और पुनरुद्धार

कंपनी को वर्ष 1992 में भूतपूर्व बीआईएफआर के लिए संदर्भित किया गया था। बीसीपीएल के पुनरुद्धार पैकेज को दिसंबर 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 440.60 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई थी जिसमें बीसीपीएल की पुस्तिकाओं पर मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन, पूंजी निवेश, विपणन अवसंरचना और प्रचार उपायों के विकास हेतु सहायता, वेतन संशोधन के लिए अनुदान और वीआरएस के कार्यान्वयन और गैर-सरकारी देयताओं के भुगतान के लिए निधि शामिल थी। वर्ष 2006 में कंपनी के पुनर्गठन के बाद भी, यह हानि में चल रही थी और वर्ष 2013-14 में इसका प्रचालन निष्पादन 17 करोड़ रुपये तक कम हो गया था, जो कि भारत सरकार की

कंपनी के रूप में इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे कम टर्नओवर था, और वर्ष 2013-14 में 36.55 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की गई थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 से, कंपनी एक प्रतिवर्तन कंपनी बन गई और उसने 4.51 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ और 24.05 करोड़ रुपये के सकल मार्जिन की रिपोर्ट दी। लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष अर्थात 2017-18 में भी, बीसीपीएल ने 10.06 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की रिपोर्ट दी। वर्ष 2018-19 में, बीसीपीएल ने फिर से 25.26 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में 13.07 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की सूचना दी तथा वर्ष 2020-21 के दौरान बीसीपीएल ने 6.08 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की सूचना दी। इसके अतिरिक्त, बीसीपीएल ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 28 करोड़ रुपये का संपूर्ण बैंक ऋण चुकाया है जो वर्ष 1983 में पंजीकृत कार्यालय भवन को गिरवी रखकर लिया गया था और अब बीसीपीएल एक ऋण मुक्त कंपनी है। वर्ष 2005 और 2006 में लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की दिशा में बीसीपीएल ने अब तक भारत सरकार को 23.73 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है

6.5.4 उत्पाद प्रोफाइल एवं प्रकार (रेंज)

इन प्रत्येक व्यापार क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्मित उत्पाद निम्नानुसार हैं:

तालिका-6झ
(उत्पाद प्रोफाइल)

डिविजन I	**डिविजन II**		**डिविजन III**		
औद्योगिक रसायन	फार्मा जेनरिक	फार्मा ब्रांडेड	कीटाणुनाशक	हेयर ऑयल	अन्य उत्पाद
फिटकरी ब्लीचिंग पाउडर	गोलियां, कैप्सुल, टीका,मलहम, तरल पदार्थ, बाह्य-तरल पदार्थ एएसवीएस,बेनसनी+	एक्वा टाइकोटिस, कलमेघ, यूथेरिया, बेनफलम जैल	फिनायल, व्हाइट टाइगर, क्लिन शौचालय, लाइसोल,	कैन्थैरीडाइन हेयर ऑयल	नेफथलीन बॉल्स, तरल साबुन, एगुरु एसेन्स

लोकप्रिय ब्रांड : लैम्प ब्रांड फिनायल, व्हाइट टाइगर, ब्लीचिंग पाउडर, नेफथलीन बॉल्स, कैंथरडाइन केश तेल, बेनसनी+ आदि।

6.5.5 जनशक्ति

तालिका - 6ञ
(श्रेणीवार जनशक्ति)

ब्यौरा	**जनशक्ति (31.10.2021 की स्थिति के अनुसार)**
एग्जीक्यूटिव्स	47
पर्यवेक्षक	9
कर्मचारी	76
कुल योग	**132**

6.5.6 वितरण प्रणाली

9 डीपो और 7 सीएंडएफ एजेन्सियों के साथ इस कम्पनी का सुदृढ़ वितरण नेटवर्क पूरे देश में फैला है। बीसीपीएल ने कोलकाता में 3 तथा मुम्बई में 1 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर खोले हैं।

6.5.7 कार्य निष्पादन

वर्ष 2016-17 से बीसीपीएल के उत्पादन, कारोबार और वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका - 6ट
(बीसीपीएल का वर्ष-वार वित्तीय स्थिति)

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2021-22 31.12.2021 तक (अनंतिम)	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
उत्पादन	55.59	90.39	84.19	123.45	98.18	102.69
आय	54.45	73.86	85.63	119.67	94.80	110.24
सकल लाभ	12.58	13.75	20.26	32.83	24.23	24.05
ब्याज व्यय (वित्त लागत	0.02	0.09	0.68	2.45	9.05	15.07
मूल्यह्रास	4.61	5.92	5.12	5.12	5.12	4.47
शुद्ध लाभ (हानि)	7.39	6.08	13.07	25.26	10.06	4.51
निवल परिसम्पत्ति	(40.24)	(47.63)	(53.71)	(66.78)	(92.04)	(102.10)

डीपीई रेटिंग

तालिका - 6ठ
(वर्ष-वार डीपीई रेटिंग)

वर्ष	एमओयू आकलन	कॉर्पोरेट तंत्र
2016-17	"बहुत अच्छा"	"उत्कृष्ट"
2017-18	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2018-19	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2019-20	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2020-21	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"

विपणन: संस्थानों और खुदरा (रिटेल) का हिस्सा

तालिका - 6ड
(खुदरा एवं संस्थानों का शेयर)

क.सं.	डिवीजन और उत्पाद	बाजार प्रोफ़ाइल/प्रमुख ग्राहक
1.	डिवीजन-I - फेरिम अल्म	सेल (दुर्गापुर, इस्को, बोकारो, रिफ्रेक्टरी यूनिट, इस्को चासनाला) बीसीसीएल (बोवरा और ब्लॉक II) आईपीसीएल (फरक्का, दिसेरगढ) पीएचई (मालदा, सिलीगुड़ी) अन्य निजी पार्टियां और नगर निगम
2.	डिवीजन-II -जेनरल टैब्लेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, लिक्विड, हैंड सैनिटाइज़र	एएफएमएसडी, ईएसआईसी, रेल, सेल, डीएचएस, एपीएमएसआईडीसी, टीएसएमएसआईडीसी, जेएमएचआईडीपीसीएल, अन्य राज्य सरकारें। एसईसीएल और अन्य सार्वजनिक उपक्रम
	डिवीजन-II - ब्रांड एक्वापीटीछोटिस, यूथीरिया, कालमेघ	ओटीसी मेडिसिन के रूप में तीन खुदरा व्यापारों के माध्यम से बेचा

3.	डिवीजन-III - कॉस्मेटिक और घरेलू उत्पाद	मुख्य रूप से व्यापार कारोबार (70-75 प्रतिशत) और थोक सरकारी संस्थानों का कारोबार (25-30 प्रतिशत)

6.5.8 भावी परियोजनाएं

(i) एएसवीएस परियोजना

बीसीपीएल एएसवीएस परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है, क्योंकि देश में आवश्यक मात्रा में उत्पाद फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बीसीपीएल ने पिछले 12 वर्षों से एएसवीएस का उत्पादन बंद कर दिया है। निधि की अनुपलब्धता के कारण और परियोजना लागत में वृद्धि के कारण परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। एएसवीएस ब्लॉक की कुल परियोजना लागत 31.00 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, बीसीपीएल की कार्यनीतिक बिक्री की जा रही है, इसलिए परियोजना को नहीं लिया जा सका।

(ii) एचडीपीई जार उत्पादन इकाई

बीसीपीएल फिनाईल आदि के उत्पादन हेतु एचडीपीई जार के विनिर्माण के लिए पानीहाटी में एक उत्पादन सुविधा केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित परियोजना लागत 12.00 करोड़ रुपए होगी और खरीद लागत में अपेक्षित बचत - 3.00 करोड़ रुपए (लगभग) प्रति वर्ष होगी और इस प्रकार कंपनी प्रति वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपए का लाभ कमा सकती है।

(iii) बल्क औषधि/सक्रिय औषधीय सामग्री की विनिर्माण सुविधाएं

बल्क दवाओं के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए, बीसीपीएल ने नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफोलक्सानिन, ओफ़्लॉक्सासिन, लेवोफ़्लॉक्सासिन, विटामिन बी1 और विटामिन बी6 जैसे एपीआई/बल्क औषधियों के लिए भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) / सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन किया है।

मंत्रिमंडल ने 28 दिसंबर 2016 को सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अधिशेष भूमि की बिक्री से अपनी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद कंपनी की रणनीतिक बिक्री करने का निर्णय लिया है। परन्तु किसी भी बोलीदाता ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, बंगाल केमिकल्स श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के खिलाफ दिनांक 20.06.2017 को कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और इसकी सुनवाई 6 फरवरी, 2018 को संपन्न हुई। 13 फरवरी, 2018 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका के संबंध में आदेश पारित किया जिसमें बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को रद्द कर दिया। इसके बाद, प्रशासनिक मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजनल बेंच के समक्ष अपील की है, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

बीसीपीएल के तरल (लिक्विड) उत्पाद

रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यों ने 27 अगस्त, 2021 को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की मानिकतला फैक्ट्री के लिक्विड सेक्शन का दौरा किया।

श्री एच.के. हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार का 28 अगस्त, 2021 को पानीहाटी फैक्टरी का दौरा।

27 अगस्त, 2021 को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के साथ रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यों की बैठक के दौरान।

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) संयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक यूनिट है जिसमें 4.98 करोड रुपए की प्रदत्त इक्विटी पूंजी है जहां भारत सरकार एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (रीको, राजस्थान सरकार) की क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत इक्विटी है। इसे वर्ष 1978 में निगमित किया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन 1981 में शुरू हुआ। कम्पनी की अपनी विनिर्माण सुविधाएं हैं और रोड संख्या 12, वी.के. आई औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) में इसका पंजीकृत कार्यालय है। अक्टूबर, 2016 से कंपनी में उत्पादन गतिविधियां बंद हो गई हैं।

आरडीपीएल की अधिशेष भूमि की बिक्री से इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 28.12.2016 को केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने आरडीपीएल को बंद करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों को भूमि की बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने दिनांक 17.07.2019 के अपने पूर्व के निर्णय को संशोधित किया है तथा अधिशेष भूमि को किसी भी निकाय को बेचने की अनुमति दे दी है।

आरडीपीएल के सेवानिवृत्त लोगों की लम्बित बकाया राशि को देखते हुए औषध पीएसयू की देनदारियों और परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने के लिए मंत्रियों की समिति ने दिनांक 27.05.2021 को एक बैठक की और कर्मचारियों के लंबित बकाया को चुकाने के लिए 2021-22 के अनुपूरक बजट में ऋण के रूप में आरडीपीएल के लिए 21.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को स्वीकृत किया जो तब से जारी किया गया है।

6.7 फार्मा पीएसयू की बंदी और कार्यनीतिक बिक्री

दिनांक 28.12.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, दो पीएसयू, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को बंद किया जाना है और दो अन्य पीएसयू हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को बंद किया जाना और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) का कार्यनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश/बंद होने से पहले यह भी सिफारिश की गई थी कि आवश्यक सीमा तक अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए सभी लंबित देनदारियों को पूरा किया जाए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17.07.2019 को हुई अपनी बैठक में संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों दिनांक 14.06.2018 के अनुसार भूमि की बिक्री की सिफारिश की, आईडीपीएल के कर्मचारियों की देयता (लंबित वेतन और वीआरएस दोनों के लिए) को पूरा करने के लिए 330.35 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी। आरडीपीएल और एचएएल और साथ ही संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों की निकासी सहित सार्वजनिक उपक्रमों के बंद/रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति के गठन की सिफारिश की।

कैबिनेट के निर्णय दिनांक 17.07.2019 के अनुसरण में, माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति का गठन किया गया था, जिसकी बैठक दिनांक 27.05.2021 को हुई और अन्य सिफारिशों के अलावा, वास्तविक न्यूनतम मूल्य की खोज के लिए स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा भूमि का तृतीय पक्ष मूल्यांकन करना।

वर्तमान स्थिति:

(क) ऋषिकेश में 1.101 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि सहित आईडीपीएल की 833.3 एकड़ की लीजहोल्ड भूमि उत्तराखंड सरकार को वापस की जा रही है

(ख) 889.5 करोड़ की ऋण माफी के विपरीत हैदराबाद में आईडीपीएल संयंत्र की 50 एकड़ भूमि को नाईपर हैदराबाद को हस्तांतरित करने और पानीहाटी में बीसीपीएल की 20.5 एकड़ भूमि को 193.71 करोड़ की ऋण माफी के विपरीत नाईपर कोलकाता को हस्तांतरित करने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) एचएएल की 3.5 एकड़ जमीन पहले ही ईपीएफओ को 42 करोड़ रुपये में बेची जा चुकी है।

(घ) एचएएल और आईडीपीएल की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करने के लिए आरएफपी जारी किया जा रहा है

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.2 मूल्य निर्धारण

7.3 कोविड-19 की आपात स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

7.4 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां

7.5 अधिप्रभारित राशि की वसूली

7.6 चिकित्सा उपकरणों के मूल्य परिवर्तन की निगरानी

7.7 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन

7.8 आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गई गतिविधियां

7.9 ई-पहल

7.10 राजभाषा कार्यान्वयन

7.11 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

7.12 राष्ट्रीय एकता दिवस

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्याा 159 दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित संकल्प के द्वारा किया गया था। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, औषधि (मूल्य निर्धारण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के बारे में इनपुट प्रदान करता है।

सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण में 15.05.2013 को डीपीसीओ, 2013 को अधिसूचित किया।

7.1.1 डीपीसीओ, 2013 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), को अनिवार्यता अवधारित करने के लिए बुनियादी आधार के रूप में अपनाया गया है और इसे डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है, जो मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित दवाओं की सूची है।
- अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य 'बाजार आधारित आंकड़ों' के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।
- मूल्य नियंत्रण औषध (सक्रिय औषध घटक) के संदर्भ में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट फॉर्मूलेशनों, सेवन मार्ग, खुराक स्वरूप/शक्ति पर लागू किए गए हैं।
- राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2015 (एनएलईएम 2015) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2015 में अधिसूचित किया गया था। एनएलईएम 2015 को तत्पश्चात औषध विभाग द्वारा मार्च, 2016 में डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची के रूप में अधिसूचित किया गया।

7.1.2 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रकार्य इस प्रकार हैं:

- इसको दी गई शक्तियों के अनुसार डीपीसीओ, 1995/2013 के प्रावधानों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करना।
- औषधियों/फॉर्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना और/अथवा प्रायोजित करना।
- औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करना, कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाना, और सुधारात्मक उपाय करना।
- बल्क औषधियों और फॉर्मूलेशनों के उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के बाजार शेयर, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करना/उनका रख-रखाव करना।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना।
- औषधि नीति परिवर्तन/संशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।
- औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

7.2 मूल्य निर्धारण

7.2.1 मूल्य निर्धारण

(क) अधिकतम मूल्य

एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है।

डीपीसीओ, 2013 के अंगीकृत बाजार आधारित दृष्टिकोण के तहत किसी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य, पहले, उस विशिष्ट फार्मूलेशन के एक प्रतिशत या अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडेड-जेनरिक एवं जेनरिक रूपों के खुदरा विक्रेता को मिलने वाले मूल्य का (पीटीआर) सरल औसत निकाल कर और उसमें 16 प्रतिशत आनुमानिक खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उस विशिष्ट औषध फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), अधिसूचित अधिकतम मूल्य तथा लागू करों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए। एनएलईएम 2015 में 31 उपचार समूहों के 966 अनुसूचित औषध फॉर्मूलेशन (डीपीसीओ 2013 की अनुसूची-I के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों सहित) निहित हैं। एनपीपीए, डीपीसीओ 2013 की अनुसूची-I के स्पष्टीकरण-1 के तहत सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित करता है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अधीन 886 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें निम्नानुसार निर्धारित की हैं:

तालिका-7क
(दवाओं की श्रेणियां जिनके तहत अधिकतम मूल्य तय किए गए हैं)

श्रेणी	दवाइयों की संख्या	फार्मूलेशन की संख्या
कैंसर-रोधी	44	86
टीबी-रोधी	14	35
एचआईवी-रोधी	11	39
मधुमेह-रोधी	5	12
कार्डियोवैस्कुलर	30	74
अन्य	253	640
कुल	**357**	**886**

राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से मूल्य अधिसूचित किए जाते हैं जो एनपीपीए की वेबसाइट www.npaindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकतम मूल्य उस तारीख से कार्यशील एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, जिस तारीख से मूल्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) खुदरा मूल्य

एनपीपीए विनिर्माण/विपणन कंपनियों से प्राप्त फॉर्म-1 आवेदनों के आधार पर दवा के खुदरा मूल्य को निर्धारित करता है। अधिसूचित खुदरा मूल्य केवल आवेदक विनिर्माण/ विपणन कंपनियों के लिए लागू होते हैं। दवा की खुदरा कीमतें भी उसी पद्धति पर निर्धारित की जाती हैं जिस पद्धति से अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2021 तक 1798 'नई दवाओं' [डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(प) के अनुसार 'नई दवाओं' के रूप में अर्हता प्राप्त की खुदरा कीमतों को अधिसूचित किया।

7.2.2 पुनरीक्षण आदेश

एनपीपीए के आदेशों से परेशान कोई भी कंपनी डीपीसीओ, 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत औषध विभाग को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकती है। सुनवाई के पश्चात औषध विभाग अपेक्षित पुनरीक्षण निदेश देता है। एनपीपीए पात्रता के आधार पर औषध विभाग के पुनरीक्षण निदेशों को लागू करता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक (31.12.2021 तक) औषध विभाग द्वारा एक समीक्षा आदेश जारी किया गया।

7.2.3 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 32 के अंतर्गत दी गई छूट

वर्ष 2020-21 के दौरान, एनपीपीए ने डीपीसीओ 2013 के पैरा 32 (i) के अंतर्गत मेसर्स सन फार्मास्युटिकल

इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सिल्वर सल्फाडियाज़िन आईपी (नैनोनाइज़्ड) 0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.2% डब्ल्यू/डब्ल्यू सामयिक क्रीम' के फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (एफडीसी) और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमेटिड के टपेंटाडोल नेसल स्प्रे 225 एमजी/एमएल जिसमें प्रत्येक स्प्रे (0.1 एमएल) में टपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड 22.5 एमजी + बैन्ज़लकोलियम क्लोराइड (50%) 0.02%डब्ल्यू/वी (परिरक्षक के रूप में) होता है, के लिए छूट प्रदान की है।

7.2.4 व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के आधार पर कैंसर रोधी दवाओं का मूल्य संशोधन

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दिनांक 27.02.2019 के आदेश एसओ 1041(अ) के माध्यम से 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित चुनिंदा 42 कैंसर-रोधी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के व्यापार मार्जिन को निर्धारित किया। सार्वजनिक हित में असाधारण परिस्थितियों में डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 19 के प्रावधान का आह्वान करते हुए, अवधारणा का प्रमाण ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयोग को किया गया है।

विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, 526 ब्रांडों के एमआरपी में 91 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित हुई है। ब्रांडों के मूल्यों में कमी का प्रतिशत-वार विवरण निम्नानुसार है:

ग्राफ-7क
(ब्रांडों की कीमतों में प्रतिशत वार कमी)

ब्रांडो की संख्या

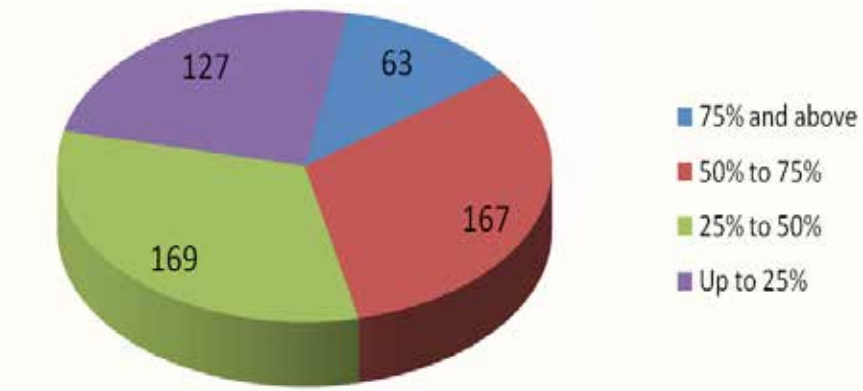

विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, 526 ब्रांडों के एमआरपी में 91 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित हुई है। ब्रांडों के मूल्यों में कमी का प्रतिशत-वार विवरण निम्नानुसार है:

उदाहरण के लिए, बिरलोटिब ब्रांड की टैबलेट एर्लोटिनिब 150 एमजी दवा के (10 के पैक) की कीमत जो पहले 9,999/- रूपए प्रति 10 टैबलेट पैक थी, अब घटकर 892/-रूपए प्रति 10 टैबलेट पैक हो गई है (91% की कमी) और इसी तरह पेमेट्रेक्सड दवा के पेमेस्टार 500 ब्रांड इंजेक्शन की कीमत जो पहले 25400 रूपए प्रति इंजेक्शन थी, व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण के बाद घटकर 2509 रूपए प्रति इंजेक्शन हो गई है (90% की कमी)।

इससे कैंसर रोगियों को प्रतिवर्ष 984 करोड़ रुपए की अनुमानित वार्षिक बचत हुई है। एनपीपीए ने राज्य औषधि नियंत्रकों और अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए हैं ताकि इस उपाय के अंतर्गत रोगियों को लाभ हो सके।

7.2.5 उपभोक्ताओं को बचत

एनएलईएम 2015 (संशोधित अनुसूची-I) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य के निर्धारण

से, कोरोनरी स्टेंट के मूल्य निर्धारण के कारण हुई 4,547 करोड़ रुपए की बचत के अलावा उपभोक्ताओं को 2643.00 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एनएलईएम, 2011 की अनुसूची-I के अंतर्गत अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं को 2422.24 करोड़ रुपए की बचत संभव हो पायी है। पैरा 19 मूल्य अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को करीब 350 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एनपीपीए ने गैर अनुसूचित आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण का अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किया है, जिससे उपभोक्ताओं को 1500 करोड़ रुपए की बचत हुई। कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण के माध्यम से उपभोक्ताओं को 984 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। इस प्रकार, एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत दवाओं के मूल्यों के विनियमन से उपभोक्ताओं को लगभग 12447 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की निवल बचतें हुई हैं।

ग्राफ-7ख
(उपभोक्ताओं को बचत)

बचत (रूपए करोड़ में)

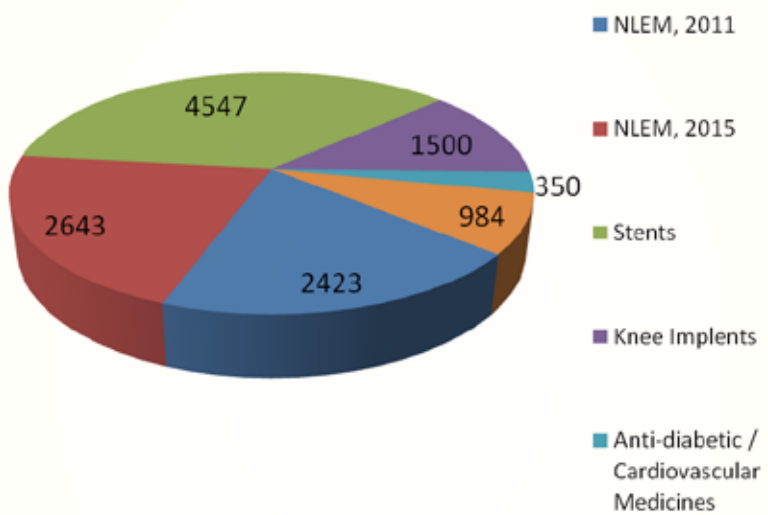

7.2.6 डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य का पुनरीक्षण

डीपीसीओ, 2013 का पैरा 19 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में दवाओं के अधिकतम मूल्य, यथाउपयुक्त, को पुनरीक्षित करने का अधिकार देता है। वर्तमान में, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत शक्तियों को एनपीपीए को सौंपा गया है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत ऊर्ध्वगामी मूल्य पुनरीक्षण के आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें बार-बार मूल्य नियंत्रण, एपीआई लागत में वृद्धि, उत्पादन विनिमय दरों आदि की लागत में वृद्धि जैसे विभिन्न कारण दर्शाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप औषधियों के दीर्घकालिक उत्पादन और विपणन में हानि हुई। इनमें से अधिकांश दवाओं को उपचार की पहली पंक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया था और यह देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं। एनपीपीए का अधिदेश वहनीय कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और यह नोट किया गया कि दवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने के दौरान, उनकी पहुंच के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है और आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं आम जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए।

3 दवाओं के सूचीबद्ध किए गए 9 अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्य डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 का उपयोग करके एक अपवाद कार्यकलाप के रूप में जनहित में वर्तमान अधिकतम मूल्य से 50 प्रतिशत की एकबारगी मूल्य वृद्धि को अनुमति देकर संशोधित किया गया था। इन दवाइयों का विवरण इस प्रकार है:

तालिका-7ख
(अनुसूचित फॉर्मूलेशन जहां उच्चतम मूल्यों को संशोधित किया गया था)

क्रम संख्या	अनुसूचित सम्मिश्रण का नाम	खुराक स्वरूप एवं क्षमता	इकाई	अधिकतम मूल्य (₹)	मौजूदा का.आ. संख्या और तिथि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(क)	6(ख)
1	कार्बामाज़ेपाइन	ओरल लिक्विड 100 मिलीग्राम/5 एमएल	1 एमएल	0.29	1330 (अ) क्रम संख्या 139	25.03.2021
2	कार्बामाज़ेपाइन	सीआर टैबलेट 200 मिलीग्राम	1 टैबलेट	2.34	1330 (अ) क्रम संख्या 140	25.03.2021
3	कार्बामाज़ेपाइन	सीआर टैबलेट 400 मिलीग्राम	1 टैबलेट	4.61	1330 (अ) क्रम संख्या 141	25.03.2021
4	कार्बामाज़ेपाइन	टैबलेट 100 मिलीग्राम	1 टैबलेट	1.02	1330 (अ) क्रम संख्या 142	25.03.2021
5	रेनीटिडिन	ओरल लिक्विड 75 मिलीग्राम/5 एमएल	1 एमएल	1.08	1330 (अ) क्रम संख्या 722	25.03.2021
6	रेनीटिडिन	टैबलेट 150 एमजी	1 टैबलेट	1.10	1330 (अ) क्रम संख्या 723	25.03.2021
7	रेनीटिडिन	इंजेक्शन 25 एमजी/1एमएल	1 एमएल	2.43	1330 (अ) क्रम संख्या 724	25.03.2021
8	आइबूप्रोफेन	टैबलेट 200 एमजी	1 टैबलेट	0.59	1330 (अ) क्रम संख्या 431	25.03.2021
9	आइबूप्रोफेन	टैबलेट 400 एमजी	1 टैबलेट	1.04	1330 (अ) क्रम संख्या 432	25.03.2021

7.3 कोविड-19 की आपात स्थितियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

कोविड-19 महामारी के दौरान, एनपीपीए ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाई और पूरे देश में जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए।

7.3.1 औषधियों का मूल्य निर्धारण

मूल्य निर्धारण उपभोक्ताओं को बेहतर पहुंच के साथ आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की निरंतर उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक साधन है। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं की सूची एम्स/आईसीएमआर-कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्थापित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल से निर्धारित की जाती है। उक्त दवाओं की प्रभावशीलता के साक्ष्य के आधार पर प्रोटोकॉल अद्यतित होते रहते हैं।

कोविड प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश दवाएं अनुसूचित दवाएं हैं जिनकी अधिकतम कीमत एनपीपीए द्वारा दी गई है। तय की गई अधिकतम कीमतों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका-7ग
(कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल की अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत)

क्रम संख्या	औषधि	अधिकतम मूल्य (अधिसूचना दिनांक 25.03.2021)
1.	पैरासिटामोल - 650 एमजी का टैब	1.84 रुपए प्रति टैबलेट
2.	डेक्सामेथासोन इंजेक्शन 4 मिलीग्राम/ एमएल	2 एमएल पैक के लिए 9.34 रुपए; 10 एमएल पैक के लिए 13.80 रुपए; 20 एमएल पैक के लिए 26.46 रुपए; 30 एमएल पैक के लिए 35.36 रुपए;
3.	मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 40 मिलीग्राम / एमएल	1 एमएल पैक के लिए 54.10 रुपए
4.	मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट	8 एमजी प्रति टैबलेट के लिए 5.11 रुपए 16 एमजी प्रति टेबलेट के लिए 8.94 रुपए
5.	प्रेडनिसोलोन टैबलेट	5 एमजी प्रति टैबलेट के लिए 0.56 रुपए; 10 एमजी प्रति टैबलेट के लिए 0.98 रुपए 20 एमजी प्रति टैबलेट के लिए 1.96 रुपए; 40 एमजी प्रति टैबलेट के लिए 2.82 रुपए
6.	एनोक्सापैरिन इंजेक्शन 40एमजी	0.1 मिली पैक के लिए 101.89 रुपए
7.	एम्फोटेरिसिन लिपोसोमल	50 ग्राम के प्रत्येक पैक के लिए 7484.24 रुपए
8.	एम्फोटेरेसिन बी डीओक्सीकोलेट इंजेक्शन 50 मिलीग्राम प्रति शीशी	50 ग्राम के प्रत्येक पैक के लिए 310.48 रुपए
9.	बुडेसोनाइड - रेस्पिरेटरी साल्यूशन	0.5 एमजी/एमएल के लिए 10.74 रुपए और 1एमएल के पैक आकार के लिए 1एमजी/एमएल के लिए 12.95 रुपए
10.	हेपरिन इंजेक्शन	1000 आईयू के लिए 16.35 रुपए और 1 एमएल पैक के 5000 आईयू के लिए 40.58 रुपए (हेपरिन इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई)

रेमेडिसविर, पॉसकोनाज़ोल इंजेक्शन, टोसिलिजुमैब और इनफ्लैक्सीमैब इंजेक्शन वह औषधि है जो कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, लेकिन डीपीसीओ, 2013 के अनुसार गैर-अनुसूचित हैं। इसके अलावा, लियोफिलाइज्ड रेमेडिसिविर इंजेक्शन के लिए, विभिन्न ब्रांडों के एमआरपी पहले 5400 रुपये प्रति शीशी तक थे। हालांकि, सरकार के हस्तक्षेप पर रेमेडिसिविर इंजेक्शन (एक गैर-अनुसूचित दवा) के प्रमुख विनिर्माताओं / विक्रेताओं ने स्वैच्छिक रूप से खुदरा कीमतों को कम कर दिया और इन्हें 3500/- रुपये से कम करने के लिए संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की, तदनुसार एनपीपीए ने दिनांक 17.04.2021 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 37008/2021/डीआईवी.VI/ एनपीपीए जारी किया।

महामारी के समय में एनपीपीए ने जनहित में असाधारण शक्तियों का उपयोग किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य निर्धारण के मुद्दे हेपरिन और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक औषधि की पहुँच में

बाधा न बने।

क. **हैपरिन:** हैपरिन का उपयोग रक्त को पतला करने के लिए किया जाता है और हेपरिन इंजेक्शन 5000 आईयू/एमएल को एक आवश्यक कोविड प्लस दवा माना जाता है और व्यापक रूप से कोविड-19 उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस दवा के सक्रिय दवा संघटक (एपीआई) का आयात चीन से किया जाता है। इस दवा के लिए, एनपीपीए को कई विनिर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें उल्लेख किया गया था कि इस दवा के एपीआई की कीमतों में वृद्धि हुई है। हेपरिन इंजेक्शन 5000 आईयू/एमएल के अधिकतम कीमत के अन्तर्गत होने के कारण, एपीआई की कीमतों में वृद्धि ने इस महत्वपूर्ण दवा की निरंतर उपलब्धता के लिए एक चुनौती पेश की। एनपीपीए ने महामारी के दौरान इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हेपरिन 1000 आईयू इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 16.26 रूपए प्रति एमएल (जीएसटी को छोड़कर) से 24.39 रूपए प्रति एमएल (जीएसटी को छोड़कर) और 5000 आईयू इंजेक्शन को 40.36 रूपए प्रति एमएल (जीएसटी को छोड़कर) से बढ़ाकर 60.54 रूपए प्रति एमएल (जीएसटी को छोड़कर) कर दिया। संशोधित अधिकतम कीमतों को दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

ख. **मेडिकल ऑक्सीजन:** कोविड-19 की स्थिति के कारण देश में मेडिकल ऑक्सीजन (एमओ) की मांग बढ़ गई। एनपीपीए ने स्थिति को व्यापक रूप से समझने के लिए उद्योग, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पीईएसओ, टैरिफ कमीशन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग और ईजी2 के साथ पुनः हितधारक परामर्श किया। मेडिकल ऑक्सीजन न केवल एक आवश्यक जीवन रक्षक दवा है, बल्कि कोविड प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलर को आपूर्ति किए जाने वाले एलएमओ की कीमत में वृद्धि के कारण, उनके लिए मार्जिन कम हो गया था जो उनकी परिचालन व्यवहार्यता को प्रभावित कर रहा था। इसलिए, अस्पतालों और उपभोक्ताओं को सिलेंडरों के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एलएमओ की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करना अनिवार्य था।

व्यापक विचार-विमर्श के बाद, एनपीपीए ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(l) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सार्वजनिक हित में करते हुए छह महीने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की कीमत (एक्स-फैक्ट्री) को 15.22 रूपए प्रति क्यूबिक मीटर (जीएसटी को छोड़कर) और ऑक्सीजन इनहेलेशन (मेडिसिनल गैस) की कीमत (एक्स-फैक्ट्री) को 25.71 रूपए प्रति क्यूबिक मीटर (जीएसटी को छोड़कर) तक सीमित कर दिया। कीमतों को दिनांक 31.03.2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। एनपीपीए की समय पर मध्यस्थता ने पूरे देश में, विशेष रूप से दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति को सुगम बना दिया।

7.3.2 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना

नैदानिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को विनियमित करने के उद्देश्य से, सामान्य रूप से और विशेष रूप से कोविड-19 प्रबंधन के लिए, एनपीपीए ने नीति आयोग की सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति (एससीएएमएचपी) की सिफारिश पर 03.06.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से वितरक को मूल्य (पीटीडी) स्तर पर ऑक्सीजन सांद्रता के लिए व्यापार मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया। 70/252 उत्पादों की कीमतों में कमी देखी गई और खुदरा कीमतों में 54% (54,337 रूपए तक) तक की कमी आई। दिनांक 03.06.2021 की अधिसूचना के क्रम में, एनपीपीए राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30.11.2021 ने टीएमआर अधिसूचना को दिनांक 31.05.2022 तक बढ़ा दिया।

इसी तरह, दिनांक 13.07.2021 की अधिसूचना के द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाइज़र और डिजिटल थर्मामीटर पर व्यापार मार्जिन 70% पर किया गया। अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करना अनिवार्य है: अधिकतम खुदरा मूल्य = वितरक को मूल्य (पीटीडी) + (पीटीडी x टीएम) + लागू जीएसटी, जहां टीएम = व्यापार मार्जिन 70% से अधिक नहीं है।

विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाना

कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, 13 जुलाई 2021 की अधिसूचना के लागू होने के बाद, सभी श्रेणियों में आयातित और घरेलू ब्रांडों द्वारा एमआरपी में गिरावट दर्ज की गई है। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7घ
(पांच चिकित्सा उपकरणों पर टीएमआर का प्रभाव)

क्रम संख्या	वर्गीकरण के अनुसार	अधिसूचना के बाद दर्ज किए गए उत्पाद की संख्या	एमआरपी में गिरावट दर्ज करने वाले ब्रांडों की संख्या	एमआरपी में कमी	
				(रुपए में)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पल्स ऑक्सीमीटर	277	137 (90%)	12-295375	1%-89%
2.	ब्लड प्रेशर मोनिटरिंग मशीन	329	306 (93%)	20-38776	1%-83%
3.	ग्लूकोमीटर	105	84 (80%)	30-2250	1%-98%
4.	डिजिटल थर्मामीटर	164	148 (90%)	8-44775	1%-89%
5.	नेब्युलाइज़र	257	244 (95%)	56-6165	1%-83%
	कुल	1132	1033 (91%)		

7.3.3 उन्नत उत्पादन क्षमता

सरकार के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल-मई, 2021 की अवधि के दौरान रेमडेसिविर की विनिर्माण इकाइयों की संख्या 20 से बढ़कर 57 हो गई और देश की रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता तीन गुना यानी 37 लाख (लगभग) शीशियों प्रति माह से बढ़कर 1.05 करोड़ (लगभग) शीशियां प्रति माह हो गई।

7.3.4 आवश्यक दवाओं की उपलब्धता

क. भारत सरकार द्वारा आबंटन के अनुसार कोविड दवाओं की निगरानी:

रेमेडिसविर, टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन के लिए डीओपी और एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आबंटन के आधार पर एनपीपीए आपूर्ति के मुद्दों, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों और विनिर्माताओं के संपर्क अधिकारियों के साथ निकट समन्वय के माध्यम से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समान वितरण की निगरानी और समन्वय के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण का पालन कर रहा है।

ख. बफर दवाओं के विनिर्माताओं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने भविष्य में होने वाले किसी भी भारी उछाल को पूरा करने की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे उपायों के एक हिस्से के रूप में दिनांक 13.07.2021 को पत्र के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के बफर स्टॉक प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश साझा किए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि राज्यों को बफर स्टॉक बनाने के लिए प्राथमिकता पर खरीद शुरू करनी चाहिए। औषध विभाग (डीओपी) ने एनपीपीए को, यदि खरीद आदेश दिए जाने के बाद आपूर्ति की निगरानी के लिए किसी भी सुविधा की आवश्यकता होती है, तो राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और विनिर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करने का कार्य सौंपा है। तदनुसार, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और विनिर्माताओं/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आने वाली किसी भी समस्या/चुनौतियों को हल करने के लिए सीडीएससीओ और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ निकट समन्वय से विनिर्माताओं के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।

ग. नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन और कोविड-19 डैशबोर्ड:

एनपीपीए ने दवाओं की उपलब्धता पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन नंबर -1800111255 / ईमेल: monitoring-nppa@gov.in) स्थापित किया है और यह राज्य के अधिकारियों, विनिर्माताओं, विपणक और उनके संघों के साथ समन्वय करके मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान, हेल्पलाइन पर प्राप्त 1139 शिकायतों में से, 1011 कोविड दवाओं की कमी और 128 अधिक मूल्य निर्धारण और अन्य मुद्दों पर थीं। एसडीसी के साथ समन्वय कर इनका समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

घ. साप्ताहिक सर्वेक्षणों के माध्यम से निगरानी:

औषधि महानियंत्रक (आई) के अधिकारियों द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर दवा की दुकानों पर समय-समय पर किए जा रहे नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा आयोजित कोविड प्रबंधन दवाओं के साप्ताहिक उपलब्धता सर्वेक्षण के माध्यम से मई 2021 से इसे पूरक बनाया जा रहा है। जुलाई 2021 से साप्ताहिक सर्वेक्षण में पांच चिकित्सा उपकरणों को भी शामिल किया गया था। पीएमआरयू बाजार आधारित डेटा संग्रह, दवाओं की अधिसूचित कीमतों की निगरानी और डीपीसीओ के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है।

ड. कालाबाजारी:

देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के संदर्भ में और कोविड-19 दवाओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों के एक उपाय के रूप में एनपीपीए ने सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कोविड-19 दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया है।

7.4 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियां

सरकार डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की प्रभावी रूप से निगरानी कर रही है और राज्य औषध नियंत्रकों/व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों के आधार पर, और बाजार आधारित आंकड़ों की रिपोर्ट और 'फार्मा जन समाधान' और 'केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस)' वेबसाइटों के माध्यम से संसूचित शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्रभारित करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। अनुमत सीमा से परे फार्मूलेशन मूल्य में वृद्धि की निगरानी भी एआईओसीडी (फार्माट्रैक डेटा) और व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाती है।

जब कभी भी कंपनियां एनपीपीए द्वारा अधिसूचित कीमत से अधिक कीमतों पर अनुसूचित फॉर्मूलेशन की बिक्री करती पायी जाती हैं, तो डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के तहत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधिप्रभारित राशि, ब्याज सहित कंपनी से वसूली जाती है। इसी तरह की कार्रवाई तब भी की जाती है जब कंपनियां गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्यों के पिछले बारह माह के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हैं या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) का उल्लंघन करते हैं।

अधिसूचित औषध फॉर्मूलेशनों के मामले में अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन नहीं किए जाने या दूसरे शब्दों में, अधिकतम मूल्य एवं लागू स्थानीय करों के योग का एमआरपी से अधिक होने का अर्थ उपभोक्ताओं से अधिप्रभारण है। ऐसी अधिप्रभारित राशि औषध कंपनियों से उस राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित अधिप्रभार की तारीख से वसूली जाती है। ऐसी कंपनियां जो इन मांग नोटिसों का पालन नहीं करती हैं उनके मामलों को अधिप्रभारित राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टरों को भेज दिया जाता है और वे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के प्रावधानों के तहत अभियोजन का भागी भी हो सकती हैं।

एनपीपीए औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करता है, कमियां, यदि कोई हैं, की पहचान करता है, और उपभोक्ताओं को औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। एनपीपीए यह जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य औषध नियंत्रकों, गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से निर्वहन करता है। जब और ज्यों किसी विशिष्ट औषध (औषधियों) की देश के किसी भी भाग में कमी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में उन औषधियों को उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक भेजने के लिए कहा जाता है। एनपीपीए इस बात की भी निगरानी करता है कि कंपनियां एनपीपीए को पूर्व सूचना दिए बिना अनुसूचित दवाओं का विनिर्माण बंद नहीं करती हैं। ऐसे मामलों में जहां कमी की आशंका होती है, एनपीपीए कंपनियों को उत्पादन जारी रखने या बढ़ाने का निर्देश भी देता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को अधिसूचित कीमतों पर दवाएं उपलब्ध हों, एनपीपीए प्रवर्तन गतिविधियों के लिए एसडीसी के साथ मिलकर काम करता है। खुले बाजार से नियमित रूप से दवाओं के नमूने लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीजों को दवाएं किस कीमत पर बेची जाती हैं। वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक (दिनांक 31.12.2021 तक) की प्रवर्तन गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

तालिका-7ङ
(प्रवर्तन गतिविधियों का विवरण)

वर्ष	संग्रहीत नमूनों की संख्या	प्रथम दृष्टया संसूचित उल्लंघन
2010-2011	553	225
2011-2012	559	156

2012-2013	626	165
2013-2014	993	389
2014-2015	3898 #	1020
2015-2016	2534 #	613
2016-2017	1817 #	930
2017-2018	2418 #	1032
2018-2019	1391 #	324
2019-2020	938 #	350
2020-2021	1073 #	537
(दिनांक 31.12.2021 तक)	706 #	295

राज्य औषध नियंत्रकों और पीएमआरयू से संदर्भित अधिप्रभारन के मामले 'संग्रहीत नमूने' के तहत शामिल किए गए हैं।

7.5 अधिप्रभारित राशि की वसूली

अधिप्रभारित राशि को दवा कंपनी से ब्याज और जुर्माने के साथ अधिप्रभारन की तिथि से वसूल किया जाता है। ऐसी कंपनियां जो इन मांग नोटिसों का पालन नहीं करती हैं उनके मामलों को अधिप्रभारित राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टरों को भेज दिया जाता है और वे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी अधिनियम), 1955 के प्रावधानों के तहत अभियोजन का भागी भी हो सकती हैं।

एनपीपीए ने दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार अधिप्रभारन के करीब 2209 मामलों पर कार्रवाई शुरू की है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार डीपीसीओ 1979, डीपीसीओ 1995 एवं 2013 के अंतर्गत औषध कम्पनियों से 1312.26/- करोड़ रु. की राशि वसूली की गई है। अधिप्रभारित धनराशि और उस पर लगे ब्याज की वसूली करने हेतु कार्रवाई करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठनीय डीपीसीओ' 1979, डीपीसीओ' 1987, डीपीसीओ' 1995/डीपीसीओ' 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

7.6 चिकित्सा उपकरणों के मूल्य परिवर्तन की निगरानी

एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, सभी गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरणों के एमआरपी की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी विनिर्माता/आयातक एमआरपी में पिछले बारह महीनों में व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सके। उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन पर, एनपीपीए दोषी कंपनियों को अधिप्रभारन नोटिस जारी करता है।

ऐसे चौबीस (24) चिकित्सा उपकरण हैं जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औषधियों के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया गया है। उपर्युक्त में से, चार (4) चिकित्सा उपकरण अर्थात् (i) कार्डियक स्टेंट्स (ii) ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स (iii) इन्ट्रा यूट्रीन डिवाइसेज (सीयू-टी) और (iv) कण्डोम ऐसे अनुसूचित चिकित्सा उपकरण हैं जिन्हें डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है। इस प्रकार ये चार चिकित्सा उपकरण मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 11.02.2020 की अधिसूचना के अनुसार, सभी चिकित्सा

उपकरणों को दिनांक 01.04.2020 से 'औषधि' के रूप में अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त के अनुसार, सभी चिकित्सा उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, चिकित्सा उपकरण नियम, 2020 और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अधीन आ गए हैं। इससे सरकार देश में चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और कीमतों को विनियमित करने के लिए सक्षम होगी।

7.7 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) के दो घटक हैं, अर्थात मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए सहायता, और सीएपीपीएम हेतु विज्ञापन और प्रचार।

एनपीपीए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयां (पीएमआरयू) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटियां हैं, जिनके पास स्वयं के संस्थापन प्रलेख / उपनियम हैं और वे एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इस योजना के तहत मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है।

अब तक, पीएमआरयू की स्थापना इक्कीस (21) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात केरल, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में की गई है।

सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार के तहत- एनपीपीए और पीएमआरयू दोनों उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ प्रशिक्षण, सेमिनार, वेबिनार जैसी आईईसी गतिविधियों का संचालन करते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनपीपीए द्वारा दिनांक 22.11.2021 तक 6 वेबिनार आयोजित किए गए।

7.8 "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत की गई गतिविधियां

हैशटैग #AzadiKaAmritMahotsav का उपयोग करते हुए ट्विटर पर साझा की गई जानकारी

भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गतिविधियों के भाग के रूप में वर्ष भर चलने वाले 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के दौरान, एनपीपीए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29.10.2021 को

"वहनीयता और नवाचार: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं सुनिश्चित करना" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन ने की, और सुश्री एस अपर्णा, सचिव, औषध विभाग ने इसकी गरिमा बढ़ाई। पूरे देश से उद्योग, शिक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों, मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू), नागरिक समाज, और रोगी के अधिकारों पर सक्रिय समूहों के लगभग 350 प्रतिभागी वेबिनार में शामिल हुए।

वहनीयता और नवाचार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं सुनिश्चित करना- विषय पर आयोजित वेबिनार

वेबिनार के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन द्वारा एनपीपीए के द्विमासिक ई-न्यूजलेटर "औषध संदेश" के उद्घाटन अंक को भी लॉन्च किया गया। ई-न्यूजलेटर की संकल्पना एनपीपीए की नवीनतम नियामक पहलों, सरकारी नीतियों और पहलों के बारे में हितधारकों के बीच जानकारी को सरल और समझने में आसान प्रारूप में सूचना देने और प्रसारित करने के इरादे से की गई है।

सप्ताह भर चलने वाले विशेष अभियान (दिनांक 24.10.2021 से दिनांक 31.10.2021) के दौरान, एनपीपीए ने 'आवश्यक दवाओं की वहनीयता' के विषय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता अभियान चलाया।

कुछ क्रिएटिव जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए गए थे।

7.8.1 पीएमआरयू द्वारा की गई गतिविधियां

भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गतिविधियों के भाग के रूप में वर्ष भर चलने वाले

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के दौरान पीएमआरयू ने दिनांक 24.10.2021 से दिनांक 31.10.2021 तक विशेष अभियान भी चलाया। उन्होंने "आवश्यक दवाओं की वहनीयता और उपलब्धता" के विषय पर समग्र अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान पीएमआरयू ने इस विषय पर परिचर्चा की, इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न हितधारकों तक पहुंच बनाई, फार्मेसी कॉलेजों, पंचायतों आदि में जागरूकता अभियान चलाया।

आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष अभियान के दौरान पीएमआरयू द्वारा आयोजित कार्यक्रम

पीएमआरयू द्वारा आयोजित इन सभी कार्यक्रमों में विभिन्न हितधारकों अर्थात विनिर्माताओं, रसायनज्ञों, उद्योग संघों, रोगी के अधिकारों पर सक्रिय समूहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ राज्य औषधि नियंत्रकों ने भी टेलीविजन और रेडियो पर साक्षात्कार देकर बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंच बनाई। कुछ पीएमआरयू ने बाहरी अभियान भी आयोजित किए और कुछ पीएमआरयू द्वारा ब्रोशर के रूप में प्रचार सामग्री भी परिचालित की गई। सप्ताह भर चलने वाला विशेष अभियान विभिन्न हितधारकों और सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं तक एनपीपीए द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों और डीपीसीओ के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए एक उपयोगी अभ्यास साबित होगा।

पीएमआरयू द्वारा की गई गतिविधियों की कुछ तस्वीरें

7.9 ई-पहल

एनपीपीए ने आम जनता की शिकायतों के बेहतर निपटान के लिए निम्नलिखित ई-पहल भी की है:

7.9.1 फार्मा जन समाधान (पीजेएस)

पीजेएस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से एनपीपीए द्वारा विकसित एक वेब सक्षम प्रणाली है। पीजेएस औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करता है। पीजेएस का प्राथमिक उद्देश्य दवाइयों की उपलब्धता, दवाइयों के अधिक मूल्य प्रभारित करने, मूल्य पूर्वानुमोदन के बिना (डब्ल्यूपीए) 'नयी औषधियों' की बिक्री और दवाइयों की आपूर्ति या बिक्री से इंकार करने से संबंधित मामलों के लिए एक त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थपित करना है। शिकायतें एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध पीजेएस लिंक के तहत और साथ ही नि:शुल्कप दूरभाष सं. 1800111255 तथा ई-मेल- monitoring-nppa@gov.in पर पंजीकृत कराई जा सकती है।

कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता संगठन या स्टॉकिस्ट/वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता या राज्य औषधि नियंत्रक पीजेएस के जरिए एनपीपीए में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पीजेएस के माध्यम से पूर्ण सूचना के साथ प्राप्त शिकायत पर 48 घंटे के भीतर एनपीपीए द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।

7.9.2 एकीकृत औषध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस)

आईपीडीएमएस को दिनांक 25.06.2015 को शुरू किया गया। आईपीडीएमएस को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से एनपीपीए द्वारा विकसित किया गया था। यह विस्तृत ऑनलाइन प्रणाली औषध विनिर्माता/विपणन कंपनी/आयातक/वितरक को डीपीसीओ, 2013 के फॉर्म ।।, फार्म ।।। एवं फॉर्म V में निर्धारित अनिवार्य रिटर्न दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 975 फार्मा कंपनियों ने स्वयं को आईपीडीएमएस के अंतर्गत पंजीकृत करवाया है और 87106 उत्पाद दिनांक 31.12.2021 तक पंजीकृत हुए हैं।

आईपीडीएमएस को वेब-सक्षम बनाने के लिए एनपीपीए, सीडीएसी के माध्यम से इसके उन्नयन का भी कार्य कर रहा है।

7.9.3 मोबाइल एप्लीकेशन 'फार्मा सही दाम' और 'सर्च मेडिसिन प्राइस' सुविधा

एनपीपीए ने भारत के आम लोगों के लाभ के लिए दिनांक 29.08.2016 को ''फार्मा सही दाम'' नामक अपने मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से कोई भी आसानी से ब्रांड नाम, संरचना, फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य और एमआरपी ढूंढ़ सकता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन और ऐप स्टोर से आईओएस आधारित मोबाइल फोन (आई फोन) पर नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। एनपीपीए की वेबसाइट में उपलब्ध टूल 'सर्च मेडिसिन प्राइस' का उपयोग करके अनुसूचित फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत भी प्राप्त की जा सकती है। ऐप या सर्च मेडिसिन सुविधा उपकरण उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करेगा कि क्या दवाएं अनुमोदित मूल्य सीमा के भीतर बेची जा रही है या फिर औषध कंपनी/केमिस्ट द्वारा अतिप्रभारन के मामले का पता लगाना सुगम करेगा। यदि अधिकतम मूल्य सीमा का कोई उल्लंघन होता है, तो खरीददार फार्मा जन समाधान (http://www.nppaindia.nic.in/redressal.html) के माध्यम से कंपनी/केमिस्टक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएगा।

7.10 राजभाषा कार्यान्वयन

एनपीपीए में अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है और अन्य इस समिति के सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त सचिव और अन्य राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। इस समिति का उद्देश्य समय-समय पर प्रत्येक तीन महीने में आधिकारिक कार्यों में प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा करना है। सभी सदस्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा करते हैं और उपयुक्त सुझाव देते हैं। इसकी बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है।

7.10.1 राजभाषा प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2021

एनपीपीए में दिनांक 16.09.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2021 का आयोजन किया गया था ताकि उनके कार्यालयी कामकाज में हिंदी के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा सके और विभाग को हिन्दी के प्रयोग के अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिले। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 2021 में सफल रहा और दिनांक 27.10.2021 को एनपीपीए के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निदेशक (प्रशासन) द्वारा शपथ दिलाई गई। विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

7.11 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एनपीपीए में दिनांक 26.10.2021 से दिनांक 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सदस्य सचिव, एनपीपीए द्वारा दिनांक 26.10.2021 को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।

7.12 राष्ट्रीय एकता दिवस

एनपीपीए कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया। सदस्य सचिव, एनपीपीए द्वारा दिनांक 29.10.2021 को कोविड-19 मानदंडों का पालन करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।

अध्याय 8

राजभाषा का कार्यान्वयन

8.1 सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग

8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

8.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2021

8.4 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा

अध्याय 8

राजभाषा का कार्यान्वयन

8.1 सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग

भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के विभिन्न प्रावधानों तथा इसके तहत जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन शामिल है। राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3 की उपधारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया। हिंदी में प्राप्तव पत्रों तथा हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यांवेदनों के उत्तरर राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 5 तथा नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार हिंदी में दिए गए।

8.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

विभाग में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समुचित उपायों का सुझाव देने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की आवधिक रूप से समीक्षा करने हेतु संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इसकी बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और हिंदी में संघ के सरकारी काम-काज हेतु वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा की गई।

8.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2021

अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने में विभाग की मदद करने के उद्देश्यत से विभाग में 14 से 28 सितंबर, 2021 तक हिंदी का प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी का प्रयोग करने की प्रतिबद्धता करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध करते हुए सचिव (फार्मा) द्वारा जारी किए गए संदेश के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ पखवाड़े के दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए।

8.4 विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा

वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में उनसे प्राप्त हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से विभाग के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की आवधिक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान, वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में विहित लक्ष्यों (कम से कम 25 प्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण) को प्राप्त करने के लिए औषध विभाग के दो अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

अध्याय 9

नागरिक उन्मुख अभिशासन

9.1 हमारा विजन
9.2 हमारा मिशन
9.3 हमारे ग्राहक
9.4 हमारी प्रतिबद्धताएं
9.5 हमारी सेवाएं
9.6 हमारे कार्यकलाप
9.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
9.8 सीपीजीआरएएमएस

अध्याय 9

नागरिक उन्मुख अभिशासन

9.1 हमारा विजन

गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय फार्मा का संवर्धन करना तथा देश में दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुगमता तथा वहनीयता सुनिश्चित करना।

9.2 हमारा मिशन

- फार्मा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
- महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया बनाना
- उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
- स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन और
- जन औषधि योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

9.3 हमारे ग्राहक

- भारत के नागरिक
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित औषध उद्योग
- डीपीसीओ के अंतर्गत राहत मांगने वाली औषध कंपनियां
- एनपीपीए/सीपीएसयू/नाईपर

9.4 हमारी प्रतिबद्धताएं

औषध उद्योगों से संबंधित मामलों में जनता को निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण एवं तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

अधिक संख्या में अपने कार्मिकों और जनता की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

हमारी प्रतिबद्धता नीतियों को बनाने और सभी उद्योग संघों/हितधारकों के साथ परामर्श शुरू करने और जब भी आवश्यक हो, उन्हें संशोधित करने की है।

9.5 हमारी सेवाएं

हम दवाइयों व औषधों, रंजक द्रव्यों एवं रंजक मध्यवर्ती उत्पादको से संबंधित नीतियां तैयार करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं।

9.6 हमारी गतिविधियां

विभाग के मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

(i) नीति समर्थन, योजना और प्रोत्साहन के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना।

(ii) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iii) विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्यरत केंद्रीय औषध उपक्रमों का समुचित कार्य संचालन सुनिश्चित करना।

(iv) सीपीएसयू के लिए परियोजना आधारित सहायता और पुनरूद्धार योजनाएं।

(v) नाईपरों में एम. फार्मा और पीएच. डी. कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना।

(vi) सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित औषधि अनुसंधान तथा विकास और उद्योग के लिए मानव संसाधन, अवसंरचना विकसित करना।

(vii) फार्मा ब्रांड इंडिया का संवर्धन करने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना।

(viii) औषध उद्योग के पर्यावरण संबंधी चिरस्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना/परियोजना तैयार करना।

(ix) वार्षिक योजना, बजट तैयार करना और बजट व्यय की मॉनीटरिंग करना। विभाग का सिटीजन चार्टर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

9.7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, समन्वय प्रभाग में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो आरटीआई मामलों के लिए नोडल सेल का कार्य करता है। आरटीआई आवेदन संबंधित सीपीआईओ को हस्तांतरित किए जाते हैं। सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त अपील/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय करता है तथा रिटर्न इत्यादि भी जमा करता है। केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची को विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है। पारदर्शिता के अनुपालन में वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाती है।

9.8 सीपीजीएआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग व्यवस्था)

ऑफलाइन और सीपीजीएआरएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई लोक शिकायतों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और निपटान किया जाता है।

अध्याय 10

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

10.1 लोकल एरिया नेटवर्क (लैन)

10.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

10.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

10.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

10.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

10.6 ई-गवर्नेंस

अध्याय 10

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत औषध विभाग ने ई-गवर्नेंस को अपनाने की दिशा में सूचना और ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करने की विभिन्न पहलें की है। इस कार्यक्रम ने पारदर्शिता, सेवाओं की आसान पहुंच, आंतरिक प्रकियाओं का सुधार और निर्णय समर्थन प्रणाली के संदर्भ में सुविधाओं का संचालन किया है।

विभाग में राट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा स्थाापित आई टी आधारित कम्प्यूटर केन्द्र कार्यरत है और विभाग को विभिन्न आई टी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम ग्राहक मशीनों से सुसज्जित किया है। एनआईसी तकनीकी परामर्श, नेटवर्किंग, अनुप्रयोग विकास और कार्यान्वयन, इंटरनेट और ई-मेल, डाटा आधार प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसी मूल्यवान प्रमुख सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनआईसी की मौजूदगी और विशेषज्ञता के साथ विभाग निम्नलिखित आईटी/ई-अभिशासन संबंधी पहलों का संचालन करने में सक्रिय रहा है। प्रदानगी और सुरक्षा के उन्नयन के लिए, वेब एप्लीकेशनों को क्लाउड एनवायरमेंट में अंतरित किया जाता है।

10.1 स्थालनीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन)

विभाग में सभी कार्यस्थल लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े हुए हैं जो पहले से ही आईपीवी6 के अनुरूप है और ई-मेल, इंट्रानेट/इंटरनेट और डेटाबेस एक्सेस संचालन के लिए चौबीसों घंटे सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आईपीवी6 के अनुरूप आईसीटी हार्डवेयर सभी अधिकारियों/डिवीजनों/अनुभागों को उनके डेस्कटॉप पर उपयोग के लिए उपलब्ध है।

10.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

विभाग की द्विभाषी वेबसाइट http://pharmaceuticals.gov.in को एनआईसी क्लाउड में रखा गया है ताकि नागरिकों को सूचना की सुरक्षा एवं अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हो सके। यह वेबसाइट अंतर्वस्तु प्रबंधन अवसंरचना का प्रयोग करते हुए एनआईसी द्वारा विकसित की गई है और जीआईजीडब्ल्यू अनुपालक है। यह विभाग की संघटनात्मक व्यवस्था, इसके कार्य, अधीनस्थ कार्यालयों, नीतियों, प्रकाशनों, कार्यशील मानदंडों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े/सूचना का ब्यौरा प्रदान करता है। मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाण पत्र (एसटीक्यूसी) प्रमाणन पूरा हो गया है।

सोशल मीडिया के पास लोगों तक पहुंचने की काफी क्षमता थी। सरकार के निर्णयों में, नीति निर्माण में सुधार करने और जागरूकता लाने के लिए विभाग ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट सृजित किए हैं। मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव एवं विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों से संबंधित सूचना त्वरित रूप से इन पर पोस्ट की जाती है। विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा लिए गए निर्णयों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न पोस्ट को विभाग के फेसबुक और ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है।

10.3 वीडियो कान्फ्रेंसिंग

कोरोना महामारी के दौरान, व्यक्तिगत बैठकों से बचने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा विभाग के सभी अधिकारियों को प्रदान की गई है ताकि वीसी के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों (नाइपरों) ने भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा संस्थापित

की है। वी सी सुविधा विभाग को पीएसयू और नाईपरों से उनके कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग करने एवं उन्हें निर्णयों की जानकारी देने के लिए उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाती है। प्रगति बैठक, प्रधानमंत्री कार्यालय का मॉनीटरिंग टूल, प्रत्येक माह संचालित किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय से लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सचिवों एवं राज्य मुख्य सचिवों के साथ संपर्क करते हैं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ संपर्क करने के लिए भी वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया जाता है।

10.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा

कोरोना महामारी के दौरान, जब सभी अधिकारियों के लिए कार्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं था, उन्हें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा प्रदान की गई थी, ताकि वे घर से काम कर सकें और सरकारी काम आसानी से निपटा सकें।

10.5 कार्यप्रवाह स्वाचालन

डिजिटल इंडिया की ओर विभाग द्वारा की गई अन्य पहल विभाग के भीतर कार्यप्रवाह के स्वचालन को कार्यान्वित करना है। ई-ऑफिस एक मानक उत्पाद है जो इस समय ई-फाइल, ई-यात्रा, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस), कॉलेबोरेशन एंड मेसेजिंग सर्विस (सीएएमएस) से मिलकर बना है तथा इसका उद्देश्य कार्यप्रवाह का प्रयोग, नियम आधारित फाइल की रूटिंग, फाइलों एवं कार्यालय आदेशों का शीघ्र पता लगाना एवं इसकी पुन: प्राप्ति, प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, फॉर्म और रिपोर्टिंग घटकों का प्रयोग बढ़ाना है। ई-ऑफिस का उपयोग कार्य की द्वैधता कम करने तथा पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। भौतिक फाइलों के डिजिटलीकरण और उन्हें ई-फाइलों में परिवर्तित करने के माध्यम से फाइल प्रबंधन प्रणाली पर स्वच्छता अभियान (2 अक्बटूर से 31 अक्बटूर, 2021) के विशेष अभियान के दौरान पर्याप्त काम किया गया है।

10.6 ई-गवर्नेंस

आधुनिक आईसीटी अनुरूप उपकरणों का लाभ उठाते हुए एनआईसी की सहायता से औषध विभाग ने सर्वोत्तम संव्यवहारों को अपनाने के लिए उचित पहल की हैं। एनआईसी द्वारा मानीटरिंग और निर्णय प्रक्रिया और सही सूचना सही समय पर उपलब्ध कराने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों को विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

- स्पैरो-स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग आनलाइन विंडो (स्पैरो) एप्लीकेशन, जो आईएएस तथा सीएसएस संवर्ग के एपीएआर को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और अधिकारियों की प्रोसेसिंग करने की अनुमति देती है, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली: ई-विजिटर प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित साधन है। नागरिकों की सुविधाओं के लिए उनकी मुलाक़ात के अनुरोध को ऑनलाइन पंजीकृत किया जाता है और प्रमाणित आगंतुकों को गेट पास जारी किया जाता है।

- विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस): एल आई एम बी एस विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सरकार के विभिन्न न्याायालय मामलों की मानीटरिंग एवं हैंडलिंग के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरणों से संबंधित मामलों को संबंधित विभागों द्वारा अपलोड किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण रिपोर्टों को तैयार करने में सहायता प्रदान

करता है।

- ऑनलाइन आरटीआई - एमआईएस - आरटीआई आवेदनों को कुशलता से निपटाने और उनकी निगरानी करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन आरटीआई - एमआईएस का प्रयोग करने की पहल की है। आरटीआई - एमआईएस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए संबधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया था।

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस): केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीजीआरएएमएस) को ऑनलाइन प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों का अविलंब समाधान करने के लिए विभाग तथा इसके सभी संबद्ध कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है।

- निविदाओं का ई-प्रकाशन: केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्रापण पोर्टल पर निविदाएं अपलोड करके निविदाओं के ई-प्रकाशन को कार्यान्वित किया जाता है। इससे निविदाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

- इलेक्ट्रानिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) एक वेब आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। ई-एचआरएमएस एक वेब पोर्टल https://ehrms.gov.in औषध विभाग में कार्यान्वित किया गया है। सभी कार्मिकों का डाटा अपलोड किया गया है। माड्यूल सेवा पुस्तिका विवरण, छुट्टी और एलटीसी प्रचालन में है।

- https://supremo.nic.in एक वेब पोर्टल है जिसका भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है। यह भारत सरकार के कार्मिकों से संबंधित सिंगल यूजर प्लेटफार्म है। मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अंतर्गत कार्मिक की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

ई-गर्वनेंस को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं :

- योजनागत स्कीम ''औषधीय संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)'' के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास। पीपीडीएस का उद्देश्य (औषध क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा देने एवं साथ ही निवेश, अध्ययन/कन्सल्टेंसीज आयोजन के संवर्धन के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, भारत से अन्य देशों में जाने एवं आने वाले शीर्ष प्रतिनिधिमंडलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास करना है। यह सॉफ्टवेयर विकास चरण में है।

- राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और मोहाली में स्थित हैं। संस्थानों के विभिन्न कार्यकलापों की मॉनीटरिंग करने के लिए नाईपर एमआईएस http://nipermis.pharmaceuticals.gov.in/ को विकसित किया गया है तथा एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है। एमआईएस का अगला रूपान्तर विकसित किया गया है तथा उसका कार्यान्वयन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

- डीबीटीएमआईएस पोर्टल http://dbt.pharmaceuticals.gov.in को औषध विभाग की दो स्कीमों अर्थात् नाईपर-छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है। यह पोर्टल लाभार्थियों और कारोबार के बारे में सूचना का प्रसार करता है। यह पोर्टल आधार से लाभार्थी ब्यौरा को वैधता प्रदान करता है तथा डीबीटी भारत से कारोबार ब्यौरा को साझा करता है।

- विभाग का डेशबोर्ड विकसित किया गया है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

- स्टेशनरी एमआईएस (http://10.21.81.76/store) औषध विभाग का एक स्टेशनरी मद का एमआईएस है। इस साइट का उपयोग करते हुए कर्मचारी अपनी अपेक्षित स्टेशनरी मदों के लिए अनुरोध कर सकता है। प्रशासन के अनुमोदन के आधार पर कर्मचारी उक्त मदों को प्राप्त कर सकता है। स्टेशनरी मदों के स्टॉक का रखरखाव किया जा रहा है और सक्रियात्मक रूप से इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का आगामी वर्जन प्रस्तावित किया जाता है।

- एफडीआई से लिंक्ड अनुपालन निगरानी पोर्टल को लाइव कर दिया गया है और उपयोगकर्ता सहायता प्रक्रियाधीन है।

- साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के भाग के रूप में अक्टूबर, 2021 के दौरान विभाग के नियमित कर्मचारियों के लाभ के लिए, श्री कार्तिकेयन कृष्णमूर्ति, आई.पी.एस., इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में एक वेबिनार आयोजित किया गया था।

अध्याय 11

अनुबंध

अनुबंध - I सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुबंध - II [क] पीएसयू की सूची

अनुबंध - II [ख] पीएसयू के अध्यक्ष का पता और नाम

अनुबंध - II [ग] दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

अनुबंध - III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय 11

अनुबंध

अनुबंध-I

सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

औषध विभाग के संबंध में कोई सी एंड एजी पैरा लंबित नहीं है।

अनुबंध II [क]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

(i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल), डुंडाहेरा इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, डुंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा

(ii) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र

(iii) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (केएपीएल), बैंगलोर - 560010

(iv) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूरटिकल्स लि. (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(v) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल), रोड नं. 12, वी के आई एरिया जयपुर-302013

अनुबंध II [ख]

औषध विभाग के अधीन पीएसयू के अध्यक्षों के नाम और पता:-

तालिका- IIक
(5 पीएसयू से संपर्क करने के लिए पता)

क्र. सं.	संगठन और उनका पता	नाम	पदनाम
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव	श्री रजनीश तिंगल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2.	हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पुणे-411010	सुश्री नीरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक
3.	कर्नाटक एंटी बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर - 560010	श्री सुनील कुमार कैमल	प्रबंध निदेशक
4.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स- लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सुश्री नीरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
5.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) रोड नं. 12 वी के आई एरिया जयपुर-302013	सुश्री नीरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

अनुबंध - II (ग)

दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

तालिका - 11ख
(दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	कार्यालय दूरभाष	ईमेल	मोबाइल नं.	पता
1	प्रो दुलाल पांडा नाइपर-मोहाली	0172-2214690 0172-2214697	director@niper.ac.in	9820391591	एस ए एस नगर, नाईपर मोहाली, पंजाब - 160062
2	रिक्त, नाईपर-अहमदाबाद	079-66745555	kirankalia@gmail.com director@niperahm.ac.in	9714618573	पलाज, एयरफोर्स स्टेशन मुख्यालय के सामने, गांधीनगर-382355, गुजरात।
3	डॉ. शशिबाला सिंह नाईपर-हैदराबाद	040-23073741	director.niperhyd@gov.in director@niperhyd.ac.in	9999297992	नाईपर, हैदराबाद आईडीपी एल टाउनशिप, बालानगर, हैदराबाद-500007
4	डॉ. वी रविचन्द्रन, नाईपर- हाजीपुर (अतिरिक्त प्रभार)	0612-2631565	directorniperkolkata@gmail.com director@niperkolkata.edu.in director@niperhajipur.ac.in	9443963481	ईपीआईपी कैम्पस, इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर -844102, बिहार
5	डॉ. वी रविचन्द्रन, नाईपर- कोलकाता	033-24995803 033-23200086	directorniperkolkata@gmail.com director@niperkolkata.edu.in	9443963481	चुन्नीलाल भवन, 168, मानिकतला मेन रोड, कोलकाता-700054, पश्चिम बंगाल
6	डॉ. यू एस एन मूर्ति, नाईपर-गुवाहाटी	0361-2132751	murtyusn@gmail.com murty_usn@yahoo.com director@niperguwahati.ac.in	9127060998	सिला कटमूर (हलुगुरिसुक) पी.ओ.: चांगसारी, जिला: कामरूप, असम, पिन: 781101, असम, (इंडिया)
7	डॉ. यू एस एन मूर्ति, नाईपर-रायबरेली (अतिरिक्त प्रभार)	0535-2700851	director@niperraebareli.edu.in	9127060998	बिजनौर-सिसेंदी रोड, सरोजनी नगर, सी आर पी एफ बेस कैंप के नजदीक, लखनऊ (यू पी) - 226002

अनुबंध III
एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

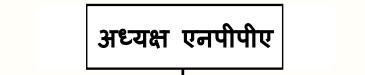

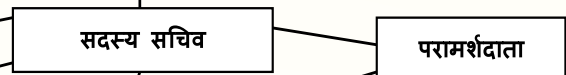

प्रशासन प्रभाग	मानीटरिंग एवं प्रवर्तन प्रभाग-III	अधिप्रभार-I	मूल्य निर्धारण	अधिप्रभार-II	विधिक
1.स्थापना मामले 2.सामान्य प्रशासन 3.रोकड/बजट 4.समन्वय 5.आर एंड आई अनुभाग 6.सतर्कता 7.संसद समितियों से संबंधित कार्य 8.संसदीय प्रश्नों / उत्तर /मामलों का समेकन / संकलन 9.आईएसओ आडिट 10.कहीं भी सूचीबद्ध न किया गया कोई अन्य विषय 11.सभी एमपी/वीआईपी संदर्भ और उनका समन्वय 12. एनपीपीए की वेबसाइट को अद्यतन करना	1.एनपीपीए द्वारा निर्धारित एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों का प्रवर्तन और कार्यान्वयन 2. आईएमएस की मासिक रिपोर्टों के आधार पर गैर- एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की मानीटरिंग और उन पर कार्रवाई करना यदि मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक पाए जाते हैं 3. एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों को कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में प्राप्त एसडीसी रिपोर्टों और अन्य डीपीसीओ से संबंधित मामलों पर कार्रवाई 4.अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों से मूल्य निर्धारण / एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विपणन करने अथवा 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतें 5.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए अधिप्रभार प्रभाग को रिपोर्ट भेजना 6.एनएलईएम फार्मूलेशनों के संबंध में मूल्य निर्धारित करने,यदि मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है के लिए मूल्य निर्धारण प्रभाग को रिपोर्ट भेजना 7.डीपीसीओ प्रावधानों के प्रवर्तन से संबंधित मामले में राज्य औषध नियंत्रकों के साथ अंत:क्रिया/पत्राचार 8.एनएलईएम और गैर- एनएलईएम फार्मूलेशनों का भंडारण और उपलब्धता 9. नए डीपीसीओ से संबंधित नीतिगत मामले 10.आईएमएस डाटा के आधार पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना 11. मूल्य सूची एकत्ररण और जांच 12.आईएमएस डाटा का भंडारण और परिरक्षण तथा एनपीपीए के संबधित प्रभागों को इनपुट प्रदान करना 13.बल्क औषधियेां से संबंधित पुराने मामले 14.बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और आयात डाटा 15.संबंधित संसदीय प्रश्न / मामले 16.आरटीआई कार्य 17.आरएफडी से संबंधित कार्य	1.डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत 1.1.2008 के बाद के सभी अधिप्रभार के मामले/ फाइलें तथा संबंधित कार्य 2.कंपनियों को अधिप्रभार के लिए नोटिस जारी करना और बाद में उसका अनुवर्तन 3.कारण बताओ नोटिस जारी करना, अधिप्रभारित रकम का हिसाब लगाना और अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए मांग करना। 4.डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभारित रकम की वसूली 5.जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई करना और सकारण आदेश पारित करना 6.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 7.न्यायालय मामलों के लिए विधिक प्रभाग को इनपुट प्रदान करना 8.संबंधित संसदीय प्रश्न/मामले	1.एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन 2.डीपीसीओ, 2013 में दिए गए मूल्य निर्धारण फार्मूले से संबंधित कारक/मानदंड तैयार करना और समय-समय पर इसका संशोधन 3.एनएलईएम फार्मूलेशनों जिनका आईएमएस डाटा उपलब्ध नहीं है के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए बाजार आधारित डाटा एकत्र करना 4.हर वर्ष पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद डब्लूपीआई पर आधारित एनएलईएम फार्मूलेशनों के मूल्य का वार्षिक संशोधन 5.जब कभी एनएलईएम फार्मूलेशनो के बारे में बाजार संरचना में कोई परिवर्तन हो तो मूल्यों का वार्षिक संशोधन 6.जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, गैर-एनएलईएम फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण / संशोधन 7.राजपत्र में मूल्यों की अधिसूचना और एनएलईएम फार्मूलेशनों का मूल्य से संबंधित डाटा रखना 8.प्रत्येक एनएलईएम फार्मूलेशन के लिए बाजार संरचना/एनएलईएम विनिर्माताओं की संख्या के बारे में वार्षिक कार्य 9.प्राधिकरण की बैठकों-कार्यसूची/कार्यवृत से संबंधित समन्वय कार्य 10.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 और 1987 के अधीन 31.12.2004 तक की अवधि के लिए सभी अधिप्रभार के मामले/फाइलें तथा उससे संबंधित कार्य 11.संबंधित संसदीय प्रश्न/मामले	1.डीपीसीओ, 1995 और डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत 2005 से 2007 तक की अवधि के अधिप्रभार के मामले/ फाइलें तथा उससे संबंधित कार्य 2.कंपनियों को अधिप्रभार के लिए नोटिस जारी करना और बाद में उसका अनुवर्तन 3.कारण बताओ नोटिस जारी करना, अधिप्रभारित रकम का हिसाब लगाना और अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए मांग करना। 4.डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभारित रकम की वसूली 5.जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई करना और सकारण आदेश पारित करना 6.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 के अधीन अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 7.अधिप्रभारित रकम की वसूली के लिए डीपीसीओ, 1995 और 2013 के अंतर्गत अधिप्रभार से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करना 8.न्यायालय मामलों के लिए विधिक प्रभाग को इनपुट प्रदान करना 9.एनपीपीए की सभी योजना स्कीमें 10.संबंधित संसदीय प्रश्न/मामले	1.डीपीसीओ, 1987 और 1995 के अधीन न्यायालय के मामले 2.डीपीसीओ,2013 के अधीन न्यायालय के मामले 3.डीपीसीओ के विभिन्न प्रावधानों के निर्वचन और अनुप्रयोग के संबंध में एनपीपीए के अन्य प्रभागों को सलाह देना 4.स्थापना मामलों / एनपीपीए के कार्य करने के स्थान (अकमोडेशन) से संबंधित विधिक मामले 5.एनपीपीए के कार्यकरण से संबंधित दिशा-निर्देश/ क्रियाविधियां आदि 6.डीपीसीओ के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाना 7.संबंधित संसदीय प्रश्न/मामले

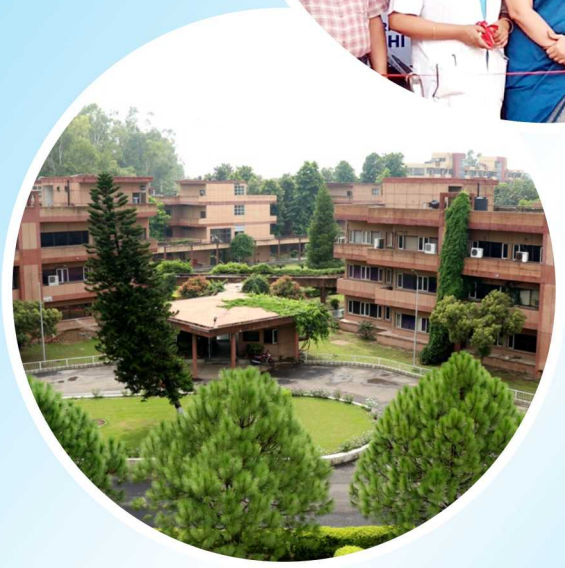

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग